राजस्थान विधान सभा

६४ वीं बैठक, सोमवार, दिनांक–३० अगस्त, सन् १९५४ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८–८ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १६५१

सन् १९५२ से १९५४ तक तकावी लोन के रूप में सम्पूर्ण रकम

श्री मोतीलाल चौधरी—Will the Revenue Minister be pleased to state:-

(1) What is the total amount distributed as Takabi Loans in 1952-53, and 53-54, Division-wise as well as different headwise ?

(2) How many tractors have been purchased in RaJasthan by Takabi loans since 1950 and what is the total strength of tractors in Rajasthan purchased with the aid of Rajasthan Government ?

(3) What is the total number of farms irrigated by pumps in Rajasthan and how many of them have been helped by the Takabi loans by Rajasthan Government since 1950 ?

(4) What percentage of land is cultivated with the help of Machineries and what is the percentage of Takabi loans invested thereon ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—(१) सन् १९५२-५३ और ५३-५४ में जो तकावी ऋण दिया गया उसका ब्योरा इस प्रकार है

१९५२-५३

नाम डिविजन	ट्रेक्टर	पम्पिंग सेट	कुए खुदवाने के लिये
१. जयपुर	२८६२८४	१८६८८१	१६४२५०
२. जोधपुर	१००५२५	१२३६०३।८	५०००

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

१	२	३	४
३. कोटा	५४३४०	३४८०१	५००००
४. उदयपुर	३०६५४	१४३०६४।८	२३:६८५
५. बीकानेर	५०००	१००८७	
	४७६८०३	४६७४६७	४६६६३५

१६५३–५४

नाम डिजिन	ट्रेक्टर	पम्पिंग सेट	कुए खुदवाने	टयूबवेल के लिये
१. जयपुर	२२४३७२	७६७०६	१०४६३००	१८०००
२. जोधपुर	१११६१७	४०५००	२८४६००	३२५०
३. कोटा	४६०००	१६०००	२०००००	
४. उयदपुर	६६८५०	१७६५०	४१३७००	
५. बीकानेर	४५०००	३०००	५२०००	
	४६३८६६	१५६८५६	१६६६६००	२१२५०

२. अब तक प्राप्त हुई सूचना के अनुसार ११४ ट्रेक्टर तकावी ऋण द्वारा खरीदे गये और कुछ सूचना जिलाधीशों से आना बाकी है।

३. सन् १६५२ से ५३ तक ४२१ व्यक्तियों को तकावी ऋण पंपिंग सेट खरीदने के लिये दिया गया। अब प्राप्त हुई सूचना के अनुसार १५२ पंपिंग सेट खरीदे गये और विशेष सूचना जिलाधीशों से आना बाकी है।

४. यह सूचना जिला कृषि अधिकारियों से मंगाई जा रही है और उपलब्ध होने पर दी जा सकेगी।

श्री मोतीराम चौधरी—क्या यह सही है कि बीकानेर डिविजन में ही हर बात में हर रकम कम दी गई है; तो क्या बीकानेर में ही हर चीज़ कम देने की कोई वजह है। यदि नहीं, तो फिर सबसे कम ट्रेक्टर वहां देने का क्या कारण है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह बात सही नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं कि पम्पिंग सेटों के बारे में ५२-५३ में १ लाख ८५ हजार रुपये बीकानेर डिविजन में दिये गये थे और कुओं के लिए कुछ नहीं दिया गया, यह जरूर है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

अब यह जो कुओं के लिए रकम दी जाती है एग्रीकल्चर लोन में है वह सिंचाई के लिए है, पीने के पानी के कुओं के लिए नहीं है। इसलिए पीने के पानी के लिए कुए बीकानेर डिविजन में सिवाय गंगानगर इलाके को छोड़कर कोई खास प्रॉपोजल सन् ५२-५३ में नहीं आये। ५३-५४ में कुछ प्रॉपोज़ल्स आये और इस पर ५२ हजार रुपये खर्च किये गये।

श्री खेतसिंह—क्या यह सही है कि जिस प्रयोजन से रकम ली गई थी वह उस प्रयोजन के लिए खर्च न करके और कार्यों में खर्च की गई और सरकार ने ऐसे मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—पहले वाली आपकी बात सही है और दूसरी गलत है।

श्री कानसिंह—पीने के पानी के कुओं के लिए ५२ हजार रुपये दिये गये हैं और सिंचाई के लिए अधिक, तो क्या बीकानेर में गंगानगर इलाके के अतिरिक्त पीने के पानी से भी सिंचाई को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा गया है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसकी जरूरत है, यह इन्कारी नहीं है। पर यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। इस सिंचाई का अलग से महकमा है, इसका अलग से काम होता है और इसका अलग से फंड है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—अभी माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया कि पहली बात सही है। दूसरी बात गलत है तो किन किन लोगों ने और और कामों में उस रकम को लगाया और किन किन के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया गया?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—कइयों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश जारी हुए हैं।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—खाली आदेश जारी होने से ही सब काम हो जाता है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—हम तो ऐसा ही समझते हैं कि आदेश जारी होने से सब काम हो जाते हैं।

श्री कानसिंह—श्री गंगानगर नहरी इलाका है और वहां इसका अच्छा उपयोग हो सकता है, तो फिर बीकानेर डिविजन के लिए अधिक रकम नहीं दी गई इसका क्या कारण है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—वहां के लोग धनी हैं इसलिये मांग कम आई है।

Page No.4

श्री कानसिंह—११४ ट्रैक्टर लोगों ने लिये हैं सन् ५२-५३ में, तो इनमें से कितने लोग बीकानेर डिविजन के हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसकी अलग से सूचना प्राप्त नहीं है। मैंने खाली इस सम्बन्धी जो सूचना थी वह आपको दी है।

श्री कानसिंह—ये जो ११४ ट्रैक्टर हैं उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसकी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि एक एक ट्रैक्टर की अलग-अलग रकम हो सकती है।

श्री मोतीराम चौधरी—किस बेसिस पर फिर आपने यह लोन दिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—५० पर्सेन्ट से ज्यादा नहीं हैं, कुछ मामलों में कम ही है।

श्री मोतीराम चौधरी—तब तो रिकॉर्ड यह होगा कि हर ट्रैक्टर का नक्शा और उसकी विगत आपके हैड ऑफिस में होगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जरूर है, इसमें शंका की बात नहीं।

श्री मोतीराम चौधरी—जितनी रकम ११४ ट्रैक्टरों की टोटल कोस्ट की है तो जो ट्रैक्टरों के खाते में जितनी रकम दी गई है उसके बराबर है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—वह हिसाब तो नहीं लगाया। पर यह तो अन्दाज लगाया जा सकता है और मालूम किया जा सकता है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—गंगानगर जिले में तकावी के लिए एप्लीकेशन्स आई या नहीं और कितनी स्वीकार की गई और कितनी अस्वीकार ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हमने कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या कोई पेन्डिंग भी हैं, इस वक्त तक ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—डिपार्टमेंट में नीचे के लेवल पर हो तो हो सकती है। ऊपर तक पहुँचने पर किसी की भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की गई।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार बुलडोजर खरीदने के लिए भी तकावी देती है या नहीं ?

Page No.5

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी नहीं।

श्री कानसिंह—क्या यह सही है कि कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें तकावी एक साल बाद दी गई है और ट्रेक्टर पहले ही खरीद लिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—क्या पूछा, कुछ सुनाई नहीं दिया।

श्री हिम्मतसिंह—यह ट्यूब वैल की कामयाबी कैसी है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—अभी उसे बहुत सन्तोषप्रद नहीं कह सकते।

श्री कानसिंह—मेरा तो प्रश्न यह है कि ट्रेक्टर एक साल पहले खरीदा गया है और तकावी बाद में दी गई है, क्या यह सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मेरी जानकारी में इस प्रकार का मामला नहीं है।

श्री कानसिंह—अगर इस प्रकार की जानकारी आपको कराई जावेगी तो क्या आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—उनकी जानकारी की जा सकती है, अगर नाम बतलाया गया तो। इसी की उचित पाबन्दी भी की जावेगी।

प्रश्न संख्या १६५२

श्री अध्यक्ष—श्री हरिकृष्ण व्यास।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित, इसका उत्तर बाद में दिया गया)

प्रश्न संख्या १६५३

जयपुर जिले में नम्बरदारों की नियुक्तियां तथा उनके भत्ते

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर जिले में कहां कहां नम्बरदारों की नियुक्तियां हो चुकी हैं ?

(ख) नम्बरदारों को क्या अलाउन्स दिया जाता है ?

[श्री चांदमल मेहता]

(ग) ५३।५४ के वर्ष में किस किस तहसील में कितने कितने रुपये नम्बरदारों को दिये गये ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया(राजस्व मंत्री)—(क) सिवाय तहसील सब डिविजन किशनगढ़ के इस जिले की सब तहसीलों के खालसा ग्रामों में पटेलों की नियुक्तियां हो चुकी हैं।

(ख) पांच पाई फी रुपया मालगुजारी पर अलाउन्स दिया जाता है, कोटपुतली में चार रुपया सैकड़ा अलाउन्स दिया जाता है।

(ग) इसके आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ सब डिविजन में नम्बरदार की नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में जवाब दे चुके हैं, आप पहले इस सदन में !

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मैं जवाब अवश्य दे चुका हूं, पर यह कहा था मैंने कि नियुक्तियां की जा रही हैं; की जा चुकी हैं, ऐसा नहीं कहा।

श्री चांदमल मेहता—किस २ डिविजन में अभी नियुक्तियां की जानी बाकी हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इतनी डिटेल्ड बात इस समय नहीं बता सकता। पर इतना कह सकता हूं कि जहां कहीं भी बाकी होंगी वहां भी अपोइन्ट कर दिये जावेंगे। प्रोसीज़र के अनुसार।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय को यह मालूम है कि इस सम्बन्ध में इसी सदन में यह जवाब दिया जा चुका है कि किशनगढ़ सब डिविजन में नम्बरदारों की नियुक्तियां हो चुकी हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—पर मैंने यह जवाब दिया है कि नियुक्तियां की जा रही हैं। की जा चुकी हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा था।

श्री चांदमल मेहता—जो रकम नम्बरदारों को दी गई है उसकी जानकारी कब तक प्राप्त हो सकेगी। एक बार ऐसा सवाल पूछने पर कहा गया था कि वहां नम्बरदारों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं ?

श्री **अध्यक्ष**—अगर कोई कन्ट्रॉडिक्टरी जवाब दिया जावे तो इस बात को माननीय सदस्य मेरे पास लावें। उसके रिमाइन्ड करने के लिए रिमाइन्डिंग क्वेश्चन की जरूरत नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—चौधर फीस वसूल की जाती है वहां ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हां।

श्री गुरुदयालसिंह संधु—मैं तो यह समझता हूं कि गंगानगर में वहीं चौधर फीस वसूल की जाती है जहां नम्बरदारों की नियुक्तियां की जा चुकी होती हैं ? जहां नियुक्तियां नहीं की जातीं वहां अगर चौधर फीस वसूल की जाती है तो वहां वह किसको दी जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—गंगानगर में ऐसा नहीं किया गया है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—तो फिर यहां क्यों वसूल की जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपने चौधर फीस कहा, इसलिये मैंने गंगानगर समझा। जहां पर भी यह फीस वसूल की जाती है वह इसलिये की जाती है कि अपोइन्टमेंट करना है। इसमें फीस वसूल करने न करने से कोई फर्क नहीं आता है।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या वह फीस का रूपया जो सरकार वसूल कर रही है नम्बरदारों की नियुक्तियां होने पर उनको दे दी जावेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आपका मतलब यह है कि पहले की भी उनको दे दी जावे ?

श्री चांदमल मेहता—नम्बरदारों की लाग-लगान के साथ वसूल की जाती है, किशनगढ़ सब डिविजन में, क्या यह सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—अगर ऐसे वसूली की गई है तो जब नम्बरदार नियुक्त होंगे वह उनको दे दी जावेगी क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जिस चीज का मैं जानकार नहीं उसके लिए आगे की सप्लीमेंटरी में घुसना ठीक नहीं होगा।

प्रश्न संख्या १६५४

नगरपालिका राजगढ़ (जि० चूरू) के मनोनीत हरिजन सदस्य के विरुद्ध शिकायतें

श्री प्रभुदयाल—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री प्रभुदयाल]

(क) क्या नगरपालिका राजगढ़, जिला चुरु, के मनोनीत हरिजन सदस्य के खिलाफ अब तक कितनी ही शिकायतें व डेपूटेशन आ चुके हैं ?

(ख) सरकार ने शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है ?

(ग) क्या सरकार इस विषय में शीघ्रातिशीघ्र कोई सख्त कदम उठाने वाली है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मंत्री)—(क) तीन। दो दरख्वास्तें और एक रिजोल्यूशन हरिजनों द्वारा।

(ख) किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) जो व्यक्ति सरकार द्वारा मनोनीत किया गया है वह राजस्थान टाउन म्युनिसिपल अधिनियम, १९५१ की परिशिष्ट में बताई गई पिछड़ी जातियों में से एक है। कोई व्यक्ति किसी विशेष जाति का प्रतिनिधि न होने से ही सदस्यता से वंचित नहीं रक्खा जा सकता। सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि वह हरिजनों के हित के विरुद्ध जा रही है।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री प्रभुदयाल—क्या सरकार के पास इसकी कोई शिकायत नहीं आई है ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दे दिया गया है।

प्रश्न संख्या १६५५

ग्राम नोहरिया (त. किशनगढ़) में बारानी के पर्चे किसानों को

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ग्राम नोहरियां तहसील किशनगढ़ में बारानी जमीन का पर्चा किसी किसान को नहीं दिया गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि सभी बारानी जमीनों को बिला नाम सैटलमेन्ट में दर्ज कर दिया गया है और लगान से सवा गुना लगान किसानों से वसूल किया जा रहा है ?

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(क) ग्राम नोहरिया के बारानी जमीन के अधिकतर भाग के पर्चे किसी को नहीं दिये गये हैं। वह पड़त है। यह बारानी जमीन दोयम और सोयम दर्जे की है और काश्तकारों ने अभी तक नहीं ली है। अगर वे लेना चाहेंगे तो उसके पर्चे उनके नाम कर दिये जावेंगे।

(ख) अगर कोई काश्तकार एक वर्ष के लिए गैर बापी पर इस पड़त जमीन को काश्त करता है तो उसे गैर बापी का लगान जो कि बापी के लगान से कुछ अधिक होता है देना पड़ता है।

(ग) गैर बापी लगान बापी लगान से अधिक होने का कारण यह है कि गैर बापी काश्त एक वर्ष के लिए ही होती है और जितने रकबे में काश्त हुई है उसी का लगान देना पड़ता है, जहां कि बापीदारों को काश्त हो चाहे न हो, पूरी जमीन का लगान देना पड़ता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सरकार की जानकारी में है कि नोहरिया के उन किसानों को जिनका वर्षों से कब्जा है, बार-बार मांग की जाने पर भी पर्चे नहीं दिये जा रहे हैं?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मेरी जानकारी में यह नहीं है। अगर यह है वाकई में कि बराबर वह काश्त करता आ रहा है और फिर भी उनको पर्चा नहीं दिया गया है तो उसको पर्चा देने के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—जिन जमीनों पर किसानों का वर्षों से कब्जा है उनके ऊपर सवाई गुना लगान वसूल करने का क्या कारण है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—उनको बापी के खातेदारी हक प्राप्त नहीं हैं।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या और रियासतों में भी सवाया लगान वसूल किया जाता है जहां कि इस तरह के बापीदारी के हक हासिल नहीं है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह चीज खुद अलग से प्रश्न है, जिसके लिए जानकारी अलग तौर से एकत्रित करनी है कि कहां कहां ऐसा है।

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि किशनगढ़ तहसील फॉर्मर राजस्थान में भी और फॉर्मर राजस्थान में इस तरह का कहीं नहीं था, फिर किशनगढ़ तहसील में इसको लादने का क्या कारण है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह एक ज्यादा जानकारी का प्रश्न है और इसकी जानकारी करने के बाद जवाब दे सकता हूं।

प्रश्न संख्या १६५६

सरवाड़ गर्ल्स हाई स्कूल में छात्राओं को शिक्षा तथा भवन विस्तार

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे: (क) सरवाड़ गर्ल्स स्कूल में कितनी छात्राएं इस वर्ष शिक्षा प्राप्त कर रही है ?

(ख) उक्त स्कूल में अध्यापिकाओं की संख्या कितनी है ?

(ग) उक्त स्कूल की पिछली मर्तबा कब किसने इन्सपेक्शन किया ?

(घ) क्या स्कूल की बिल्डिंग बढ़ती हुई छात्राओं की संख्या को देखते हुए पर्याप्त है ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(क) ५६ ।

(ख) २ ।

(ग) इसका इन्सपेक्श्न नहीं हुआ है ।

(घ) प्राप्त नहीं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या दूसरी बिल्डिंग किराये पर लेने, के बारे में सरकार विचार रखती है ।

श्री भोलानाथ—इसका विचार कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर तो यह है कि वह के लोग बनाने की कोशिश करें ।

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि सिर्फ दूसरी बिल्डिंग किराये के ऊपर लेने के लिए वहां की जनता ने बराबर मांग की है । दूसरी किराये की बिल्डिंग एवेलेबल है, बड़ी बिल्डिंग ली जाय ?

श्री भोलानाथ—मेरी जानकारी में इस वक्त नहीं है, लेकिन अगर ऐसा जरूरी है तो विचार कर सकते हैं । ज्यादा अच्छा तो यह हो कि इसका खुद मकान बनाने की कोशिश की जाय तो आधा डेवलपमेंट से रुपया मिल सकता है ।

श्री चांदमल मेहता—इस स्कूल का अब तक इन्सपेक्शन नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—इन्सपेक्टर को सुविधा और अवकाश नहीं मिला होगा ।

Page No.11

श्री चांदमल मेहता—कितने वर्षों में एक मर्तबा इन्सपेक्शन करना चाहिये, इस संबन्ध में कोई नियम है ?

श्री भोलानाथ—कोई नहीं।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या यह समझा जाय कि कई स्कूलें ऐसी भी रहती हैं कि जिनमें कई वर्षों तक कोई भी इन्सपेक्शन नहीं होता है ?

श्री भोलानाथ— यह स्कूल लड़कियों की है और लड़कियों के स्कूल के लिए डिप्टी इन्सपेक्ट्रेस कम थीं। आमतौर पर एक डिप्टी इन्सपेक्ट्रेस एक डिवीजन में होती है। जयपुर डिवीजन बड़ा है और उनको सुविधा कम रहती है, जाने आने की दौरे की दृष्टि से। अब व्यवस्था दूसरी सोची जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—लड़कियों के स्कूलों के बारे में इतनी उदासीनता क्यों है ?

(हंसी)

श्री भोलानाथ—उदासीनता नहीं है। अब दूसरी व्यवस्था सोच रहे हैं। लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है।

श्री भोपालसिंह—किसी और जगह भी आधी बिल्डिंग का खर्चा जनता दे तो क्या सरकार की ओर से आधा खर्च दिया जायगा ?

श्री भोलानाथ—वह तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड को जैसा प्रेस करेंगे वहां वैसी आवश्यकता रखेंगे, डेवलपमेंट बोर्ड के मुताबिक उसको प्रायोरिटी मिल जायगी।

श्री भोपालसिंह— जहां किराये की स्कूलें चलती हैं उस सम्बन्ध में वहां सरकार क्या आवश्यकता नही समझती है सरकारी बिल्डिंग बनवाने की ?

श्री भोलानाथ—अगर डेवलपमेंट बोर्ड आपके यहां और काम की अपेक्षा उसको महत्व देंगे तो उसकी जरुरत का ख्याल किया जायगा।

श्री भोपालसिंह—क्या डेवलपमेंट बोर्ड के पास इतना रुपया नहीं है कि उसकी मांग को पूरा कर ले ?

श्री भोलानाथ—बहुत रूपया है ! २५ लाख बहुत होता है। २५ लाख की स्कूलों की बिल्डिंगें नही बनवाई है किसी भी जमीने में किसी भी सरकार ने।

श्री भोपाल सिंह—बहुत रुपया है तो बारबार मांगने पर भी क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री भोलानाथ—पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया गया है।

प्रश्न संख्या १६५७

श्री अध्यक्ष—श्री बलबीरसिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित–इसका उत्तर बाद में दिया गया है)

प्रश्न संख्या १६५८

किशनगढ़ तहसील में बिना नाम भूमियों के काश्त करने पर सवाया लगान

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि किशनगढ़ तहसील में बिना नाम जमीनें काश्त करने पर सवाया लगान देना पड़ता है?

(ख) क्या यह सही है कि बिना नाम की जमीनें जिन पर किसान १५-२० सालों से बराबर काश्त करते आये हैं उनके लिये भी किसान को प्रति साल सरकारी आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है?

(ग) यदि हां, तो क्यों?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—(क) जी हां। किशनगढ़ की दिगर तहसीलों में भी सवाया लगान देना पड़ता है।

(ख) सरकारी आज्ञानुसार बिला नाम की जमीनों पर काश्त करने के लिए सरकारी आज्ञा प्रति वर्ष प्राप्त करना आवश्यक है।

(ग) नियमानुसार ऐसा करना आवश्यक है।

श्री चांदमल मेहता—यह कौन से नियमों के अन्तर्गत सवाया लगान वसूल किया जा रहा है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कौन से नियम हैं, मैं इस वक्त साथ में नहीं लाया हूं लेकिन जो नियम हैं वे प्रकाशित किये गये हैं, उनके अनुसार।

श्री चांदमल मेहता—वह सारे राजस्थान के लिए बने हैं या सिर्फ एक डिवीजन के लिए?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—राजस्थान में भी कई इकाइयों में अभी अलग अलग कानून हैं और उन्हीं कानूनों के अनुसार सारा का सारा अमल होता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या जो फार्मर राजस्थान की रियासतें थीं उनके ऊपर भी दूसरे डिवीजनों के कानून लागू कर दिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—किशनगढ़ में बहुत से मामलों में जयपुर रियासत के कानून लागू हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे कि वैधानिकता की दृष्टि से फोर्मर राजस्थान की रियासतों में जयपुर डिवीजन के कानून लागू नहीं होने चाहिए ?

श्री अध्यक्ष—इनफोर्मेशन पूछिये। कानून लागू हो या नहीं,वह आप देख सकेंगे।

श्री चांदमल मेहता—जिन किसानों के पास १५-२० साल से कब्जा है उनको पर्चे तकसीम कराने के बारे में क्या सरकार आदेश देगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह टेनेन्सी बिल पास ही कर रहे हैं।

श्री चांदमल मेहता—टेनेन्सी बिल के पास होने से पहले कोई आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि टेनेन्सी बिल के पास होने के बाद उन किसानों की जमीनों के ऊपर खातेदारी राइट इस दृष्टि से नहीं मिलेंगे कि उनको यह कहा जायगा कि वह टेम्पोरेरी किसान थे ?

श्री अध्यक्ष—Does not arese, टिनेन्सी बिल पर डिपेन्ड करेगा कि क्या राइट्स थे।

श्री कस्तूर चन्द।

प्रश्न संख्या १६५६

जिला भीलवाड़ा की बनेड़ा तहसील के कस्बा रायला को जनता द्वारा तालाब पर कार्य

श्री कस्तूरचन्द—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(क) क्या जिला भीलवाड़ा की बनेड़ा तहसील के कस्बा रायला की जनता ने तालाब पर चार हजार रुपये का कार्य किया है ?

[श्री कस्तूरचन्द]

(ख) क्या सरकार से भी इन्होंने ५० प्रतिशत के हिसाब से सहायता देने के हेतु प्रार्थना की है ?

(ग) सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

(घ) यदि नहीं दी, तो क्या सहायता देने का विचार रखती है ?

श्री **रामकरण जोशी** (स्वायत्त शासन मंत्री)—(क) हां जी, यह काम केवल ३२०० रुपये का आंका गया है।

(ख) सरकार से ७ हजार रुपये की सहायता की मांग की गई है जिसको दिलाने की कार्यवाही जारी है। थोड़े ही दिनों में यह रकम मिल जायगी।

(ग) सवाल उत्पन्न नहीं होता।

(घ) उत्तर (ख) में दे दिया गया है।

श्री **कस्तूरचन्द**—यह रकम कब तक मिल जायगी, डेढ़ साल हो गया इस काम में ?

श्री **रामकरण जोशी**—रकम इसी साल मिल जायगी।

प्रश्न संख्या १६६०

तहसील सांचोर के ग्राम जहां गोचर भूमि नहीं है

श्री **मोहम्मद अब्दुल हादी**—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील सांचोर में कौन कौन से गांव ऐसे हैं जहां गोचर भूमि नहीं रखी गई है ?

(ख) उपरोक्त गांवों में गोचर भूमि को कायम करने के लिये कौन सी भूमि सरकार नियत करेगी ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (राजस्व मंत्री)—(क) तहसील सांचोर का बन्दोबस्त चालू है, इसलिए इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

(ख) इसका निर्णय बन्दोबस्त के पूर्ण होने पर किया जा सकता है।

श्री तनसिंह—क्या इस प्रकार की गोचर भूमि को अलग रखने का सरकार के पास कोई नियम है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसके सिलसिले में समय समय पर नियम प्रकाशित हुए हैं, उन सारी चीजों को लक्ष्य में रखते हुए ऐसा किया जाता है ।

प्रश्न संख्या १६६१

बनेडा ग्राम पंचायत जिला भीलवाड़ा द्वारा पिछले तीन वर्षों में ग्रामोत्थान के लिये कार्य

श्री कस्तूरचन्द—क्या स्वायत शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

बनेडा ग्राम पंचायत, जिला भीलवाड़ा ने इन तीन सालों में ग्रामोत्थान के लिये क्या क्या कार्य किये ? यदि इस पंचायत ने ऐसे कार्य नहीं किये या करने में असमर्थ हैं तो उस विषय में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—उक्त पंचायत ने:

१—रोशनी में ७२५) रु० ।

२—औषधि वितरण में २००, रु० ।

३—रास्ता दुरुस्ती में १५००) रु० ।

४—गांवों की सफाई में २००) रु० ।

५—तालाब, कुए, बावड़ी की मरम्मत १२०) रुपये ।

६—पुस्तकालय ५७५) रु० ।

७—प्याऊ का प्रबन्ध २५०) ।

इस प्रकार ३५७०) रुपये उक्त पंचायत में ३ वर्षों में खर्च किये हैं । अब नया पंचायत विधान निकल चुका है । जिसमें पंचायतों को आय के पर्याप्त साधन दिये गये हैं । अतः भविष्य में ग्रामोत्थान के कार्यों पर अधिक रकम खर्च करने की आशा है ।

प्रश्न संख्या १६६२

सन १९४८-४९ तथा सन् ५२ से ५४ तक जिला गंगानगर में कृषि उत्पादन पर जकात व सरचार्ज की रकम वसूली

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री गुरुदयालसिंह सिन्धु]

(क) सन् १९४८-४९ में जिला गंगानगर में कृषि उपज पर जकात व सरचार्ज की कितनी रकम वसूल हुई थी और सन् १९५२-५३ व ५३-५४ में कितनी रकम वसूल हुई है ? सरचार्ज व जकात की रकम अलग अलग रकम बतलाई जावे ?

(ख) सन् ४८-४९ में अगर जकात की रकम नहीं वसूल हुई तो क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—(क) सन् १९४८-४९ में जिला गंगानगर में कृषि उपज पर जकात के रूप में कोई रकम कस्टम सीगे में वसूल नहीं हुई है।

१९५२-५३ में और ५३-५४ में निम्नलिखित रकम वसूल हुई :

१९५२-५३ में	...	८,५४,६४७ रु०	सरचार्ज
१९५३-५४ मे	...	१०, ६६,३२६ रु०	सरचार्ज

(ख) सन् १९४८-४९ में रेल्वे सरचार्ज वसूल होता था, जिसके आंकड़े कस्टम विभाग के पास नहीं हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—यह सच बात है कि १९४८-४९ में जकात की रकम वसूल नहीं की जाया करती थी।

श्री भोलानाथ—पहले सरचार्ज के रूप में ली जाती थी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मैं जकात का सवाल पूछता हूं।

श्री अध्यक्ष—सरचार्ज वसूल किया जाता है। इसका मतलब यह है कि ज़कात वसूल नहीं की जाती।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—राजस्थान बनने के बाद ज़कात वसूल क्यों की जाती है ?

श्री भोलानाथ—मैंने पहले बताया कि बीकानेर कस्टम टेरिफ में ५ आ. मन कस्टम ड्यूटी लगी हुई थी जिसमें एक आना सुपर्विजन चार्ज लगता था और ४ आना ड्यूटी लगती थी। इस तरह ५ आना मन के हिसाब से वसूल होता था।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—आप सरचार्ज का जिक्र कर रहे हैं और मैं कस्टम ड्यूटी के बारे में पूछ रहा हूं कि राजस्थान बनने से पहले वसूल नहीं की जाती थी, तो अब क्यों वसूल की जाती है ?

श्री भोलानाथ—पहले मूवमेन्ट पर टेक्स था।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या अब सरचार्ज वसूल नहीं किया जाता है?

श्री भोलानाथ—इस समय हमारे डिपार्टमेन्ट से तो कोई वसूल नहीं किया जाता।

प्रश्न संख्या १६६३

अल्प वयस्कों को ट्रैक्टर लोन भीलवाड़ा फैक्ट्री में

श्री हरिसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ट्रैक्टर का लोन कौनसा पेशा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है?

(ख) क्या अल्पवयस्कों (माइनर्स) को भी यह लोन दिया जा सकता है?

(ग) यदि नहीं, तो क्या भीलवाड़ा कलेक्टरी से दो लड़कों को जिनमें से एक का नाम अनंगपाल है और जिसकी लगभग ६ वर्ष की अवस्था है दस हजार रुपयों का ट्रैक्टर के नाम से लोन दिया गया है?

(घ) क्या यह दोनों लड़के फाइनेन्स सेक्रेटरी के पी. ए. श्री श्रीपाल के पुत्र हैं?

(ङ) क्या श्रीपाल का निवास स्थान भीलवाड़ा है या जयपुर?

(च) क्या उक्त कर्मचारी ने अपने पद का दुरुपयोग करके यह लोन स्वीकृत करवाया है?

(छ) यदि हां, तो क्या उस कर्मचारी के विरुद्ध सरकार विभागीय कार्यवाही करेगी और उससे वह रकम वसूल करेगी?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—(क) कृषकों को।

(ख) हां, यदि उनके पास जमीन हैं और उसका प्रबन्ध दूसरों के सरीखा हो।

(ग) हां।

(घ) हां।

(ङ) जयपुर।

(च) नहीं।

(छ) यह प्रश्न नहीं उठता।

Page No.18

श्री हरिसिंह—क्या उन रुपयों से ट्रेक्टर खरीदा गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह एक अलग प्रश्न हो जाता है, लेन-देन की बात है।

श्री संतोषसिंह—क्या उनके पास काफी जमीन है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी हां, काफी जमीन है और ३१० बीघा जमीन है।

श्री संतोषसिंह—उनके खुद के नाम है या और किसी के नाम ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जिनके नाम से लोन दिया गया है उनके पास है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इसकी जांच की गई है कि ट्रेक्टर खरीदा गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—लोन देने से पहले ट्रेक्टर नहीं खरीदा जाता, लोन मिलने के बाद खरीदा जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि मौजूदा नियम के अनुसार खरीदने की रसीद पेश करने के बाद लोन दिया जाता है। ये नियम लागू होने के पहले लोन दिया गया या बाद में ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इससे पहले दिया गया।

श्री संतोषसिंह—यह लोन कब दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसकी ठीक तारीख मेरे पास नहीं है कि कब दिया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई या नहीं कि लोन देने के बाद रकम ट्रेक्टर खरीदने के काम ली गई या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसमें रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर को हिदायत की जाती है कि जिसने सही उपयोग नहीं किया हो उसके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि ६ महिने पहले सूचना प्राप्त करने के लिये एग्रीकल्चर ऑफीसरों को सर्कुलर भेजा गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—जी हां।

श्री हरिसिंह—क्या बच्चों के नाम से लोन ले सकते है ?

Page No.19

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उनको लोन देने में कोई रुकावट नहीं है ?

श्री कानसिंह—यह जमीन खुदकाश्त की है या कैसी है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—खातेदारी में दर्ज है ।

श्री हरिसिंह—क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—आपका अगर ख्याल है कि उन्होंने ट्रैक्टर नहीं खरीदा तो जरुर जांच करेंगे ?

श्री रामदयाल—क्या यह जमीन बापी है या शिकमी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—यह बापी की जमीन मालूम होती है ।

श्री रामदयाल—क्या यह जमीन फोरेस्ट की है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—पहले किस डिपार्टमेंट की थी, यह नहीं कह सकता लेकिन अभी तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है, यह कह सकता हूं ।

श्री रामदयाल—क्या इस जमीन को लेने के लिये सैकड़ों आदमियों ने दरख्वास्तें दी थीं लेकिन केवल एक आदमी को दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मेरी जानकारी में यही बात है कि एक को दी गई है । वह जमीन खातेदारी की होनी चाहिये, उसके बिना लोन नहीं मिल सकता ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस बात की जांच की गई या नहीं कि उस माइनर बच्चे का गार्जियन के रुप में कोई काश्तकार काम कर रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि नीचे से सारी जांच करके रिपोर्ट दी जाती है ।

श्री हरिसिंह—क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सिक्योरिटी ली गई वह मकान या जायदाद कितने की है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसकी जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है । यदि आप चाहेंगे तो बाद में सूचना दे सकता हूं ।

श्री रामदयाल—ट्रैक्टर के लिये लोन लेने के लिये कितने व्यक्तियों ने दरख्वास्त दी ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इस समय यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री खेतसिंह—क्या सरकार ने जिस वक्त माइनर बच्चों को लोन दिया उस वक्त यह ख्याल रखा गया या नहीं कि यदि लोन लेने वाला रकम हजम कर गया तो क्या होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—लोन माइनर बच्चों को नहीं दिया जाता है,उनके गार्जियन को दिया जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या किसी व्यक्ति के पास जमीन होना, लोन लेने के लिए आवश्यक है और यह भी आवश्यक है कि वह खेती करता है और खेती के यूज के लिये ही रकम ले रहा है ?

श्री अध्यक्ष—Not relevant. There are rules for that. This information can be looked into in these rules.

श्री हरिकृष्ण व्यास—How can a minor is supposed to be a ward ?

श्री अध्यक्ष—Ask question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I asked and the answer was, it was not necessary: so I asked another question. I ask a specific question. Has the Government enquired whether a ward or a person on his behalf has been carrying on agriculture ? If so, who ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—That is now being enquired into.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या लोन देने से पहले इस सिलसिले में सरकार ने जांच नहीं की ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया—इसकी आवश्यकता नहीं होती। जो दरख्वास्तें नीचे से आती हैं उनके बारे में यह मानते हैं कि सारी बातों को देखते हुए रकम का गलत उपयोग नहीं हो रहा है।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें कितनी फसलें कट चुकी हैं ?

श्री अध्यक्ष—Not necessary.

श्री संतोषसिंह कछवाहा—यह लोन बच्चों को न देकर गार्जियनों के नाम से क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—All the Members are bent upon against these boys.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जिनके नाम से खातेदारी जमीन होगी उन्हीं को दिया जाता है।

श्री कानसिंह—इस जमीन पर बच्चों के गार्जियन खुदकाश्त करते हैं या और कोई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कौन काश्त करता है, कब करता है, आदि का इतिहास देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं लेकिन इस वक्त मुझे जानकारी नहीं है।

श्री हरिसिंह—जब बच्चे जयपुर में थे तो भीलवाड़े में क्यों दी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्योंकि वह जमीन भीलवाड़ा में थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या बच्चों के रिश्तेदार भीलवाड़ा में रहते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—रिश्तेदारों की लिस्ट मेरे पास नहीं है, जिससे मैं बता सकूं कि कौन कहां रहता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या ऐसे व्यक्ति काश्त करते हैं जो भीलवाड़ा में नहीं रहते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हां, काश्त करने वाले मजदूर भीलवाड़ा में रहते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या लोन देने से पहले तसल्ली नहीं की गई कि जमीन ऐसे व्यक्ति के पास है जो काश्तकार नहीं है या जमीन है इसलिए लोन दिया गया after the Government satisfies itself that the agricultural operations are being carried on and the person who has an intention to mechanize it has applied for the loan; either himself or on his behalf somebody else has applied as minor's guardian.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अब तक की रिपोर्ट से यह जाहिर होता है कि उस पर काश्त की जा रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या गार्जियन का नाम बताने की कृपा करेंगे कि जिसके द्वारा काश्त की जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि इस तरह के सप्लीमेन्ट्री प्रश्न का जवाब देना आसान नहीं है। It is impossible for me to reply.

श्री तनसिंह—माइनर की तरफ से किसने दरख्वास्त की थी, जिसको लोन मिला ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्या फरमा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—अप्लीकेन्ट कौन था ? The Hon'ble Member wants to know the name of the Guardian. Who was the applicant ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—और जानकारी करके जवाब दिया जा सकता है किन्तु दर्ख्वास्त देने वाले का नाम श्री श्रीपाल शुक्ला है।

श्री हरिसिंह—ये कौन है जनाब ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसकी जानकारी आप स्वयं प्राप्त करें तो अच्छा हो।

श्री कानसिंह—क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसकी जांच किसने की ?

श्री अध्यक्ष—Next Question.

प्रश्न संख्या १३२७

ऐसे व्यक्तियों को बस सर्विस चलाने की आज्ञा जो कि अन्य व्यक्तियों को लाइनें बेचते हैं

श्री चांदमल मेहता—क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ऐसे व्यक्तियों को यात्री गाड़ियां (बस सर्विस) चलाने की आज्ञा दे दी जाती है जो लाइनें बेच देते हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि किशनगढ़-जयपुर के बीच चलने वाली २० गाड़ियों में से १३ से अधिक अन्य व्यक्तियों को ट्रान्सफर कर दी गई है :

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

(घ) यदि नहीं तो क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित गाड़ियां किन व्यक्तियों को चलाने की आज्ञायें दी गई और इस वक्त कौन चला रहे हैं :

१. आर. जे. एल २६६१
२. आर. जे. एल. ३०१३
३. आर. जे. एल. ७१६
४. आर. जे. एल. १५२१
५. आर. जे. एल. ४७८

Page No.23

श्री रामकरण जोशी (यातायात मंत्री)— (क) नहीं।

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(घ) गाड़ियों के पर्मिट निम्न प्रकार दिये गये हैं :

आर. जे. एल. २६६१ श्री भीम राज।

,, ,, ,, ३०१३ श्री एडिलजी बी इलनिया।

,, ,, ,, ७१६ श्री राधेलाल सरिन।

,, ,, ,, १५२१ श्री शिवनन्द शिव प्रसाद।

,, ,, ,, ४७८ श्री सुजानमल कोठारी।

उपरोक्त परमिट होल्डर्स इस समय अपनी अपनी गाड़ियां चला रहे हैं और कोई दूसरा नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री इस बात की जांच करेंगे कि इनमें से एक भी व्यक्ति अपनी गाडियें नहीं चला रहा है और सारी की सारी गाडियां दूसरों के नाम पर ट्रान्सफर कर ली गई हैं ?

श्री रामकरण जोशी—जहां तक विभागीय सूचना मिली है इसमें कोई तथ्य मालूम नहीं होता।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय इस बारे में जांच करेंगे कि विभाग द्वारा इस तरह प्रश्न का गलत उत्तर मन्त्री महोदय द्वारा दिला दिया जाता है ?

श्री रामकरण जोशी—यदि माननीय सदस्य सूचना देंगे तो।

श्री चांदमल मेहता—क्या सदन में जो प्रश्न पूछा गया, यह सूचना नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी—प्रश्नोत्तर काल में सूचना देना सूचना नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो फिर सूचना किसे समझें ?

श्री रामकरण जोशी—जो ऑफिस में दी जाय।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या पर्मिट दूसरों को ट्रान्सफर किये जा सकते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—जी नहीं।

श्री कानसिंह—यहां जो सूचना दी जाती है, क्या वह सूचना नहीं समझी जाती ?

(निस्तब्धता)

श्री संतोषसिंह कछवाहा—जिन ५ गाड़ियों के नम्बर दिये हैं, वे कितने साल पुरानी हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह पूछ रहे हैं कि कौनसा मोडल है ?

श्री रामकरण जोशी—यह प्रश्न में नहीं पूछा गया है इसलिए उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री नारायणलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १६६५.

श्री अध्यक्ष—श्री नारायण लाल।

(प्रश्नकर्ता, अनुपस्थित).

प्रश्न संख्या १६६६

बस सर्विसों के चलाने में पुराने मोडल की गाड़ियों का भी चलना

श्री चांदमल मेहता—क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि यातायात गाड़ियां (बस सर्विस) चलाने की जो आज्ञाएं दी जाती हैं, उनके अन्तर्गत पुराने मोडल की गाड़ियां चल रही हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि सन् १९३८ तक के मोडल की गाड़ियों को चलाने के परमिट दिये गये हैं ?

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामकरण जोशी (यातायात मंत्री)—(क) हां ।

(ख) पुरानी मोडल की गाड़ियां जिनके पास पहले से ही परमिट उपलब्ध हों और जो मेकेनिकली फिट हों उनका रिन्युअल किया गया है .

(ग) रूल्स के मुताबिक ऐसा किया जा रहा है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस तरह के रूल्स हैं कि किसी भी मोडल की गाड़ी चालू की जा सकती है ?

श्री रामकरण जोशी—मेकेनिकली अनफिट नहीं हों तब तक । नये परमिट्स के लिये स्टेन्डिंग रूल्स हैं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह स्टेन्डिंग रूल्स में है कि नये परमिट देते वक्त नई गाड़ी चलाने की शर्त रखी है ?

श्री रामकरण जोशी—एस. टी. ए. कि ऐसी हिदायतें हैं कि आर. टी. ए. कुछ अर्से पहले को गाड़ियों के अलावा नये जो परमिट दें तो नई गाड़ियों के लिये हा दें ।

श्री संतोष सिंह—क्या यह सही है कि पुरानी गाड़ियों को इजाजत देने से मुसाफिरों को बहुत तकलीफ होती है ?

श्री रामकरण जोशी—इसीलिये नये परमिट जहां मिलते हैं वहां नई गाड़ियों को नये परमिट दिये जाते हैं ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ५३-५४ में १०० से अधिक गाड़ियों के परमिट दिये गये, उनमें से आधी गाड़ियां पुराने मोडल की हैं ?

श्री रामकरण जोशी—पुरानी की रिन्यूअल की रिपोर्ट आती है तो कानूनन उनको रिन्यू करना पड़ता है, रिन्यू करने से इन्कार नहीं किया जा सकता, नये ओपरेटर्स किसी पुरानी गाड़ी को नहीं दे रहे हैं ।

श्री चांदमल मेहता—५३-५४ में कितनी पुरानी मोडल की गाड़ियों को इजाजत दी गई ?

श्री रामकरण जोशी—नये ओपरेटर्स को पुरानी गाड़ियों के ऊपर परमिट नहीं दिये गये हैं ।

श्री संतोषसिंह—नई और पुरानी की समीक्षा क्या है ?

श्री रामकरण जोशी—विशेष सूचना तो अलग प्रश्न पूछने पर दी जा सकती है। वैसे तीन साल से पुरानी गाड़ी को तारकोल की सड़क पर और ४७ से पहले की गाड़ियों को अन्य कच्ची सड़कों और रास्तों पर चलने की इजाजत नहीं दी जाती।

श्री संतोषसिंह—तो फिर सन् १९३८ की गाड़ियां जयपुर की सड़कों पर कैसे चल रही हैं ?

श्री रामकरण जोशी—पुरानी गाड़ियों के रिन्युअल के लिये दरख्वास्त दी जाती है तो परमिट को रिन्यू करना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—The Question hour is over.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा एक प्रश्न रह गया है।

प्रश्न संख्या १६५२

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को महाराजा श्री किशनगढ़ मिल्स के प्रबन्धकों द्वारा चुनौती

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Labour be pleased to answer—

(a) Is it a fact that the management of the Maharaja Shri Kishengarh Mills had challenged the decision of the Tribunal in the Supreme Court ?

(d) Is it a fact that the Supreme Court has decided the case rejecting the convention of the management ?

(c) Has the Government taken any steps to get the position legally examined to ascertain whether the reported so called agreement arrived at betweenthe management of the said Mills and some alleged representatives of the workers is not void

(b) Will the Government take steps to enforce the position as existed before the management approached the Supreme Court

श्री रामकरण जोशी—(अ) नहीं।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

(स) नहीं।

(द) (अ) और (ब) के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—महाराजा किशनगढ़ मिल्स का केस सुप्रीम कोर्ट में था, उसका क्या निर्णय हुआ ?

श्री रामकरण जोशी—वह केस किशनगढ़ महाराजा मिल्स के मालिक द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया था और उस केस को राज्य सरकार ने जीत लिया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस डिसिजन के मुताबिक अब क्या स्थिति हुई ?

श्री रामकरण जोशी—श्री सुखदेवनारायणजी का ट्रिब्यूनल था, उसे मान लिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या उस ट्रिब्यूनल के सामने जो मामले थे वे इस ट्रिब्यूनल के सामने नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष—That Tribunal presided over by Shri Sukhdeo Narain has been legally accepted.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Has been now considered as valid one and, therefore, I am asking what is the legal consequence of this decision? What has the Government done now to continue the adjudication of matters which were then under adjudication ?

श्री अध्यक्ष—Have they been stopped

श्री हरिकृष्ण व्यास—They were.

श्री रामकरण जोशी—अब तो ट्रिब्यूनल दूसरा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने पर सरकार ने विचार किया कि पुराना ट्रिब्यूनल गैरकानूनी घोषित कर दिया गया तो उसके पास जो मामले थे, जो फैसले उस ट्रिब्यूनल ने किये थे उनका क्या किया जाय ?

श्री रामकरण जोशी—उन मामलों में से कुछ मामले आपसी समझौते से आपस में तय हो गये और कुछ मामलों में रेफरेन्सेज दिये जाते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या उस ट्रिब्यूनल ने कुछ निर्णय भी दिये थे ?

श्री रामकरण जोशी—इसके बारे में अलग प्रश्न पूछिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मामले ट्रिब्यूनल के सामने जेर तजवीज़ समझे जा चुके हैं, तो उनका आपसी सेटलमेंट किस कानून से कानूनी माना जायगा ?

श्री रामकरण जोशी— इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एक्ट, १९४७ की धारा १८ के अनुसार ऐसे समझौते को कानूनी माना जा सकता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह आपसी एग्रीमेंट हुआ था, आपसी समझौता हुआ था तो उस समय यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने से इस तरह के एग्रीमेंट के कानूनी या गैर कानूनी होने के बाबत सरकार ने क्या कानूनी मशविरा लिया है कि टाइम बार होने से वह गैरकानूनी हो जाता है ?

श्री रामकरण जोशी—टाइम बार का इसमें कोई प्रश्न नहीं । किसी भी वक्त, किसी भी बीच की स्टेज में इसमें आपसी समझौते में रूकावट नहीं आती ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कानून की तहत में होता है या विपरीत भी हो सकता है ।

श्री रामकरण जोशी—यह तो उन पार्टीज़ पर मुनस्सर होता है ।

श्री अध्यक्ष— It is a legal question.

श्री हरिकृष्ण व्यास—That is why I am asking, Sir. Has the Government consulted the Law Department ? Have they obtained any legal opinion on this point ? इस पर क्या कोई कानून सलाह मशविरा लेने का प्रयत्न किया गया है ?

श्री रामकरण जोशी—जो झगड़े अभी रेफरेन्स के लिये जरूरी समझे गये उन पर लॉ डिपार्टमेंट की राय जरूर ली गई ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने जो प्रश्न पूछा था उसके बारे में लॉ डिपार्टमेंट से राय पूछी थी क्या ?

श्री रामकरण जोशी—यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह राय लॉ डिपार्टमेंट की थी या लेबर डिपार्टमेंट की ?

श्री अध्यक्ष—This is an internal functioning of the Government. The Government may consult or may not consult the Law Department.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But he is not even stating the facts.

श्री अध्यक्ष—He has state the facts that the Hon'ble Member required.

श्री हरिकृष्ण व्यास—So I ask whether this particular question was referred to the Law Department ?

श्री अध्यक्ष—This is an internal question of functioning.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Let him say something, Sir ?

श्री रामकरण जोशी—आप प्रश्न स्पष्ट पूछेंगे तो जवाब भी स्पष्ट दिया जायगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा प्रश्न यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो मामला इस भूतपूर्व ट्रिब्यूनल के जेर तजवीज थे उन मामलों की कानूनी स्थिति आज क्या होती है ? क्या वे गैर कानूनी हो गये या और क्या ? उसमें लॉ डिपार्टमेंट की सम्मति थी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—If the Hon'ble Member has anything in his mind in regard to a particular case, then ask. There is a certain amount of vagueness.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Certain matters...

श्री अध्यक्ष—I quite follow. The Hon'ble Member wants to know the legal implication attached to this decision.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—Legal procedure which is being followed by the Secretariat ? I do'nt think the Minister would like to give the procedure, Sir.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am asking part (c) of the question, Sir." Has the Government taken any steps to get the position legally examined to ascertain whether the reported so called agreement arrived at between the management of the said mills and some alleged representatives of the workers is not void"?

श्री रामकरण जोशी—इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ, 'नहीं'।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या अब कानूनी सलाह लेने की सोच रही है ?

श्री रामकरण जोशी—आवश्यकता प्रतीत नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—If there is any information to be sought on the go to the House the Hon'ble Member can ask but he cannot force the Government to go to

[श्री अध्यक्ष]

the Law Department for advice. This is a matter relating to the internal functioning of the Government. That advice is outside the House.

प्रश्न संख्या १६५७

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सीकर के मनोनीत सदस्य तथा मनोनीत करने की प्रक्रिया

श्री बलवीर सिंह—Will the Minister for Local-self Government be pleased to answer:—

(a) How many members have been nominated to the District Board, Sikar and what procedure was adopted in this connection ?

(b) Is the Government aware of the fact that most of the members hav never paid the District Board cess ?

(c) Is the Government aware of the fact that some members of this Board are important personnels of the town and one of them being the Chairman of Neem Ka Thana Municipality and the other a member of Fatehpur Municipality ?

(d) Is it a fact that there is no representation of all the parties in this Board ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)— (ए) ३१ सदस्य । ये जयपुर जिला बोर्ड संशोधन एक्ट, १९५० के अनुसार मनोनीत किये गये हैं ।

(बी) दो व्यक्तियों से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस वसूल नहीं किया गया है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सेस देना आवश्यक नहीं है ।

(सी) हां, परन्तु ऐसे व्यक्तियों को जिला बोर्ड का मेम्बर मनोनीत करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है । उन व्यक्तियों को सरकार ने मनोनीत किया है जिनको वह अपनी राय में बोर्ड की सदस्यता के योग्य समझती थी । इसमें पार्टियों का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री बलवीर सिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बता सकेंगे कि सीकर जिले की पांच तहसीलों में एक ही इस तरह की तहसील है जहां ८ मेम्बर मनोनीत किये गये हैं ?

श्री रामकरण जोशी—संभव है, ऐसा हो सकता है ।

श्री बलवीरसिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बता सकेंगे कि इस तरह का नॉमीनेशन जिनका किया गया वे माननीय मंत्री महोदय के कृपापत्र व्यक्ति थे ।

श्री अध्यक्ष—Order plsase !

श्री रामकरण जोशी—कृपा पात्र होने की कोई आवश्यकता नहीं रहती ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—When the Speaker is on his legs the Hon'ble Member will sit down.

श्री अध्यक्ष—Thank you.

श्री जयनारायण व्यास—The advice comes fron a Member who himself stahds up on his legs.

श्री अध्यक्ष—I am glad the Hon'ble Member is getting wiser.

(श्री एच.के. व्यास पुनः खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—Order please ! Do'nt violate.

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि श्री विश्वंभरनाथ जोशी डि. नं. २१ ने २६ अगस्त, १९५४ से १ सितम्बर, १९५४ तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने के लिये प्रार्थना की है ।

क्या सदन को यह अनुमति है कि उनको अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

अट्ठाईस जुलाई, १९५४ को श्री हरिकृष्ण व्यास द्वारा प्रस्तुत किया गया विशेषाधिकार प्रस्ताव (समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति में समय की वृद्धि)

श्री रामकिशोर व्यास—(गृहमंत्री) Sir, I beg to move as required under sub-rule (1) of Rule 58 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly that the time for the presentation of the Report by the

[श्री रामकिशोर व्यास]

Committee of Privileges on the question of Privilege raised by Shri H. K. Vyas on 28. 7. 54 be extended upto the last day of the current session.

(विराम)

श्री अध्यक्ष—Motion moved. It is the leave of the House ?

(स्वीकृत)

Motion accepted

राजस्थान कोलोनाइजेशन विधेयक, १९५४

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हेतु समय में वृद्धि)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Sir, I beg to move that the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committe on the Bill to make better provision for the colonization and administration of lands in Rajasthan be extended upto 15th September, 1954.

(विराम)

श्री अध्यक्ष—Motion moved. Is it the leave of the House.

(स्वीकृत)

The leave is granted.

प्रक्रिया की नियमावली बनाने हेतु समिति के सदस्यों की नामावली

Iannounce the names of the Members of the Rules Committee, I am sorry, which will function as select Committee for the framing of rules.

(1) Shri Jai Narain Vyas.
(2) ,, Tika Ram Paliwal.
(3) ,, Ram Kishore Vyas.
(4) ,, Gulab Chand Kasliwal.
(5) ,, Dwarka Das Purohit.
(6) ,, Ram Chandra.
(7) ., Badri Pasa d

Page No.33

[श्री अध्यक्ष]

(8) Shri Tej Mal Bapna.
(9) ,, Tan Singh.
(10) ,, Hari Datta.
(11) ,, Jawan Singh.
(12) ,, H. K. Vyas.
(13) ,, Jaswant Singh.
(14) ,, (Dr.) Mangal Singh.
(15) ,, Jhujhar Singh.

Shri Jainarain Vyas, Chief Minister, will act as Chairman of the Committee.

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १९५३
(खण्डशः अग्रेतर विचार-विमर्श)

Now we come to the clause by clause consideration of the Rajasthan Tenancy Bill, 1953.

खंड ३६

श्री अध्यक्ष—Clause 36, discussion on the amendment moved by Shri Mathura Das Mathur.

श्री मोहनलाल सुखाडिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ को पेंडिंग रख दिया जाय तो ठीक रहेगा क्योंकि इसका असर २७ पर पड़ता है।

खंड ३७

श्री अध्यक्ष—Then we take clause 37.

Amendment by Shri Kishanlal Shah,

(अनुपस्थित)

Shri Mathura Dass Mathur—Amendment No, 255,

श्री मथुरादास माथुर—मेरा संशोधन इस प्रकार है—

"For clause 37, the following be substituted. '37 Restrictions not to apply to certain tenants,"

The restrictions inposed by section 36 on sub-letting by a khatedar tenant or his mortgagee and on litting by a holder of Khudkasht shall not apply to a grove holder, minor, widow, lunatic, idiot or a person incapable of cultivating the holding by reason of his blindness or other physical infirmity or by a person who is a member of the Armed forces of the union, or who suffers detention or confinement in prison or a person who is a student below 25 years of age prosecuting studies in a recognized institution or who holds a civil post under a State or the Central Government.

Provided that where a holding is held jointly or by more persons than one the provisions of this section shall not apply unless all such persons are of one or more of the descriptions specified therein,

Provided further that the provisions of sub-section (3) of section 36 shall apply to sub-letting by a Khatedar tenant or his mortgagee or letting by the holder of Khudkasht".

माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ३६ पर काफी बहस इस सदन में हो चुकी है और उस बहस के दौरान में उस वक्त भी मैंने यह बताने का प्रयत्न किया था कि खातेदार अपनी जमीन को या होल्डर ऑफ खुद काश्त अपनी जमीन को सब लैट करे तो उस वक्त कुछ एक्सेप्शेन्स रखने बहुत ही जरूरी हैं।

वैसे क्लॉज़ ३६ पर यह बताने की कोशिश की गई थी कि कम से कम पांच साल के लिये सबलैट किया जा सकता है, मगर इस सेक्शन के द्वारा कुछ एक्सेप्शन रक्खे गये हैं जो मैंने अभी आपके सामने पेश करके सुनाये हैं जिसमें, जो आदमी किसी कारण से जेल में चला जावे और ऐसा ही कोई दूसरा कारण हो जावे आदि सम्मिलित हैं और इसी क्लॉज़ ३६ पर जब बहस हो रही थी तो सदन के उस ओर से इस तरह की बात पूछी गई थी कि अगर ६ महीने की कैद हो जावे तो क्या करेंगे ? तो यह सब बातें खण्ड ३६ में करीब-करीब कवर हो जाती हैं और इसके साथ साथ कोई सरकारी मुलाजिम है या फौज में नोकर है, या कोई आदमी अन्धा हो जावे या उसको किसी तरह की ऐसी बीमारी हो जावे कि वह काम न कर सके तो ऐसी सारी बातें इसमें लाने का प्रयत्न किया गया है।

Page No.35

[श्री मथुरादास माथुर]

इसके अलावा यह बात भी प्रोविजो की तरह बताई गई है कि अगर काश्तकार सामुहिक तौर से खेती करता है और उनमें से एक अन्धा हो जावे तो ३६क्लाज़ लागू न होगा या एक आदमी पर कोई एक्सेप्शन लागू न होगा बल्कि उनमें से अगर सभी परसन एक या ज्यादा, जो डेफिकशन्स इसमें बताई हैं उनमें से उन पर लागू होती हों तो यह क्लॉज़ वहां पर लागू हो सकता है। मसलन एक माइनर हो सकता है, ल्युनेटिक हो सकता है पर सब नहीं तो वह क्लाज़ लागू नहीं होगी। पर वे सब ही एक न एक रूप में इस प्रकार के मरीज हैं। तो यह दफा उन पर लागू होगी। चार आदमी है, मानलो उनमें एक इस तरह का बीमार है तो यह क्लाज़ लागू नहीं हो सकता। पर उन चारों में से चारों ही इन बीमारियों में से किसी तरह के बीमार हैं तो यह क्लॉज. लागू होगी।

इसलिये मुझे उम्मीद है कि खण्ड ३७ पर ज्यादा बहस करने की अवश्यकता इसलिये नहीं महसूस होती क्योंकि यह तो खण्ड ३६ में बहस हुई थी उसी का एक अंग मात्र है और उसमें जो सहूलियतें दी गई हैं उनको इसमें पूरा करने का प्रयत्न किया है।

मुझे उम्मीद है कि खण्ड ३७ आप मन्जूर करेंगे, मेरी इस तरमीम के साथ।

श्री तनसिंह—माननीय सभापतिजी, यह जो तरमीम रक्खी गई है यह गलत है इसको वे और जरा स्पष्ट करदें। यह ३६ (३) बताया है, पर वह है नहीं।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—ऐसा आपका अमेन्डमेन्ट है ?

श्री मथुरादास माथुर—You mean my last poviso ?

श्री तनसिंह—" Provided further that the provisions of sub-section (3) of section 36 shall apply to sub-letting by a Khatedar..."

There is no sub-section (3) to section 36.

श्री मथुरादास माथुर—There is sub-section (3) in Section 36 as proposed to be amended by me.

श्री श्रीभानसिंह—Suppose his amendment is rejected. in that case will he still irsist on moving his amendment to Clause 37 ?

श्री मथुरादास माथुर—In that case it will meet the same fate, so far as this proviso is concerned

श्री श्रीभानसिंह—Is it not a corrolary that we should first decide Clause 36 and then take up amendments to Clause 37'

श्री मथुरादास माथुर—We can take 36 first, But since the Minister in charge desires to postpone 36, I am really helpless.

श्री तनसिंह—चेयरमेन महोदय, इस क्लॉज ३७ से पहले जो क्लॉज ३६ है उस से इसका सम्बन्ध है। इसलिए जब कि क्लॉज ३६ पहले कि नहीं हुआ है,इसलिये इसको भी पोस्टपोन कर देना चाहिये। इन्टररिलेटेड हैं दोनों।

श्री सभापति—(श्री सुखाड़िया से) आपकी क्या राय है मिनिस्टर साहिब ? यह इन्टररिलेटेड है ३६ केसाथ और ३६ पर डिसीजन हुआ नहीं है, तो ३७ पर डिस्कशन नहीं हो सकता।

श्री तनसिंह—इसीलिये मैंने कहा था कि ३७ पर बाद में डिस्कशन किया जाय। ३६ पर पहले डिस्कशन कर लिया जावे, यह आवश्यक है।

श्री जवानसिंह— हाउस में आपत्ति इस बात की है कि अमेन्डमेन्ट जो आया है ३६ के लास्ट प्रोविज़ो में ३६ सी करके, उसका रेफरेन्स दिया गया है। तो यह अमेन्डेड ३६ सी क्लॉज जब तक पास न हो जावे तब तक इसका रेफेरेन्स कैसे दिया जा सकता है ?

श्री मथुरादास माथुर—केवल यह प्रोविजो बेकार होता है। इसको आप छोड़ दीजिये। बाकी का जो अमेन्डमेन्ट है उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री जवानसिंह—यह वाकई एक गम्भीर प्रश्न है। जो अमेंडमेंट किसी भी माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है जब मन्जूर हुआ ही नहीं तो उसके आधार पर कोई दूसरा संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी मान्यता है।

यहां पर यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है यह अपने एक पहले के संशोधन पर, संशोधन लाये हैं। ऐसा संशोधन सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यहां पर हमें यह देखना है कि वह क्लॉज़ ३६ में सब क्लॉज़ (१) और (२) हैं इन्हीं को देखना है और आज जैसे ये सब क्लॉज़ मौजूद हैं सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर हैं। इनमें क्लॉज़ ३६ का खण्ड (३) नहीं है।

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इस प्रोविज़ो में जो इसका रेफेरेन्स देकर प्रोविजन रक्खा गया है वह किसी कदर सदन में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको सदन में उपस्थित करने की इजाज़त न दी जावे और इसको आगे डिसक्शन में नहीं लिया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)— यह पोसिबल नहीं है कि जो अमेंडमेंट मूव किया गया है उस पर विचार करने की इजाजत दी जावे। इसके बाद, अगर आपको कोई एतराज इस पर है तो इसका विरोध किया जा सकता है, इस चीज़ पर

Page No.37

श्री जवानसिंह—यह तो कानूनी एतराज है। मूव करने और विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री मथुरादास माथुर—मैं अपना संशोधन मूव कर चुका हूँ इसलिये मूव नहीं करने का तो अब कोई प्रश्न हो नहीं रह जाता है। इस पर मैंने अपना भाषण भी दे दिया है और एतराज भी उठा दिये गये हैं।

क्लॉज़ ३६ पहले किया जाना चाहिये,ऐसी आपत्ति उठाई गई है तो अगर यह पहले लिया जाता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है | आप ३६ पहले तय करें, और ३७ बाद में ले लें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मेरे ख्याल से इसमें हर्ज नहीं होगा कि क्लॉज़ ३६ और ३७ दोनों को डिस्कशन पर्पज़ के लिए साथ साथ ले लिया जावे। पर कायदे से पहले ३६ को पास करके फिर ३७ को लिया जावे और इस पर फिर डिस्कशन करें।

श्री सभापति—मैंने तो इस पर मन्त्री महोदय की सम्मति जाननी चाही थी कि उनकी क्या सम्मति है, इस पर अगर उनको कोई एतराज नहीं है पोस्टपोन करने या लेने में तो वे अपनी सम्मति जाहिर कर दें। मुझे तो इसे लेने में भी एतराज नहीं और पोस्टपोन करने में भी नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया—मुझे तो इसे अभी लेने में भी एतराज नहीं है।

श्री सभापति—क्योंकि क्लॉज़ ३७ मूव हो चुका है इसलिये इस पर अब डिस्कशन जारी रहेगा।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, मेरा इस क्लॉज़ में एक बहुत ही साधारण संशोधन है और वह इस प्रकार है कि यहां पर यह जो एक वर्ड 'Widow' है उसकी जगह दूसरा शब्द है "female" सब्स्टीट्यूट करने के लिए।

मेरा इस संशोधन से अभिप्राय बिल्कुल साफ है कि हम अपने कानून में ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो अपनी तारीफ में ज्यादा से ज्यादा लिबरल हो और जिसे हम कम से कम पूरा करना चाहते हों; उन तमाम कामों का इसमें समावेश हो जावे।

यहां पर भी "विडो" शब्द को रखकर हम सीमित कर रहे हैं उनके अधिकारों को जो केवल विधवा स्त्रियां हैं, उनके लिए यह है, लेकिन और दूसरे प्रकार के अधिकार रखने वाले व्यक्ति और हो सकते हैं, दूसरी और महिलाएं हो सकती हैं जिनके अधिकारों का समावेश करना भी उतना ही जरूरी और आवश्यक है। मैं, माननीय चेयरमेन, आपके सामने एक दृष्टान्त रखूंगा और वह बहुत ही आवश्यक है और शायद वह मेरी बातों की पुष्टि सफलता पूर्वक कर सकेगा। मान लीजिये कि एक लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसका पिता नहीं है और जिसके और कोई भाई नहीं है, केवल

[श्री जवानसिंह]

वह लड़की है और उसके पास में कोई भी जमीन हो सकती है काश्त करने के सिलसिले में। अगर यहां पर केवल शब्द "विडों" रखेंगे तो वह कवर नहीं करेगा उस लड़की के लिए, शायद वह जन्म भर तक कुंआरी रह सकती है। इसलिए इसमें होना चाहिए। कानून के लिहाज़ से चाहे ऐसे केसेज़ बहुत ही कम हों, लेकिन कानून ऐसा हो कि वह जरूरत से ज्यादा केसेज़ को कवर कर सके। चाहे कोई भी रिमोटेस्ट पोसिबिलिटी (remotost possibility) पैदा हो जाती है तो कानून उसको कवर कर सके, ऐसे शब्दों को रखना चाहिए। जहां पर मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय, तो "विडो" शब्द जो केवल विधवाओं तक के लिए सीमित है उसके वजाय 'फिमेल' शब्द को अगर रख दिया जाय तो उन लड़कियों को भी कवर कर लेगा जो जिन्दगी भर तक शायद कुंवारी रह जाय,य ह उनको भी कवर करेगा। उनके पास भी जायदाद हो सकती है, जो काश्त के लिए अपने पास जमीन रखती हों। इस तरह से यह शब्द उनको भी कवर अप करेगा, उन लड़कियों और विधवाओं को कवर अप कर लेगा। इसलिए मेरा संशोधन है, उसको मन्जूर किया जाय।

इसके साथ साथ मैं इस अधिकार के ऊपर और निवेदन करता हूं कि दूसरे सभी व्यक्तियों के लिए सबलेटिंग के अधिकार इस क्लॉज के तहत में रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ आदमियों को छोड़ दिया गया है। मैं यह आशा करता हूँ, माननीय चेयरमेन, कि माननीय राजस्व मन्त्री और संशोधन प्रस्तुत करने वाले महोदय शायद इसको स्वीकार कर लेंगे। तो यह आदमी छूट गये हैं जो कि डिटेन्शन में हैं और इम्प्रिज़नमेंट में हैं, उनके पास भी जमीन हो सकती है। ऐसे काश्तकार हो सकते हैं; लेकिन किसी कारणवश, मान लीजिये कि उनको जेल में डाल दिया गया है, उनके पीछे केवल उनकी स्त्री हैं और बच्चे हैं जो छोटे हो सकते हैं, उनका कारबार कैसे चलाया जाय। उनको कैसे अधिकार दें, यह सोचिये। उनके लिए सबलेटिंग का अगर अधिकार दे दिया गया तो उनके बच्चों और स्त्रियों को, जब तक कि वह इम्प्रिजनमेंट में हैं, डिटेन्शन मे हैं, जीवन निर्वाह का सहारा मिल जायगा; उन बच्चों और स्त्रियों को उस जमीन से जो कि उनके पास है कुछ फायदा हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वह इस मामले पर विचार करेंगे। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति—श्री मोतीलाल चौधरी।

श्री नाथूराम मिर्धा—नम्बर कौन सा है ?

श्री सभापति—लिस्ट नं० १८ सीरीयल, नं० ३५१।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय चेयरमेन, मेरे अमेंडमेंट दो हैं। एक लिस्ट नं० १८ पर सीरयल नं० ३४१ और दूसरा नं० १५५

श्री सभापति—जी हां, दो हैं। करिये शुरू आप।

Page No.39

श्री मोतीलाल चौधरी—क्लॉज़ ३७ का पहले मैं अमेंडमेंट देता दूं। यह जो वर्तमान सेक्शन दिया हुआ है दूसरा अमेंडमेंट जो अभी माननीय मथुरादास ने रखा है उसके अन्दर ऐसा रखा गया है कि रेस्ट्रिक्शन्स किस किस जगह नहीं लगाये जांय, सब-लेटिंग के लिए। रिगार्डिंग माइनर्स, विडोज़ एन्ड स्टूडेन्ट्स के बारे में कुल रेस्ट्रिक्शन नहीं रखे हैं। तो इसमें सिर्फ एक वर्ड है वह माइनर के पहले "fatherless" लगाया जाय, माइनर करने के लिए सिर्फ यही नहीं रखा जाय कि उसका बाप भी जिन्दा हो। इस जगह जिसका बाप जिन्दा नहीं हो उसके लिए हो, इसी तरह स्टूडेन्ट के पहले भी "fatherless" शब्द जोड दिया जाय "fatherless minor and fatherless student"

दूसरा मैंने इसके "or who holds a civil post under the State or Union Government" को डिलीट करने का संशोधन रखा है।

तीसरा संशोधन सेकिण्ड प्रोविज़ो को डिलीट करने के बारे में है। जब कि ("who holds a civil post under the State or Union Governtment" खत्म होने के बाद दूसरे प्रोविजो की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए एक अमेंडमेंट तो मेरा यही है।

इसके बाद इस क्लॉज़ के सब क्लॉज (२) में यह प्रोविजो जोड़ने का है:

"Provided further that no land shall be allotted to the persons mentioned in this section after the commencement of this Act."

माननीय चेयरमेन, इस कानून के एन्फोर्स होने के बाद में उन आदमियों को, जिनके लिए सब- लेटिंग के रेस्ट्रिक्शन्स विदड्रा किये हैं, जिनको प्रिविलेज दिये हैं, उन प्रिविलेज़ होल्डर्स को इस कानून के बाद कतई जमीन न दें।

माननीय चेयरमेन महोदय, शायद कुछ सदस्य मेरे अमेंडमेंट पर हंसे होंगे। 'फादरलेस माइनर' और 'फादरलेस स्टूडेन्ट' क्यों रखा जाय? इस विषय में मैं साफ यह कह देता हूँ कि जिस उद्देश्य से इस कानून को बना रहे हैं क्लॉज़ ३६ की जिस तरह से अभी चर्चा हुई थी उसका एक ही उद्देश्य है और कानून का एक मात्र उद्देश्य है कि आइन्दा जाकर हम सबलेटिंग को नहीं बढ़ायें, सबलेटिंग को डिस्करेज करें। साथ ही साथ जो जमीन को जोतता है, जो जमीन को बोता है, टिलर्स (tillers को जमीन मिले, न कि एक्स्प्लॉयट करता हो उसकी जमीन आगे जाकर रहे। क्लाज़ ३७ के अन्दर जिस तरह की कुछ बातें रखी गई हैं, रेस्ट्रिक्शन्स विदड्रा किये हैं, जिनके द्वारा जमीन, आगे जाकर बताऊंगा कि इस जगह जैसा कि उदाहरण दिया है, 'माइनर' शब्द रखने से बच्चों के नाम हो जायगी: जिसकी मिसाल मैं दूं कि जागीरी इलाके के अन्दर बहुत से जागीरदारों ने अपने बच्चों के नाम, दो साल से लेकर पांच साल तक और १० साल तक के लड़के लड़कियों के नाम पर जमीन करली है खातेदारी राइट्स उन लोगों को दे दिये हैं। इस तरह से उस रेस्ट्रिक्शन को विदड्रॉ कर लेंगे और उनको प्रिविलेज़ दे देंगे तो कन्टीनुइस सबलेटिंग उन जमीनों का, जिन जमीनों को इस तरह से जागीरदार

[श्री मोतीलाल चौधरी]

ने दूसरे काश्तकारों से लेकर माइनर्स के नाम एलॉट कर रखी हैं, सबलेटिंग पर देने की बचत रहेगी। बचत रहने से उन लोगों को जो टिलर्स हैं उनके लिए जमीन नहीं मिलेगी।

दूसरे स्टूडेन्ट्स के लिए रखा है। स्टूडेन्ट के लिए २५ साल तक जब तक कि वह पढ़ेगा तब तक जमीन को सबलेटिंग करने का अधिकार दिया गया है। यह मेन्शन नहीं किया गया है कि वह स्टूडेन्ट खातेदार का लड़का है या किसान का लड़का है। 'स्टूडेन्ट' शब्द जो कहा गया है उसका डिस्क्रिमिनेट नहीं करने से हरेक स्टूडेन्ट के नाम से २५ साल तक जमीन सबलेटिंग करने का अधिकार दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी अधिकारी हैं, सरकारी नौकर हैं या अपनी पूछ रखने वाले या अपना प्रभाव रखने वाले व्यक्ति हैं वे अपने बच्चे के पांच साल का होते ही उसके नाम जमीन खरीद लेंगे और खातेदारी राइट्स कराकर उसके बाद में इस क्लाँज़ के अन्दर सेफ्टी लेकर २० साल तक तो जमीन को सबलेटिंग कर सकते हैं। इससे साफ जाहिर है कि मइनर्स और स्टूडेन्ट्स के नाम पर कोई भी जमीन २५ साल तक सबलेटिंग में रख सकते हैं। मेन उद्देश्य जो इस कानून का है कि सबलेटिंग को डिसकरेज करें, जमीन सीधी किसान के हाथ में रहे, वह उद्देश्य इस तरह से सफल नहीं होगा। जैसा कि अभी एक प्रश्न इस हाउस के सामने आया कि एक बच्चे को ट्रेक्टर के लिए १० हजार रुपया लोन दिया है और वह एक उच्चाधिकारी का लड़का है वह रहता है जयपुर में और जमीन है भीलवाड़े में। तो इस तरह के इन्डाइरेक्टली वह जमीनें ली जाती हैं किसानों के हाथ से छीनकर वह किसानों के हाथ में नहीं जायगी और इन्डाइरेक्टली सबलेटिंग करते रहेंगे। २५ साल तक तो उस जमीन का सबलेटिंग चलता रहेगा। तब तक डेमोक्रेसी आपकी आधी पूरी हो जायगी।

दूसरा मेरा एमेंडमेंट यह है "who holds a civil post under the State or Union Government" यह सब से बड़ा ताज्जुब है कि इस क्लॉज़ को पढ़ते हुए शर्म आती है। यह कानून वास्तविक रूप में डेमोक्रेटिक नहीं है बल्कि ब्यूरोक्रेटिक है। सिविल पोस्ट होल्डर्स को जो यह अधिकार दिया गया है वह दुनियां में कहीं भी जनोन के अन्दर कोई अधिकार नहीं दिया गया है। किसी भी कानून के अन्दर इस तरह का रेस्ट्रिक्शन उठाकर एक प्रिविलेज दिया जाय, यह ऐसा नहीं है।

इस तरह से हमें सरकारी नौकरों को इस तरह की प्रिविलेज नहीं देनी चाहिये। उनको यह प्रिविलेज देकर नहीं जागीरें खड़ी नहीं करनी चाहते। जागीरदारों से हमको विरोध नहीं था, हमें जागीरदारी प्रथा से विरोध था। जागीरदारों के हाथ से जमीन निकलकर मिडिल क्लास लोगों के हाथ में जमीन आ जायगी, अगर इस क्लॉज़ को यों ही रहने दिया गया। इस क्लॉज़ को यूंही रहने दिया गया तो वह जनता की गवर्नमेंट के लिये शर्म की बात होगी। सिलेक्ट कमेटी के मेम्बरों द्वारा इसको इन्वल्यूड किया गया है सरकारी अधिकारियों की वजह से, सरकारी अधिकारियों को प्रोटेक्शन देने की नीयत से यह रखा गया है। इस प्रकार के नये जागीरदार पैदा करके १०० में से ९०प्रतिशत जमीन उनके हाथ में चली जाने दी जायगी तो गरीब किसानों का क्या हाल होगा ?

[श्री मोतीलाल चौधरी]

माननीय चेअरमेन महोदय, मेरा तीसरा अमेन्डमेन्ट है प्रोविजो (२) को डिलीट करने के बारे में। पहला जो सिविल पोस्ट होल्डर्स के बारे में है उसको डिलीट करने के बाद इसकी जरूरत नहीं रहती।

इसके बाद मेरा जो ११५ नंबर पर अमेन्डमेंट है वह यह है कि "Provided further that no land shall be allotted to the persons mentioned in this section ofter the commencement of this Act." इस प्रोविज़ो को डिलीट कर दिया जाय। जब इस कानून के मातहत हमने उन आदमियों को जिनका मेन्शन इसमें है उनको जमीन के बारे में प्रिविलेज दिये हैं कि उसके बारे में पहले गवर्नमेंट या सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों की इच्छा नहीं थी कि सिविल सर्वेन्ट्स को इस तरह का प्रोटेक्शन दिया जाय। क्लॉज़ ३७ में जब इस तरह का अमेन्डमेन्ट आया है तो उससे जाहिर होता है कि इन्डाइरेक्ट्ली सिविल ऑफिसर्स और माइनर्स को संरक्षण देने के लिये यह २५ साल के लिये रहेगा, इससे उनको अधिकार दिये जा रहे हैं। यह साफ जाहिर है कि वह जमीन सरकारी नौकरों और दूसरे आदमियों को नहीं देनी चाहिये, वे लेने के हकदार नहीं है क्योंकि कई किसान आज भी ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। आज आप जागीरें खत्म कर रहे हैं की छुटभाइयों के पास जिनके पास सौ, दो सौ की जागीर थी वह खत्म होने के बाद उनके पास कोई गुजारे का जरिया नहीं रहेगा, उनका क्या हाल होगा, खुदकाश्त की जमीन उनको बहुत थोड़ी मिलेगी, गवर्नमेन्ट पोस्ट होल्डर्स को आप जमीन देगें और २५ साल का उन पर रेस्ट्रिक्शन रहेगा। एक तरफ तो नौकरी करके जनता का पैसा वे लेंगे और दूसरी तरफ जमीन लेकर सबलेटिंग कर सकेंगे, यह बेजा है; इसलिये मेरा तीसरा अमेन्डमेन्ट है कि इस प्रिविलेज्ड क्लास को इस कानून के फोर्स में आने के बाद हम कतई जमीन अलोट नहीं करें। यह करना जरुरी है। इन शब्दों के द्वारा मैं, चेयरमेन महोदय, आपके जरिये हाउस के प्रत्येक सदस्य से उम्मीद करूंगा कि वास्तविक रूप में, यदि वास्तव में हम जमीन खेती करनेवालों को देना चाहते हैं तो हमको इन संशोधनों को ग्रहण करना चाहिये और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे अमेन्डमेन्ट को ग्रहण करेंगे।

श्री भीमसिंह—श्री मोतीलाल जी ने अपना अमेन्डमेन्ट नं० ५ मूव नहीं किया क्या ?

श्री मोतीलाल चौधरी—मैंने मूव कर दिया है।

श्री चान्दमल मेहता—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to clause 37:—

"(1) Delete the words 'or who holds a civil post under the State or Union Government," and

(ii) Delete the proviso (2)."

[श्री चांदमल मेहता]

चेअरमेन महोदय, माननीय राजस्व मन्त्रीजी की तरफ से बारबार यह कहा गया है कि हम सब लेटिंग को डिस्करेज करना चाहते हैं। लेकिन जो क्लॉज़ इसमें है उन राज्य के नौकरों के लिए चाहे वे यूनियन गवर्नमेंट के हों और चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों, खास सुविधा दी गई है। मैं यहां तक मानता हूं कि वह इस विचारधारा के खिलाफ है कि हम सब-लेटिंग को डिस्करेज करना चाहते हैं। पुरानी रियासतों के वक्त में कुछ कानून बने हुए थे राज्य के कर्मचारियों के बारे में और वे यह थे कि जो राज्य के नौकर हैं दूसरा धंधा नहीं कर सकते थे और यह कानून इसलिए बनाया गया था कि यदि एक राज्य कर्मचारी है और वह काश्त करता है तो वह काश्तकारों के हित में कुठाराघात करता है। यदि कोई व्यापारी है तो राज्य की नौकरी करके, व्यापार करके अनुचित फायदा उठायेगा। इसी तरह से दूसरे धन्धों के बारे में बात थी। तो जो बातें पुरानी रियासतों में इस तरह थीं तो आज हम प्रगति की बात करते हैं और इस तरह से पिछड़े हुए युग के हम अधिकार देना चाहते हैं राज्य कर्मचारियों को भूमिहीन किसानों को भूमि दिलाने के बारे में समय समय पर राजस्व मन्त्रीजी के और अन्य सदस्यों के भाषण हुए हैं। यदि उन सरकारी अधिकारियों को विशेष सुविधाएं दी गईं तो मेरी मान्यता है कि भूमिहीन किसानों के पास जमीन जाने के बदले अधिकतर भूमि जायगी राज्य के कर्मचारियों के पास। यह सच है कि एक प्रोविजो रखा है उसमें व्यवस्था है कि वे कलेक्टर से पर्मिशन लेंगे और कलेक्टर जैसा चाहेंगे कन्डीशन लगायेंगे। लेकिन राज्य कर्मचारियों पर कोई खास रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, यह मैं नहीं मानता। आज राज्य कर्मचारियों की एक श्रेणी है। मैं कह सकता हूं कि बड़े से लेकर छोटे तक एक दूसरे मिले हुए हैं क्योंकि वे चाहेंगे कि यदि एक पटवारी के पास जमीन है तो तहसीलदार सोचेगा कि पटवारी को जमीन दे दी जाय तो शायद मेरे लिए भी मौका है कि मैं भी किसी ढंग से जमीन ले लूं। एस. डी. ओ. सोचेगा कि यदि तहसीलदार को जमीन दे दी गई तो मुझे भी जमीन लेने में सुविधा होगी। इसके बाद कलेक्टर साहब चाहेंगे कि मुमकिन है कि कभी मौका आ जायगा तो मैं भी जमीन ले सकूंगा इसलिये एस. डी. ओ. को जमीन दे दो। रिटायर होने के बाद क्या करेंगे, अभी तो अधिकार की बात है इसलिये इन्तजाम आगे के लिये करलें। तो इस तरह सरकारी कर्मचारियों को जमीन मिलती जायगी और भूमिहीन किसान को जमीन मिलना कठिन हो जायगा, सारी जमीन राज्य कर्मचारियों के पास चली जायगी। मेरा अनुभव है कि जब से किशनगढ़ स्टेट खत्म हुई तब से जमीनें लगातार राज्य कर्मचारियों के हाथ में चली जा रही हैं। जो सुविधा तालाब के बेड्स पर की जमीन के लिए दी गई थी वह सब सुविधा राज्य कर्मचारियों ने उठाई, क्योंकि उसके बारे में राज्य कर्मचारी मानते थे कि उनको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है और इससे और ज्यादा जमीन उनके कब्जे में जायगी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रगतिशील जमाने में राज्य कर्मचारियों के लिए इस तरह का प्रोविजन रखना अनुचित होगा। यदि आप यह कहें कि उनको हम तनख्वाह कम देते हैं।

[श्री चांदमल मेहता]

तो उनकी तनख्वाह में तरक्की कीजिये, पर यह मत रखिये कि यह तो छोटे-छोटे कर्मचारियों पर और बड़े-बड़े कर्मचारियों पर भी एप्लाई हो सकती है।

मैं आशा करूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और मैंने जो अमेंडमेंट मूव किया है उसे स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति—श्री एच. के व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the first part of my amendment No. 360, because the other part is an alternative amendment and it cannot be moved unless there is voting on the first part already taken. My amendment to clause 37 is :

"Line 6, after the words 'of India', insert the following words:—

'and drawing a pay not exeeding Rs. 100/- p. m.' "

My second amendment is in lines 8 and 9 :—

"Delete the words 'or who holds a civil post under the State or Union Government"

(Referring there by to the Treasury Benches)

Mr. Chairman, Sir, I beg to submit that it would be too much on the part of any body to force us to speak before the empty benches as thay are at present :

श्री सभापति—There is one. (Meaning Shri Pandya).

श्री कपिलदेव अग्रवाल—There are heirs .

श्री हरिकृष्ण व्यास—Anyway, recognising the fact that there are lot of heirs and a lot of claimants budding up, I move my amendment.

यह जो ३७ नम्बर का क्लॉज़, जिस पर विचार चल रहा है, इसके एक अंग पर तो सारे सदन की नजर गई है और वह यह है कि राजस्थान की सरकार ने राज्य कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। डेढ़-डेढ़ हजार, ढाई-ढाई हजार रुपया महवार तन्ख्वाह पाने वाले, मोटरों में घूमने वाले, दो-दो सौ, चार-चार सौ मुलाजिमों पर हुकूमत करने वाले उन राजस्थान सरकार

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

के कर्मचारियों को ऐसे लोगों की केटेगेरी में डाला है जो मोहताज हैं, दूसरों के भरोसे हैं और अपाहिज हैं। तो हम इतना बड़ा अन्याय इस क्लॉज़ ३७ में कर रहे हैं। ऐसे समर्थ लोगों को जो इस सरकार को चलाते हैं और कोशिश करके ड्राफ्ट करने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं और आपकी हमारी रोज मर्रा के कामों में टेलीफोन के जरिये या और और जरियों से कुछ न कुछ बातें करते ही रहते हैं, उन लोगों को विधवा, लूले, अपंग और लंगड़ों के बराबर इस धारा में करार दिया है और जो एक्सेप्शन इन लोगों को यानी अनेबल पर्सन्स को, विधवा, लूले, अपंग लोगों को दिये हैं, वही एक्सेप्शन राज्य कर्मचारियों के बाबत भी सहन नहीं किया जा सकता।

दूसरी तरफ बैठने वाले एक माननीय सदस्य ने जोश के साथ कहा, मैं तो दया के साथ कहता हूँ कि उनको राहत दें परन्तु सारी दुनिया के सामने इस दृष्टि से मत रखिये।

इस क्लाज़ ३७ के पहले भाग की ओर किसी माननीय सदस्य का ध्यान नहीं गया है; इसमें कुछ शब्द हैं और वे इस प्रकार हैं "or service in the military, naval or air services of Indai"

अर्थात् भारत की फौज में चाहे तो वह हवाई बेड़े का हो, चाहे जहाजी बेड़े का हो, चाहे जमीन पर लड़ने वाला सिपाही हो उनके लिये भी क्लॉज़ ३६ से एक्सेप्शन कर दिया गया है। मुझे यह समझ में नहीं आया कि यह एक्सेप्शन करते समय फौज के कौनसे हिस्से के लिये यह बात हमारे दिमाग में पैदा हुई, क्योंकि फौज में भी तरह तरह की केटेगरीज़ होती हैं और मामूली जवान से लेकर जरनल करनल, फील्डमार्शल—ये लोग भी फौजी कहे जाते हैं। आज जो यह मौजूदा क्लॉज़ रखा गया है, इसका मतलब यह होगा कि ८०००, ५००० रूपया महवार तन्ख्वाह पाने वाला फील्ड-मार्शल है वह भी एग्ज़ेम्प्ट होगा, ताकि वह दूसरों को जमीन दे दे क्योंकि बेचारा रिटायर होगा तो केसे गुजर करेगा क्योंकि पेन्शन तो केवल दो-तीन हजार रूपये महवार ही मिलेगी! तो इस संशोधन के माने तो यह हुए कि : "खल गुल सब एक ही भाव"।

मैं इसे गलत मानता हूँ। जो देश के लिये लड़ने के लिये आगे आये हैं, देश की रक्षा के लिये बन्दूकें कन्धे पर रख कर मैदान में पहुँचे हैं, उनके साथ रियायत होनी चाहिये। रियायत उन लोगों को मिलनी चाहिये जो मामूली स्थिति के आदमी हैं, जो या तो फौज से लौट कर आने पर और किसी प्रकार का कार्य न कर सकें या दूसरे व्यक्ति को किसी तरह से अपंगता आने पर, वह कोई और कार्य न कर सकें तो उन्हें आजीविका चलाने के लिये यह प्रोविज़न है।

"military. naval or air services of India" के सब के सब लोगों को एग्ज़ेम्प्ट करने के स्थान पर मेरा संशोधन यह है कि जो १००) रू० माहवार तक पाने वाले लोग है वे एक्सक्लूड किये जायें। मिलिटरी, जहाजी बेड़ा, हवाई जहाज के उड़ाने से लेकर ग्राउन्ड फोर्सेज़ तक के लोगों को जिनकी कि तनख्वाह १००) रू० है उनको क्लॉज़ ३६ से एक्सक्लूड करें और १००) रू० से ऊपर पाने वाले हैं तो क्लॉज़ ३६ उन पर इसी तरह लागू होना चाहिये।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

दूसरा संशोधन है, एक का मतलब है मिलिटरी फोर्सेज़ से और दूसरा सिविल सर्विसेज़ से। ३७ में जो एक्सेप्शन है वह कायम रहे,पर इसमें मोनिटरी मियाद डाल दी जाये।

जहां तक सीविल सर्वेन्ट्स का सवाल है, उनको बिल्कुल हटा दिया जाये, किसी भी स्थिति में हम इस बात के के लिये तैयार नहीं हो सकते कि सिविल सर्वेन्ट्स को एक्सक्लूड किया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपने दोनों संशोधन को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूँ और आशा करता हूँ कि इनको स्वीकार किया जायगा।

मेरा एक और भी संशोधन है परन्तु वह आलटरनेटिव संशोधन है, उसको माननीय चेयरमेन, मैं आपकी आज्ञा से बाद में पेशकरूंगा।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय चेयरमेन, यह क्लॉज़ ३७ और ३६ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतः दोनों पर विचार साथ साथ ही हो सकता है। जब हमने क्लाज़ ३६ को छोड़ दिया है तो हमें इसे भी फिलहाल स्थगित कर देना चाहिये। क्योंकि संशोधन अगर हमको कोई रखने हैं या किसी संशोधन का समर्थन करना है तो हम क्लॉज़ ३७ में तभी कर सकते हैं जब कि क्लॉज़ ३६ का पूरा स्वरूप हमारे सामने हो। जब तक खण्ड ३६ की शक्ल हमारे सामने नहीं, खण्ड ३७ पर विचार करना एक तरह से व्यर्थ है। इसलिये मैं यह समझता हूँ कि ऐसा न करके समय का दुरूपयोग करना है। क्लॉज़ ३७ पर विचार करना मेरी राय तो यह है कि जिस तरह क्लॉज़ ३६ को छोड़ दिया गया है,उसी प्रकार क्लॉज़ ३७ को भी छोड़ दिया जाय।

मैंने संशोधन रखा है क्लॉज़ ३६ और ३७ को डिलीट कर दिया जाय। अगर क्लॉज़ ३६ डिलिट नहीं होता है तो क्लॉज़ ३७ में संशोधन रखने वाला नहीं। तो फिर जो इस वक्त संशोधन रखे हुए हैं, उनका समर्थन करना पड़ेगा। इसलिये मैं दोनों ही खण्डों पर अपने विचार रख देना चाहता हूँ कि मैने इन दोनो को डिलीट करने का संशोधन क्यों रखा है।

माननीय चेयरमेन, जो भाषण अब तक सुनने में आ रहे हैं, उन सब को सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। यह जमाना कितना प्रगतिशील बनता जा रहा है या बनाने का झूठा प्रयत्न किया जा रहा है। लोग क्या यह समझ रहे हैं कि हम किसी को जायदाद सौंप रहे हैं? अगर इस जमाने में किसी के पास १० बीघा जमीन है उसको जोतने दे। माननीय सदस्यों के भाषण इस प्रकार हो रहे हैं कि सुनने वाले लोग हैं वे समझें कि जमीन का बंटवारा हो रहा है। सरकारी मुलाजिमों को जमीन नहीं दे रहे हैं, यह बड़ा अच्छा हिट किया, इसके लिये मैं आपको यह बतला सकता हूं जो माननीय मित्रों ने यह संशोधन रखे कि जो सरकारी मुलाजिम एक हजार, दो हजार या छ हजार रूपया वेतन पाने वाले हैं उनके लिये मैं यह एलान कर सकता हूं, कि इस प्रकार की जो तनख्वाह पाने वाले हैं वे किसान कौम से बिल्कुल संबन्धित नहीं हैं। किसानों के बच्चों को यह कभी सुविधा नही कि वे

Page No.46

[श्री गोपीलाल यादव]

इतने ऊंचे स्थान पर पहुँच सके कि जिनका वेतन १ हजार से लेकर छः हजार तक हो। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि जब कि सरकार ने यह एलान कर दिया कि सब काम काज हिन्दी में होगा, लेकिन आप देखेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन किसी पोस्ट के लिये इन्टरव्यू लेता है तो अंग्रेजी में करता है। इसका मतलब क्या है? इसका सिर्फ एक ही मतलव है और वह यह कि किसान का बच्चा इन्टरव्यू में कामयाब न हो। अंग्रेजी में इन्टरव्यू लेने का मतलब ही एक है और वह है शहरी लोगों को सरकारी सर्विस में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेना। मालदार लोगों के बच्चें होंगे वे ही अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, उनके बच्चे ही सेन्ट जेवियर में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वे अपने बच्चों के लिये अंग्रेजीमेंनें रख सकते हैं, उनको पढ़ने के लिये विलायत तक भेज सकते हैं, किन्तु गरीब किसान के बच्चे कहां से अंग्रेजी पढ़ें ? अंग्रेजी में इन्टरव्यू लेने का एक ही मतलब है जो यह कि शहरों के मालदार लोगों के लड़कों को नौकरी मिले और किसानों के बच्चें केवल घास खोदने वाले, पानी ढोने वाले ही बने रहें। उनके पास एक बीघा जमीन भी न रहे। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि मान लीजिये किसी किसान मुलाजिम के पास दस बीघा जमीन, उसके पुश्तेनी से चली आ रही है। सर्विस छोडने के बाद आखिर उसे तो वही काम करना है जिस पर उसकी पुश्तैनी वाले काम करते आरहे हैं। आज उसकी नौकरी पुश्तैनी नहीं, यह नहीं कि उसके रिटायर होने के बाद उसके बच्चे को वह नौकरी मिले। अगर आप सर्विसेज़ को पुश्तैनी करते हैं तो ठीक। फिर आप किसी को जमीन मत दीजिये। जिस प्रकार धौलपुर में था कि अगर एक पिता नौकरी करता था और जब वह मरता था तो उसके १२ दिन तक वह सरकारी मुलाजिम रहता था और उसके बाद उसकी जगह उसके लड़के को रख दिया जाता था। लेकिन जब आप यह करने नहीं जा रहे हैं तो उस बेचारी की जो पुश्तैनी जमीन चली आ रही है उससे आप उसको वंचित क्यों रखते हैं? आज की नौकरियां तो सिर्फ शहरी तबके के लिये छोड़ रखी है, जो किसान नहीं। उधर बैठने वाले किसानों से मैं अपील करता हूं कि आपके लिये यह एक प्रकार का जाल बिछाया जा रहा है, जिसमें आपको फंसाया जा रहा है, इसके सिवाय और कोई चीज नहीं। यह जो सब-लेटिंग का प्रतिबन्ध हम लगा रहे है, सरकारी नौकरों पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं, आप फौजियों पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते। अगर फौज के मुलाजिमों पर आप प्रतिबन्ध लगाते है तो एक भी किसान फौज में भरती होने वाला नहीं, क्योंकि शहरी लोग तो फौज में भरती होने के लिये तैयार नहीं अगर फौजियों पर यह प्रतिबन्ध लगा देते हैं तो एक आदमी भी फौज में भी नहीं जायगा। आज फौज में भरती होने वाले लोगों के लिये यह कहा जाता है कि आओ, फौज में भरती हो जाओ, तुम्हारी जमीन सुरक्षित रहेगी। दूसरी तरफ यह हो रहा है कि अगर कोई किसान सिविल नौकरी करने जाय तो सरकार उसकी जमीन ले लेती है। इसके लिये यह कहना चाहता हूँ कि यह असलियत है, आप इस पर विचार करें। यह एक बड़ा जबरदस्त जाल आप लोगों के सामने बिछाया जा रहा है, जो आने वाली सन्तान के लिये बड़ी घातक सिद्ध होने वाली है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं आप उसे बड़े गौर से सुने कि जो रेस्ट्रिक्शन सब-लेटिंग पर लगाया गया है इसके लिये मैं आपसे यह कहता हूँ कि आपको

[श्री गोपीलाल यादव]

एक चीज़ जो करना है वह यह है कि एक किसान को जमीन मिल गई, उसको बेदखल न होने दें। बेदखल होगा तो किस तरह से होगा ? इसके लिये आगे नियम बने हुए हैं; किसानों से लगान कितना लें आदि। आप सब-लेटिंग पर प्रतिबन्ध नहीं लगाते हैं तो कोई आदमी अपनी जमीन को सब-लेट नहीं कर सकता, अगर वह सरकारी लगान से एक पैसा भी ज्यादा लेता है तो। आज समझ लीजिये किसी किसान के पास दस बीघा जमीन है। वह यदि चाहता है कि चलो यह मेरा पड़ौसी है, बहुत गरीब है, इसको पांच बीघा जमीन दे दूं ताकि उस पर काश्त करके अपना जीवन निर्वाह कर सके। आज आप यह कर रहे हैं कि किसी गरीब भाई को जमीन मिलती है तो उसके ऊपर एक सेस का बोझ अलग है। जहां आप एक तरफ यह कानून बनाते हैं कि किसानों की पैदावार पर चौथा बांटा, छठा बांटा लगान लेते हैं। आज आपने छठा बांटा लगान लेना शुरू कर दिया है जो कि पहले से करीब दुगुना है। जागीरदारों के समय में १।३ से ज्यादा लगान नहीं लिया जाता था। आज आप उससे दुगुना ले रहे हैं। आगे के क्लॉज़ेज़ जो हैं उनको देखेंगे तो आपको यह पता लग जायगा कि सब-लेटिंग हर एक आदमी कर सकता है, लेकिन कोई आदमी सरकारी लगान से एक पैसा भी ऊपर नहीं ले सकता। आज आप लोगों से पुरातन चली आ रही जमीन को छीनना चाहते हैं, वह जमीन छीनकर उनको लेन्डलैस बनाने जा रहे हैं और साथ में उनको सरकारी नौकरी वगैरह में भी जाने से रोकना चाहते हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सब-लेटिंग पर प्रतिबन्ध है तो उससे किसी को फायदा होने वाला नहीं। क्या आप इससे यह सोच रहे हैं कि लेन्ड-लैस टिनेन्ट्स को फायदा होने जा रहा है ? या जिनके पास जमीन नहीं है उनको फायदा होने जा रहा है, हरगिज इन लोगों को फायदा होने वाला नहीं। अब इससे यह होगा कि कोई भी किसान अपनी जमीन को किसी दूसरे को नहीं देगा, कभी दूसरों को इस्तेमाल करने के लिये कब्जा नहीं देगा। आज हम एक तरफ तो सीलिंग लगाते हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार का प्रतिबन्ध। तो जब यह चीजें होनी नहीं तो फिर सब-लेटिंग पर प्रतिबन्ध क्यों ? उन किसानों को जिनके पास जमीन नहीं उनको कौन जमीन देगा ? इस सब-लेटिंग पर प्रतिबन्ध से नतीजा यह होगा कि गरीब लोगों को कोई जमीन नहीं मिलेगी। जहां किसान को आप सरकारी नौकरी में जाने से रोकते हैं वहां उन बेचारों को पूरी तरह से हिट करते हैं कि कोई जमीन तुम्हारी नहीं। मेरे पास १० बीघा जमीन है उसमें से पांच बीघा मैं दूसरे को देता हूँ। अब इसका नतीजा यह होगा कि कोई जमीन दूसरे को देने को तैयार नहीं होगा। अगर १० बीघा काश्त करता है तो उसमें किसी को शामिल करने को तैयार नहीं। अब यह होगा कि कोई किसान भाई-भाई की मदद नहीं कर सकेगा।

मेरे जो दूसरे दोस्त हैं वे कहते हैं कि वह रैंट नहीं तो क्या हो रहा है और किसान जो हैं वे रैक रैंटिंग कर रहे हैं और पता नहीं कि लोग जिनके नुमाइन्दे बनते हैं वे उनका सही रिप्रेजेन्टेशन भी करते हैं या नहीं।

मैं बताता हूँ कि मैं नुमाइन्दा बनते हुए सपोर्ट करता हूँ कि आप किसानों से मुनाफा न लीजिये, पर सब-लेटिंग पर प्रतिबन्ध लगावेंगे तो किसान की रीढ़ तोड़ देंगे, देहातों का जो सोश्यल

Page No.48

[श्री गोपीलाल यादव]

स्ट्रक्चर है, उसे आप खत्म कर देंगे, आम किसान जनता की 'सहानुभूति को आप खो देंगे, जो लेन्ड लैस काश्तकार हैं और जो अपने भाई-बन्धुओं, दोस्तों आदि से इधर उधर मांग कर आज तक जिस प्रकार जमीन जोतने के लिए और अपनी आजीविका चलाने के लिए ले लेते थे उसको भी आप अब बन्द कर देंगे। वे बेकार बन जावेंगे। कल कारखाने आप खोल नहीं रहे हैं तो नतीजा होने यह जा रहा है कि लेण्ड लैस जो टिनेन्ट्स हैं वे सब भूखों मरने लगेंगे। सरकारी लोग उनको तंग करेंगे, सियासी लोग उनसे लाभ उठावेंगे, आपस में लड़ाई-झगड़े होंगे और एक तरह से अनार्की (anarchy) सब्वर्सिव एक्टीविटीज़ (Subversive activities) को मौका आप देंगे और फिर मौज ही मौज हो जावेगी।

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब-लैटिंग पर कोई प्रतिबन्ध किसी तरह का न लगाइये और अगर आप किसी तरह से भी इस चीज को समझने को तैयार नहीं हैं तो मैं तो यही कहूँगा आखिर में और बड़े दुख के साथ कि आगे आने वाली किसानों की सन्तान आप लोगों को इसके लिए बुरी तरह से कोसेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय चेयरमेन, श्री मथुरादासजी ने जो अपना संशोधन प्रस्तुत किया है, उसमें मैंने एक अपना भी संशोधन किया है जो इस, प्रकार है :—

"In line 5. insert the words 'illness or, between the words 'physical' and 'infirmity'

"And aslo in line 5, insert after the last word 'or' the following words:-

"'due to temporary non-'availability of implements and means of cultivation ro due to any other sufficient reason beyond the control of the Khatedar or'

मैंने जिस तरह से यह अमेंन्डमेंट प्रस्तुत किया है उसको अगर माननीय श्री मथुरादास जी के अमेन्डमेन्ट में शामिल किया जावे तो वह इस तरह से पढ़ा जावेगा—

"37 <u>Restrictions not to apply to certain tenents</u> (1)— The restrictions imposed by section 36 on subletting by a Khatedar tenant or his mortgagee and on letting by a holder of Khudkasht shall not apply to a grove holder, minor" widow, lunatic, idiot or a person incapable of cultivating the holding by reason of his blindness or other physical illness or infrrmity or due to temporary non-availability of implements and means of cultivation or due to any other sufficient reason beyond the control of the khatedar or a pers on who is amember of the Armed forces of the Unoin or who suffers detention or confinement"so and so.

[श्री वेदपाल त्यागी]

माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ ३६ पर बोलते हुए मैंने कुछ बातों का ज़िक्र किया था कि गांवों में रहने वालों को कुछ ऐसी बातों का,कुछ ऐसी तकलीफों का सामना करना पड़ता है जिन पर उनका बस तो होता नहीं पर उनके सामने ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि वे अपनी जमीन को सिवाय इसके कि दूसरों से काश्त करावें और कोई चारा उनके सामने रहता नहीं।

इसलिये ऐसी सूरत में अगर हम यह प्रतिबन्ध लगावें कि तुम अगर दूसरों से काश्त करवाते हो, चाहे पांच साल के लिए ही करावो तो यह प्रतिबन्ध होगा और इन चीजों को मैं जहां तक सोच सका हूं और लोगों से जितनी मैंने बातचीत की और उन्होंने जो बतलाया उसके आधार पर ही मैंने अपना यह अमेन्डमेन्ट मथुरादासजी माथुर के अमेन्डमेन्ट में रखा है।

मैं समझता हूं कि दफा ३६ पर बहस हुई थी तो उस समय बहुत खुलासा इस बात का किया था कि इस सिद्धान्त से मैं तो सहमत हूं कि सब-लेटिंग जो हो उसे रोका जावे; जमीन को खातेदार टीनेन्ट के द्वारा ही काश्त कराया जावे और यही उचित है और जहांतक हो सके दूसरे लोगों के द्वारा जमीन से कोई एक्सप्लोइटेशन नहीं होना चाहिये। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि स्थिति इस प्रकार की हो जावे कि खातेदार टीनेन्ट का उस पर कन्ट्रोल न हो तो उसको सिर्फ, कोई प्रोविजन न होने से कोई दण्ड दिया जावे कि क्यों नहीं तुमने परिस्थित पर कन्ट्रोल किया, तो इसलिए मैंने यह चीज रक्खी है क्योंकि कभी कभी ऐसा होना सम्भव है। हमारे कोटा की मैं बातक हता हूं। वहां बहुत छोटे छोटे खातेदार हैं, उदयपुर में भी ऐसे खातेदार अधिक हैं, तो मान लीजिये एक दस बीघे का खातेदार है और उसका यकायक एक बैल मर गया और इस कारण वह काश्त नहीं कर सकता। उसके पास इसका भी कोई प्रबन्ध नहीं है कि वह दूसरा बैल खरीद ले या दूसरा आदमी अगर उसकी मदद करने को समय पर तैयार नहींहोता हैं तो उसको मजबूर होकर अपनी जमीन को पड़त रखना पड़ेगा। नतीजा इसका यह होगा कि इससे उस किसान को भी नुकसान होगा और सरकार को भी नुकसान होगा,और एक प्रकार से राष्ट्र का भी नुकसान होगा और 'अधिक अन्न उपजाओ' के हमरे उद्देश्य की पूर्ति में रुकावट होगी। उससे पैदावार हो सकती थी,राष्ट्र का फायदा हो सकता था, उस किसान का फायदा हो सकता था। उससे सब वंचित हो जावेंगे और पड़त रखने का आगे चलकर नतीजा यह आवेगा कि आगे भी बैलों को खरीदने के काबिल वह नहीं बन सकेगा। इसलिए कभी कभी ऐसा होता हैं कि छोटे छोटे खातेदार इन कारणों से अपनी आधी जमीन को दूसरों को काश्त करने को दे देते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि वह बीमार हो जाता है,किसी के बाला निकल आता है जिसके कारण बाध्य होना पड़ता है उसे कि वह दूसरों को अपना खेत काश्त करने के लिए दे।

तो इन सब बातों का समावेश यदि हम इसमें नहीं करते हैं तो यह बहुत अनुचित होगा। यदि हम सबलेटिंग पर रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं तो इन सब बातों का, जिनके द्वारा एक आदमी को मजबूर होकर अपनी जमीन को दूसरों से काश्त करवाना पड़ता है उनका समावेश इसमें करना आवश्यक है। इसलिए मैंने यह संशोधन रक्खा है।

Page No.50

[श्री वेदपाल त्यागी]

इसके अतिरिक्त दो-एक बातों पर विचार अगर करना है; जैसे अभी यादवजी ने एक अपनी विचारधारा रखते हुए इस बात का जोर से सपोर्ट किया है कि सिविल सर्विस के लिये जो डिलीट करने का प्रोवीजन आया है उसको डिलीट नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे उनका यह ख्याल है कि जितनी नौकरियां काश्तकार को मिलती हैं वे बन्द हो जावेंगी। हो सकता है इसमें भी कुछ तथ्य हो। लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर इसका दूसरा पहलू लिया जावे तो जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं जैसा कि मेरे मित्र चांदमलजी ने बताया, जैसा उन्होंने अपना तजुर्बा बताया उसी प्रकार का मुझे भी तजुर्बा है कि आदमी सत्ता में जब होता है और जब स्वार्थ उसको घेरता है तो उसके सामने फिर न्याय की बात नहीं रहती और वह सत्ता का दुरुपयोग करना चाहता है और इसका नतीजा यह होता है कि जो अच्छी अच्छी जमीनें हैं वे सिविल सर्विस वाले आपस में ले लेते हैं, उनके पास जमीनें पिछले वक्त में ऐसे दी गई हैं और आज भी मौजूद हैं कई जगह और इसका नतीजा यह होता है कि वे लोग यहां ऊंची जगहों पर बैठे हैं, हजारों की तनख्वाहें लेते हैं और उनकी जमीनों को वे अलाऊ करते हैं कि खुदकाश्त न करके दूसरों को सबलेट कर दें। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सिर्फ एक दृष्टिकोण लेकर जो वकालत माननीय यादवजी ने की उससे मैं सहमत नहीं हूं। वकालत तो हर पोइन्ट पर की जा सकती हैं, पर मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की प्रैक्टिस को रोकने के लिए सबलैटिंग पर हमें अंकुश लगाना ही होगा।

श्री गोपीलाल यादव—ओन ए पॉइन्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, सर, माननीय मित्र यह फरमा रहे हैं कि एक किसान मुसीबत में होता है और मजबूरी से सबलेट करता है और दूसरी ओर सिविल सर्विस वाले इसका फायदा उठाते हैं तो इसके लिए तो ऐसा किया जा सकता है कि इस पर आप रोक लगा दीजिये कि कोई सिविल सर्विस वाला जमीन नई खरीद न सके। खरीदने की इजाजत आप उसको न दीजिये। मैं एग्री करता हूं इससे। पर........

श्री वेदपाल त्यागी—तो वह दूसरा पहलू हैं, उससे वे सहमत हैं। अगर इस सूरत में सिविल सर्विस में जो व्यक्ति हैं उनके पास जमीन आजावे तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। पर मैं निवेदन करूंगा कि यह जो सिद्धान्त आज सबलेटिंग का रखने का है उसमें सिविल सर्विस को एग्जेम्पट करना सिद्धान्त के विरुद्ध जाता है। आप इसलिए यह रखते हैं कि जो लोग, जिनके पास दूसरा जरिया नहीं है अपनी आजीविका का, जो लैण्डलैस टिनेन्ट्स हैं उनको अगर आप जरिया काश्त का देना चाहते हैं तो आपको पांच साल के लिये सबलेटिंग करना पड़ेगा और अगले पांच साल के लिए रिन्यूअल (renewal) होगा और अल्टीमेटली वह खातेदार हो जावेगा। लेकिन सिविल सर्विस वाले, जिनके पास जरिया खेती से अच्छा ही नहीं, परन्तु बहुत अच्छा है उनको ये फेसीलिटी देना कि वे उस जरिये का भी इस्तेमाल करते रहें और दूसरा जरिया भी रक्खें और इससे आमदनी हासिल करते रहें, वह गलत तरीका है। और

[श्री वेदपाल त्यागी]

यह उस सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत जाता है, जिस सिद्धान्त के आधार पर हम यह कानून बना रहें हैं। जिनको हमने प्रिन्सिपल्स के रूप में माना है, उनके यह बिल्कुल विपरीत चीज है ऐसी हालत में सिविल सर्वेन्ट का काश्त करना न्याय विरुद्ध है और न्यायसंगत किसी रूप में नहीं कहा जा सकता है। इसके अतरिक्त मैं मान सकता हूं कि बहुत कम तनख्वाह पाने वाले हैं वे इससे अपनी रोजी को सप्लिमेंट कर सकें और अगर उसकी इजाजत दी जाय तो इस प्रकार होना चाहिए कि १०) रू० से ज्यादा तनखा पाने वाले हैं सिविल सरवेन्ट्स है, वे अपनी जमीनें सब-लेट नहीं कर सकते हैं। या तो वे खुदकाश्त करें, अन्यथा वह सबलेट करते हैं तो वह उस एक्सेप्शन में नहीं आना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मेरे मित्र ने इसमें संशोधन पेश है किया है कि जहां "widow" शब्द है वहां female शब्द का इस्तेमाल होना चाहिये। मैं इससे पूर्णतया सहमत हूँ क्योंकि आज जिस रूप में यह संशोधन पेश किया है वह केवल 'विडो' को राइट देता है कि अपनी जमीन को सब-लैट कर सकती है। एक लड़की खातेदार राइट्स एक्वायर करती है तो उसको वह राइट्स नहीं देते हैं क्योंकि वह 'विडो' की डेफिड्शन में हरगिज नहीं आती है। इसलिए 'विडो' की जगह 'फिमेल' शब्द का इस्तैमाल रहे।

इसके अलावा एक कॉम्प्लीकेसी और पैदा हो सकती है कि जिन लोगों की जायदाद कोर्ट ऑफ वार्ड्स में है और जो मेजर भी हैं वह इस एक्सेप्शन में नहीं आते हैं। उनके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स के मेनेजमेंट के तहत में वह जमीन सब-लेट की गई है तो मैनेजमेंट खत्म होते ही उसके बाद में वह जमीन उसको रिज्यूम होनी चाहिए। ऐसी हालत में मैं यह निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि वह इस शब्द को पहले इस एमेंडमेंट में समावेश करने की कृपा करेंगे तो तमाम लोगों को ठीक तरह से राहत मिल सकेगी।

श्री सभापति—Now it is open to debate.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मि० चेयरमेन, सर, जो अमेंडमेंट माननीय माथुर साहब ने सदनके सामने पेश किया है उसे देखकर मुझे बार २ ताज्जुब होता है कि क्या हम ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं कि जिसका एक क्लॉज दूसरे क्लॉज़ के विपरीत हो। क्लॉज़ ३६ में अगर हम माननीय माथुर साहब की तरमीम पर ध्यान दें तो उन्होंने तरमीम रखी है कि कोई भी खातेदार टिनेन्ट ५ साल से कम के लिए सब-लेट नही कर सकता है, जिसका मतलब दूसरे शब्दों में यह है कि खातेदार को यह अधिकार दिया गया है कि ५ साल से ज्यादा किसी भी मुद्दत के लिए सबलेट कर सकता है। वह ५० साल के लिये भी सब-लेट कर सकता है, वह १०० साल के लिए भी सब-लेट कर सकता है। और वह हमेशा के लिए भी सब-लेट कर सकता है। तो क्लॉज़ ३६ में एक खातेदार को यह अधिकार है कि वह किसी भी मियांद के लिए सब-लेट कर सकता है। तो समझ में नहीं आता

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

है कि क्लॉज़ ३६ की आवश्यकता क्या है ? क्यों आप फिमेल को और पब्लिक सर्वेन्ट को प्रोटेक्ट करते हैं ? इसकी क्या जरूरत मालूम पड़ती है ? क्या जरूरत है इस क्लॉज़ ३७ की जब कि क्लॉज़ ३६ में इसकी मंजूरी हो जाती है कि कोई भी खातेदार-काश्तकार ५ साल से कम समय तक सब-लेट नहीं कर सकता है और ज्यादा कर सकता है तो अपने आप ही सबलेटिंग प्रोटेक्ट हो जाता है और जितने समय के लिए चाहे सब-लेट करता है तो मुख्य बात यह है कि इस बात का विचार किया जाय कि क्लॉज़ ३६ में जो तरमीम पेश की है उस तरमीम के लिए आपने क्या सोचा है ? वह तरमीम सदन मन्जूर करे या नहीं करता है ? अगर क्लॉज़ ३६ का अमेंडमेंट स्वीकार हो जाता है तो उस सूरत में मेरा खयाल है कि माननीय मंत्रीजी यह महसूस करेंगे कि क्लॉज़ ३७ की जरूरत नहीं है। निरे कुछ शब्दों को घटा-बढ़ाकर करने की मन्शा उसकी नहीं है। पांच साल तो वह कर ही सकता है और पांच साल से कम भी नहीं कर सकता है और पांच साल से ज्यादा भी नहीं कर सकता है। कुछ इस किस्म का उनका खयाल हो तो उनको कुछ शब्द बताऊंगा, उनको मन्जूर करले या इसमें कुछ तरमीम लायेगें।

अब तक जो कुछ धाराएं या अब तक जो कुछ कानून हम बना पाये हैं उसका स्पष्ट मतलब यह है कि पांच साल से कम सबलेटिंग के लिए नहीं दिया जा सकता है। मैंने टिनेन्सी बिल बार २ पढ़ा कि कहीं इसमें आगे चलकर कोई क्लॉज़ ऐसी मिल जाय कि जिसमें यह हो कि खातेदार काश्तकार पांच साल से ज्यादा सब-लेट नहीं कर सकता है।

श्री वेदपाल त्यागी—On a point of clerification. Sir, मेरे माननीय मित्र ने इसको ठीक तौर से नहीं पैढ़ा है।

"Restrictions on sub-letting imposed by section 36 shall not apply to minors" etc. तो इसका मतलब यह है कि रेस्ट्रिक्शन्स वहां पहले यह लगाई है। अब रेस्ट्रिक्शन यह लगा रहे हैं कि ५ साल से कम नहीं हो सकता है। इसको एग्ज़ेम्प्ट करना है तो क्लॉज़ ३७ में एक साल के लिए भी दे सकते हैं, इसलिए उसका अमेंडमेंट रखा था।

श्री मानसिंह महार—समझे नहीं।

श्री कपिलदेव—मैं नहीं समझा उस अमेंडमेंट को। मान लें कि अगर वह अमेंडमेंट स्वीकार हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि कोई खातेदार काश्तकार ५ साल से कम सबलेट नहीं कर सकता है, ज्यादा के लिए कर सकता है। उसके बाद क्लॉज़ ३७ में इसके रखने को कोई आवश्यकता नहीं है। इस वक्त सिर्फ यह है कि एक आदमी १० साल तक बदस्तूर कायम रहता है तो सिर्फ १० साल का फायदा लेता है। कोई आदमी माइनर है तो उसकी माइनोरिटी का कोई फायदा ले सकता है। अगर कोई आदमी और किसी किसान को कोई इम्प्लिमेंन्ट्स नहीं मिलती है या कोई

Page No.53

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

वजह हो गई, बैल मर गया या और कोई बात हो गई; जब तक वह दशा कायम रहती है, जब तक यह फायदा देता है, तब तक सबलेट कर सकता है चाहे वह कोई मियाद हो, एक साल हो या पांच साल हो। अगर आपके अमेंडमेंट का सिर्फ मतलब यह है कि फिमेल्स, माइनर्स, और विडोज़ को ही खाली यह फायदा पहुंचाया जाय कि पांच साल से कमती मयाद पर भी सब-लेट कर सकते हैं तो मेरा खयाल है कि यह मतलब अमेंडमेंट रखने वाले का कभी भी नहीं हो सकता है। पांच साल से ज्यादा का मुनाफा क्लॉज़ ३६ में दिया गया है तो यह एक एक्सेप्शन का क्लॉज़ हो कि पांच साल से कम भी सबलेट कर सकता है, तो इसका कोई मतलब नहीं हो सकता है। यह सेक्शन इस मतलब के लिए नहीं रखा जा सकता है कि इस सेक्शन से शायद वह मुनाफा देना चाहते हों उन माइनर्स को, फिमेल्स, पब्लिक सर्वेन्ट्स या विडोज़ को कि एक साल के लिए भी वह सबलेट कर सकते हैं। मेरे खयाल से उनका मतलब यह है कि वह यह चाहते हैं कि इस तरमीम से विडोज़ एक साल के लिए, माइनर्स एक साल के लिए सब-लेट कर सकता हैं और दूसरे साल नहीं कर सकता है। क्लॉज़ ३६ में माइनर और सभी ५ साल से कम सबलेट नहीं कर सकते हैं तो फिर ३७ में क्या फायदा देना चाहते हैं? अगर आप इस क्लॉज़ से फायदा देना चाहते हैं पांच सालसे ज्यादा का तो वह तो क्लॉज ३६ में आ गया है और अगर क्लॉज़ ३७ में आप पांच साल से कम का प्रोफिट देना चाहते हैं तो यह सेन्स मेरी समझ में आ सकती है, लेकिन इसका मतलब यह कभी भी नहीं हो सकता है। आप यह कह सकते हैं कि उसमें और इसमें यह फर्क है कि उसमें आप ५ साल से ज्यादा सालों का फायदा दिलाना चाहते थे और इसमें अब आप पांच साल से कम के लिए फायदा देना चाहते हैं। मेरा खयाल है कि क्लॉज़ ३७ में माइनर्स, विडोज़और पब्लिक सर्वेन्ट्स को रेस्ट्रिक्शन्स से मुक्त करते हैं तो उससे पब्लिक सर्वेन्ट जब तक वह कायम है तब वह सब लेट कर सकता है। इसका सेन्स यह है कि वह इस सेन्स के विपरीत है कि १-२ साल का रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, वह उठाना चाहते हैं यानी वह १-२ या तीन साल तक उसको सब-लेट करने की इजाजत मिल सकती हैं तो ऐसा इस तरमीम का मतलब कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं यह गुजारिश करूंगा कि क्लॉज़ ३७ की तरमीम पर विचार करने से पहले क्लॉज़ ३६ की तरमीम पर विचार करना पड़ेगा। क्लॉज़ ३६ की तरमीम पर विचार करने के बाद ही दूसरे नतीजे पर पहुँच सकते हैं, लेकिन जो कुछ तरमीम क्लॉज़ ३७ में माथुर साहब ने रखी है, वह ठीक नहीं है और जो संशोधन त्यागीजी ने रखा है वह संशोधन आवश्यक है। यदि कोई काश्तकार किसी वक्त किसी वजह से, मान लीजिये कि यदि उसका बैल मर जाता है और कोई तब्दीली आ जाती है जिसकी वजह से एक फसल काश्त नहीं कर सकता है तो माननीय मंत्री जी या श्री माथुर साहब का यह मतलब नहीं हो सकता कि क्लॉज़ ३६ के अनुसार ५ साल की मियाद उस पर भी लागू कर दी जाय। इसका मतलब यह होगा कि एक साल में काश्त करने की मुसीबत आ गई तो या तो जमीन को पड़त रखे या ५ साल के लिये सब लेट करे। उनकी मंशा यह कभी नहीं हो सकती, इसलिये माननीय त्यागीजी, जो शब्द बढ़ाना चाहते हैं वे बढ़ाने आवश्यक हैं।

Page No.54

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

श्री मोतीलालजी ने और दूसरे सज्जनों ने यह तरमीम रखी है कि सिविल सर्वेन्ट्स शब्द इसमें से हटा दिये जांय । मैं उनका विरोध करता हूं । सिविल सर्वेन्टस भी हमारे देश के रहने वाले हैं । जैसा कि इस सदन में स्पष्ट है, क्या आपकी यह मंशा है कि कोई किसान नौकरी के लिये नहीं आ सकता । यदि आना चाहे तो या तो वह अपनी जमीन छोड़े या नौकरी करे । इस तरह से जमीन छोड़ कर कोई किसान नौकरी में नहीं आवेगा । आप पब्लिक सर्वेन्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो आयन्दा उनको जमीन न दें, लेकिन जहां पर जमीन उनके पास है, उनको खातेदारी हक मिल जाते है, सिर्फ इसलिये कि जयपुर के रहने वाले की जोधपुर बदली हो जाती है तो वह जमीन की स्वयं देख भाल नहीं कर सकता, या तो वह नौकरी से स्तीफा दे या जमीन छोड़े । पब्लिक सर्वेन्ट्स पर आप इतना जुल्म नहीं कर सकते । आक्षेप लगाया गया है कि पटवारी तहसीलदार से मिल जायगा और एस. डी. ओ. से तहसीलदार मिल जायगा और कलेक्टर कमिश्नर से मिल जायगा मैं कहता हूं कि यह बात तथ्य से दूर है । इसमें तथ्य नहीं है, यह सिर्फ कयास है । एक एस. डी. ओ. जोधपुर का रहने वाला उदयपुर में काम कर रहा है या उदयपुर का है और उसको जयपुर में नौकरी मिली हुई है और वहां के पटवारी से मिल जायगा, यह सोचने के बाहर की बात है । यहां का पटवारी उसको उदयपुर में कैसे जमीन दिलवा सकेगा ?

श्री **वेदपाल त्यागी**—If you want I can quote instances.

श्री **कपिलदेव अग्रवाल**—There are instances of every type, not only in tenancy.

श्री **गोपीलाल यादव**—इनको कोट करने दीजिये, एक भी इन्स्टान्स ऐसी नहीं है ।

श्री **कपिलदेव अग्रवाल**—(भाषण जारी रखते हुए) बड़े बड़े पब्लिक सर्वेन्ट्स का ध्यान रखा है । हजार दो हजार या ५ हजार की तनख्वाह जिनको मिलती है उनके लिये तो यह ठीक है । लेकिन यह सोचना है कि छोटे-छोटे चपरासी या क्लर्कस जिनकी बाबत सदन में एक मित्र ने कहा है स्कूल में मास्टर या चपरासी एक किसान हो जाता है तो क्या वह नौकरी छोड़ दे या क्या आप यह चाहते हैं कि वह खेती नहीं करे, क्योंकि आप कहते हैं कि खेती करेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी । यदि एक चपरासी एक जगह से दूसरी जगह तब्दील हो जाता है तो वह शिकमी काश्तकार रखता है । यदि आप चाहते हैं कि वह शिकमी नहीं रख सकता तो उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी । क्या आप यह चाहते हैं कि गांवों में रहने वाले किसान नौकरी में कभी आवें ही नहीं ? यहां आप जैसी बात करते हैं उसको ठंडे दिमाग से सोचनी पड़ेगी । कानून ऐसा बनाना चाहिये जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो । काश्तकार वे भी हैं जो नौकरी करते हैं, छोटी-छोटी दुकानें करते हैं लेकिन उनकी मूल आजीविका का साधन खेती है, इसलिये दूसरे आदमी को अपने हक से महरूम नहीं करें । इसलिये जो सरकारी नौकर राज्य के नियमों के कारण एक जगह से दूसरी जगह बदल जाते हैं

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

और इस कारण से अपनी जमीन की देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर सकते, वे इस संशोधन के अनुसार या तो नौकरी छोड़ कर खेती करें या नौकरी करें और खेती छोड़ें। ऐसा नहीं होना चाहिये। नौकरी पेशा लोग भी खेती करके अपनी बाकी जिन्दगी बसर करना चाहते। हैं आप उनको किस न्याय से वंचित करना चाहते हैं ? क्या आप एक क्लर्क को जिसको वेतन के ५०) रुपये मिलते हैं या एक चपरासी जिसको २०) रुपये देते हैं उनके लिये आपने क्या इन्तजाम किया है, उनको जिन्दगी में आराम देने का आपने क्या इन्तजाम किया है ? यदि आप चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें तो आपको चाहिये कि उनको हक दें कि जब वे नौकरी छोड़ कर आवें तो अपने किसान के हक को कायम रख सकें। जब तक राज्य की नौकरी करते हैं तब तक के लिये एक प्रोविजन रखा था जो यह था कि कलेक्टर के पास मंजूरी के लिये दरख्वास्त दी जाय। उनके लिये क्या ऐसा मौका है ? लेकिन जो नौकरी की आड़ में सब-टिनेन्ट्स रखना चाहते हैं और जो यह चाहते हैं कि नौकरी के रहते हुए भी काफी नफा उठाया जाय और किसी तरह से उनको जमीन मिले, ऐसा हो तो उसके लिये काफी साफ ऑर्डर हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि सिवल सर्वेन्ट्स शब्द को डिलीट नहीं किया जाय और माथुर सहाब ने जो तरमीम रखी है, यदि क्लॉज़ ३६ से पहले ३७ को चलाना चाहते हैं तो ३७ में माथुर साहब की जो तरमीम है उसके साथ श्री वेदपाल त्यागीजी की तरमीम को स्वीकार करें।

श्री मानसिंह माहर—मिस्टर चेअरमेन सर, क्लॉज़ ३७ के ऊपर कई प्रकार की तरमीमें आई, उनमें से मैं कुछ का समर्थन करूंगा और एक तरमीम जो श्री मोतीलालजी चौधरी ने रखी है उसका सबसे पहले विरोध करूंगा। यह बड़ी विचित्र बात है चेयरमेन, साहब कि राजस्थान विधान सभा में भी ऐसे सदस्य मौजूद हैं जो सिवल सर्वेन्ट्स की कद्र करना कम जानते हैं। एक तरफ तो हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं वे ईमानदारी से काम करें, वे ईमानदार हों और दूसरी तरफ उनको तनख्वाह इतनी कम दी जाती है कि वे अपने बच्चों का भरण-पोषण भी नहीं कर सकते और दूसरी तरफ हम लोग यह चाहते हैं कि वह भी ४०) रूपट्टी या ४५) रूपट्टी या क्लर्क हैं तो १००) रूपट्टी उसको तन्ख्वाह की मिलती है, वह मिले, इसके अलावा ऐसा काम जैसे उसके घर पर खेत वगैरह है तो उससे महरूम करदें। इस प्रकार की विचार-धारा हमारे मंत्रीजी को नहीं है, लेकिन कोटा ग्रूप के एक महानुभाव जिनको काफी जिम्मेदार समझना चाहिये और जिन्होंने सर्विसेज़ पर कुछ वर्षो तक अंकुश रखा है वे महानुभाव इस तरमीम की ताईद करते हैं, यह काफी अफसोस की बात है। वास्तविकता यह है कि इन तरमीमों का उद्देश्य एक ही समझता हूँ और वह यह है कि हमारे मित्र यह चाहते हैं कि हमारे देहात के लिखे-पढ़े लोग किसी प्रकार ५ या १० पर्सेन्ट की तादाद में सरकारी नौकरियों में घुस जाते हैं, वह भी उनको बर्दास्त नहीं है। वे चाहते हैं कि बाहर गांवों के लोग नौकरियों से बिल्कुल महरूम हो जांय। इसके अलावा कोई कारण नहीं मिलता क्योंकि सरकारी नौकरी में वे ही बाहर से आ सकते हैं जिनके पास जमीन कम है। दो भाई होते हैं जिनके पास १ बड़ा खेत होता है तो एक भाई जमीन जोतता है और दूसरा भाई सरकार

[श्री मानसिंह महार]

में मुलाजिम हो जाता है। इस सूरत में वे दोनों भाई, जब तक ईश्वर की कृपा होती है तब तक कोई बात नहीं है, आराम से रहते हैं लेकिन दुर्भाग्य से यदि गांव में काम-काज करनेवाले का हो स्वर्गवास जाता है या किसी तरह से अपंग हो जाता है, अंधा, लूला, लंगड़ा हो जाता है तो बड़ी कठिनाई होती है। गांव में काम करनेवाले भाई का स्वर्गवास हो जाता है, तो जो भाई सरकारी नौकरी करता है उसको लालच होता है कि मुझे नौकरी करते हुए १५ या २० साल हो गये है इसलिये यदि नौकरी छोड़ देता हूं तो मेरी पेन्शन का हक मारा जाता है। इस बात को सोचकर वह शिकमी काश्तकार को जमीन जुता देता है। इस प्रकार का यदि उसको कोई फायदा हो जाता है तो मेरे मित्र जिन्होंने अमेंडमेंट रखा है उनके दिमाग में यह बात नहीं आती। वे कहते हैं कि यह राहत दी जाती है। अफसोस यह है कि जिनकी समझ में नहीं आवे उनको क्या कहें। मैं यह कहूँगा कि ....

श्री वेदपाल त्यागी—Sir, personal remarks should not be made.

श्री सभापति (श्री महार से)—I think you should not...

श्री मानसिंह महार—जो हुक्म फरमाया उसकी तो ताईद होगी लेकिन जब सदन में कोई बात कही जाती है तो उसके बारे में अर्ज करना पड़ता है।

श्री सभापति—Not in the way that you have adopted.

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन साहब, तो इस सदन की बात है; तो सरकारी नौकरों के लिये उछल उछल कर कहते हैं कि सरकारी नौकर रिश्वतखोर हैं, रिश्वत खाते हैं, चोरी-अन्याय करते हैं। कुछ ने कहा कि पटवारी, तहसीलदार, नाजिम साथ मिल जाते हैं और जमीन हड़प जाते हैं। मैं यह कहता हूं कि सरकारी नौकरों को अगर ईमानदार बनाना है, वाकई में आप उनसे काम लेना चाहते हैं,आप चाहते हैं कि सरकारी नौकर सरकार के वफादार होकर काम करें तो अवश्य उनको इस प्रकार की सुविधाएं देनी पड़ेंगीं।

तो जो मेरे मित्र ने तरमीम पेश की है उसका विरोध करता हूँ और डीडवाने से आये हुए मित्र की तरमीम का समर्थन करते हुए सदन के सामने कहूंगा कि उन्होंने जो ओरिजिनल क्लॉज़ है, उसमें कोई खास रद्दोबदल नहीं की हैं, बल्कि उन्होंने तरमीम रखी है उससे ओरिजिनल क्लॉज़ की लेन्ग्वेज वगैरह के डिफेक्ट जो हैं वे दूर हो जाते हैं।

एक मित्र जो सिरोही की तरफ से तशरीफ लाये हैं उन्होंने 'विडो' की जगह 'फीमेल' रखने की जो तरमीम की है उसका मैं समर्थन करता हूं और आगे के समय में जब हम स्त्रियों का उत्थान चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश की महिलाओं को हमने कुचल रखा था, उनको ऊंचा उठाया जाय, कुछ उत्थान किया जाय तो जो इस प्रकार के आदमी हैं, जो अपंग हैं उनके

[श्री मानसिंह नहार]

उत्थान के लिये उनको सुविधाएं देते हैं तो हमारी बहिनजिओं को भी जितना फायदा दे सकें उसमें फायदा ही है, नुक्सान की कोई सूरत नहीं है। हमारे देश की स्त्रियों के लिये अगर इस प्रकार की बात रखें गेतो यह एक आदर्श की चीज होगी। यू. पी. टिनेन्सी बिल में तो यह चीज पहले से ही मौजूद है। तो इस तरह से राजस्थान कोई दूसरे प्रान्तों से आगे नहीं बढ़ेगा। अगर 'विडो' की जगह फीमेल रख लेंगे और विडो तो यह कहलाने के योग्य नहीं रहेंगे कि राजस्थान के लेजिस्लेटर्स तो दकियानूसी थे।

तो इस प्रकार की यह जो छोटी-छोटी बातें सुझाई गई हैं वे बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्रीजी को तो इन तरमीमों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिये और मैं माननीय मोतीरामजी से निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने गलती से चीज कह दी है उसको सुधारें और अपनी तरमीम को वापिस ले लें, नहीं तो इस तरमीम को अधोगति में तो पहुँचना ही है, वे पहले ही इसे वापिस लेकर इस तरमीम की शान बचा लें (हंसी) तो अच्छा होगा।

अन्त में मैं मेरे मित्र डोडवाना जी का समर्थन करता हूं। (हंसी) और सदन से प्रार्थना करता हूं कि इसे स्वीकार करें।

श्री **भीमसिंह**—माननीय चेयरमेन, नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट रखा है मैं उसका विरोध करता हूं। यह अमेंडमेंट इस क्लॉज़ में बिल्कुल रिडन्डेन्ट है। क्लॉज़ ३७ में लिखा है : "Sub-letting by dis-abled persons.—" को डील करता है। तो वह महानुभाव अमेंडमेंट रखते हैं : "No land shall be allotted."

एलोटमेंट को रेस्ट्रिक्शन करने का अमेंडमेंट रखते हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि अलोटमेंट और सबलेटिंग से क्या सम्बन्ध है ? यह क्या विचार करके रखा है। जो भी उनकी भावना इस अमेंडमेंट से जाहिर होती है वह मेरी समझ में तो यही जाहिर होती है कि क्लॉज़ ३७ में डिसेबल्ड पर्सन्स को सहूलियतें और आराम दिया गया है उससे वे बिल्कुल नाराज मालूम होते हैं और उनसे सख्त ईर्ष्या रखते हैं। एलोटमेंट पर रेस्ट्रिक्शन्स लगायें, इससे उनका क्या तात्पर्य है। अगर यह रखते कि उनके सबलेटिंग करने पर रेस्ट्रिक्शन्स होने चाहिए; पर उन्होंने तो अलोटमेंट पर रेस्ट्रिक्शन्स रखे हैं। एक विडो है वह अपने नाम से अलोटमेंट लगाती है तो आप कैसे यह अन्दाज लगा सकते हैं कि वह सब-लेट करेगी ? हो सकता है कि वह किराये पर हल मंगा कर जमीन को जुतायेगी, एक स्टूडेन्ट है वह भी इसी तरह हल किराये पर करके अपनी खेती करवा सकता है। तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि उस बेचारी विडो को जो खेती से अपना रोजगार चलाना चाहती है उसको जमीन एलोट करने से क्यों रोकते हैं ?

श्री गोपीलाल यादव—एलोटमेंट का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं। अगर किसी ने गलती से रख दिया है तो उस पर बोलने का क्या मतलब ?

श्री भीमसिंह—मैं यह साबित करना चाहता हूं कि यह अमेंडमेंट यहां रखने के बिल्कुल काबिल नहीं है। मिलिटरी में बहादुरी के लिए हमें इन्डिपेन्डेन्स मिलने के बाद महावीर चक्र और परम वीर चक्र मिलने का ऐलान हमारी सरकार की ओर से हुआ है। इन पदकों के साथ साथ गवर्नमेंट जमीन देती है। अगर आपने यह रख दिया :

"No land shall be allotted to them."

तो मेडल के साथ जो जमीन मिलेगी उसका क्या होगा ? तो क्या उन लोगों को जमीन नहीं मिलेगी जिन्होंने कि बहादुरी की है ? क्या उनको बहादुरी का इनाम नहीं मिलेगा ?

सिविल सर्विसेज़ के लिए रखा था, वह रिडन्डेन्ट है। आर्म्ड फोर्सेज़ के साथ पुलिस भी आनी चाहिए थी। पुलिस के सिपाही सिविल सर्विसेज़ की डेफिनिशन में आ जाते हैं, पुलिस के सिपाही जो बोर्डर की गश्त करते हैं, बोर्डर की रक्षा का काम करते हैं और डाकुओं से मुठभेड़ करते समय अगर उनमें से कोई मर जाता है तो उनके ऊपर आपकी क्यों नाराजगी है ?

सिविल सर्विसेज़ में जो लोग प्रान्त की नौकरी कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं उनको उनके हकों से महरूम रखना चाहते हैं, यह ज्यादती की बात है।

डीडवाना से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसके बारे में भी बहुत सी नासमझी की बातें फरमाई गई हैं। उन्होंने क्लॉज़ ३६ में जो संशोधन रखा है उसके बाद क्लॉज़ ३७ क्लॉज़ है, वह दोनों बिल्कुल मन्शा से कॉन्ट्रेरी है। उन्होंने क्लॉज़ ३६ के अन्दर लिमिटेशन दिया था कि पांच साल से कम समय तक के लिए कोई सब-लेटिंग नहीं कर सकता। मान लीजिये कि एक आदमी फौज में सिपाही का कार्य करता है या एक सरकारी सर्विस में है और दो साल के बाद उसकी पेन्शन हो जाती है तो उसके पास वह जमीन तो आ नहीं सकती क्योंकि वह जमीन पांच साल से पहले तो ले नहीं सकता। तो फिर वह आदमी तीन साल तक क्या करेगा ? बैठे-बैठे मक्खी मारेगा या क्या ? डीडवाना से आये हुए माननीय सदस्य ने जो तरमीम रखी है उसके अनुसार अगर वह दो साल के बाद आता है तो अपने खेत से कमाई कर सकता है। इसमें मैं डीडवाना से आये हुए माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है उसको सही मानता हूं और नागौर से आने वाले सदस्यों ने जो अमेंडमेंट रखा है उसका मैं विरोध करता हूं।

एक माननीय सदस्य—नागौर से तो दो माननीय सदस्य आये हैं, आपका तात्पर्य किससे है ?

श्री भीमसिंह—मेरा तात्पर्य श्री मोतीराम चौधरी से है।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ ३७ पर जो अमेंडमेंट डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय चेयरमेन, इस संशोधन के अलावा जितने भी संशोधन माननीय सदस्यों ने रखे हैं उन संशोधनों

[श्री भैरोंसिंह]

में दो एक संशोधनों को छोड़कर कोई भी ऐसा संशोधन नहीं है जिस पर विचार किया जाय और डीडवाना से आने वाले सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है उसको किसी प्रकार एडजस्ट नहीं किया जाय। संशोधन जो दूसरे माननीय सदस्यों की तरफ से आये हैं उनमें दो बातें विशेष तौर से उल्लेखनीय हैं। एक बात यह है कि जितने भी राज्य के सेवक, कर्मचारी हैं उनको भी रियायत दी जाय या नहीं। दूसरी विचारधारा इस बात की है कि अगर उनको कोई भी किसी प्रकार की रियायत दी जाय तो उस पर रियायत पर रेस्ट्रिक्शन अवश्य होनी चाहिये। माननीय चेयरमेन, जहां तक पहला प्रश्न उपस्थित होता है, जितने भी राज्य सेवा में व्यक्ति हैं उनको इस प्रकार की रियायत मिलनी चाहिये या नहीं? इस सदन के सिवाय एक दो सदस्यों को छोड़कर, जिन्होंने अपने अमेंडमेंट दिये हैं इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है कि उनको इस बात की जरूर रियायत होनी चाहिये। लेकिन रियायत के साथ साथ कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन भी होने चाहिये जिससे उन लोगों को इस बारे में छूट न मिल सके। जहां तक मैं संशोधित मूल धारा को समझ पाया हूं उसमें एक जबरदस्त विचारधारा सामने आती है, वह यह कि शहरों में रहने वालों के और गांव में रहने वालों के बीच बड़ा भारी संघर्ष है। इसी संघर्ष की भावना को लेकर जिस प्रकार के संशोधन आये हैं वे संशोधन सदस्यों के सामने इस विचारधारा को रखते हैं।

जब कभी किसानों को राहत देने के बारे में चर्चा होती है, भूमि सुधार के बारे में चर्चा होती है तो किसानों को राहत पहुंचाने वाले सदस्य इस बात की आवाज उठाते हैं कि राजस्थान सरकार में उनको सेवा का मौका नहीं मिलता क्योंकि वे अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे न होने की वजह से उनको सरकार में नौकरी नहीं मिलती। माननीय चेयरमेन, मुझे इस समय बड़ा आश्चर्य हुआ जिस वक्त किसानों के हितचिन्तकों द्वारा इस प्रकार का संशोधन रखा गया कि जो राज्य सेवा में हों उनको इस बात की रियायत न दी जाय, यह बात उनके मुंह से सुनकर बड़ा ही दुःख हुआ। आज शहर वाले यह अवश्य चाहते हैं कि बाहर के गांव वाले जितने भी आजकल की शिक्षा प्रणाली में पलकर आते हैं उनको नौकरी नहीं मिले। इसलिये नहीं मिले कि उनके पास खेती करने का एक साधन है, वे अपना जीवन निर्वाह खेती से कर लेते हैं। शहरों में जो रहने वाले हैं उनके पास खेती के साधन नहीं, सिवाय इसके कि वे सरकारी नौकरी में जांय, और कोई रास्ता उनके पास नहीं है। यही विचार-धारा लोगों के मस्तिक में अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। अब यह सोचना पड़ेगा कि आवश्यकता किस बात की है? सभी जगह सरकार यह मानती है और जनता भी यह मानती है कि गांव के लोगों को तरजीह दी जानी चाहिये ताकि वे गांव के लोग शहर के मुकाबले स्टेन्डर्ड में आ सकें। मुझे ताज्जुब है कि इस प्रकार की मनोवृत्ति आज जनता में किसी प्रकार न हो किन्तु हम बाहर के गांवों के लोगों में इस प्रकार की भावना को पाते हैं। मैं यह मानता हूं कि इस प्रकार की विचारधारा समाज कल्याण का साधन नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी जहां हम पढ़े-लिखे लोगों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं

श्री भैरोंसिंह]

तो हमें यह भी चाहिये कि जिनके पास खेती के लिए जमीन है उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन न हो। अगर खेती की जमीन है तो नौकरी न दी जाय, इसको हम मान्यता न दें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास जमीन है और वह नौकरी में चला जाता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार की रेस्ट्रिक्शन्स नहीं होनी चाहिए। अगर हम रेस्ट्रिक्शन डालते हैं, जितने भी सिविल सर्विस में हैं या मिलिटरी सर्विस में जायेंगे उनपर तो अगर खातेदार है तो अपनी जमीन को किसी प्रकार भी सब लेट नहीं कर सकेंगे। दूसरे सेन्स में यह मतलब हुआ कि काश्तकार सर्विस में नहीं जा सकता, अगर जाता है तो अपनी जमीन को सब-लेट नहीं कर सकता और जब जमीन का सबलेट नहीं कर सकता तो उसको अपनी जमीन पड़त रखनी पड़ेगी और पड़त रखने पर अन्य कानून के अनुसार वह जमीन दूसरे लोगों को काश्त के लिए दे दी जायगी। इस प्रकार के जो संशोधन है और उनको स्वीकार कर लिया गया तो यह उन लोगों के साथ जबरदस्त अन्याय होगा।

अब सवाल यह रह जाता है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन इम्पोज़ करना चाहिये या नहीं। ३०० से ऊपर की तनखा पाने वाले हैं उनको इस प्रकार की रियायत नहीं मिलनी चाहिये। ऐसा संशोधन जो जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है, इन्डियन आर्म्ड फोर्स में जो नौकर हैं। उनपर यदि यह रेस्ट्रिक्शन हो जाता है तो कोई भी किसान फौज में सर्विस करने को राजी नहीं होगा। जहां तक उनकी पार्टी का प्रश्न आता है वे चाहते हैं कि इन्डियन आर्म्ड फोर्स की स्ट्रेन्थ बढ़ानी चाहिये। यह प्रस्ताव वे अपनी पार्टी की नीति के आधार पर करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जहां तक इन्डियन आर्मी को सर्विस का प्रश्न आता है हमें इस प्रकार की छूट देनी पड़ेगी। राजस्थान में ही नहीं बल्कि अन्तराष्ट्रीय परिस्थिति इस प्रकार की हो रही है कि पता नहीं कब विश्व के अन्दर में अशान्ति का बोलबाला हो सकता है। राजस्थान को ही नहीं भारत सरकार को ऐसे लोगों की सेवाओं की आवश्यकता है जो आर्मी में भरती हों। राजस्थान किसी अन्य प्रान्तों के मुकाबले सेनामें कम आदमी नहीं भेजता, अतःयहां के निवासियों को जितनी रियायतें दीजायं उतनी दी जानी चाहिये। भारत सरकार भी देने को तैयार है और देती है। यह समय आज नहीं किन्तु वह समय दूर नहीं जब कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती है कि विश्व में अशान्ति फैल सकती है और काफी लोगों को फौज में जाना पड़े। अगर हम यह संशोधन कि ३००) रुपये से ज्यादा तनख्वाह पाने वाले को यह सुविधा न दें कि वह अपनी जमीन को सबलेट नहीं कर सकता तो कोई भी फौज में भरती नहीं होगा। जैसे मान लीजिये कि एक व्यक्ति सैनिक के रूप में सेना में भरती होता है और वह धीरे धीरे अपने कार्य से सूबेदार हो गया तो उसका वेतन आसानीसे ३००) रूपये तक पहुंच जायगा। अगर वह इसही डरसे थोडी देर के लिये मान लें कि आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करें तो इससे ? देशको नुक्सान होने वालाहै क्योंकि जब कोई बाहदुरी का कार्य करता है तभी उसका वेतनबढ़ता है, उसको ऊंचे ओहदे पर मुकर्रर करते हैं; तो वह हमेशा यह सोचता रहता है कि उससे ऐसा काम करना चाहिये जिससे उसको तरक्की मिले। तनखा के साथ साथ वह यह भी चाहता है कि उसको जो खातेदारी के हक मिले हुए हैं उसको कोई न छीन सके, उसका अपनी मिल्कियत पर कब्जा रहे और जिस

[श्री भैरोंसिंह]

प्रकार आर्म्ड फोर्सेज़ के लिये जो सुविधा है उसी प्रकार की सुविधा सिविल सर्विस वालों को भी होनी चाहिये। इसलिये जोधपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो रखा है उसको मानने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। उनका यह भी कहना कि सिविल सर्वेन्ट को इस प्रकार की सुविधा दी गई तो काम मेंएफीशियेन्सी नहीं रहेगी, ठीक नहीं है। आप एफीशियेन्सी का नाम लेकर उन पर सोश्यल इनजस्टिस कर रहे हैं। इस प्रकार से मेरा यह निवेदन है कि इसप्रकार के संशोधन को स्वीकार नहीं करना चाहिये।

एक संशोधन श्री मोतीराम जी ने रखा। उनका कहना है कि माइनर, विडो, इडियट, लुनेटिक इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसके साथ 'फादरलेस' यह, शब्द एडजस्ट किया जाय। जो कोई भी खातेदार होगा चाहे वह विडो हो, माइनर हो, इडियट हो या लुनेटिक हो; इसमें इस बात की आवश्यकता नहीं कि फादरलेस होने से वह काश्त नहीं करवा सकता। यह हमें सोचना ही नहीं चाहिये। हमें तो सोचना यह है कि वह खातेदार है या नहीं, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मेरा यह निवेदन है कि हरएक को इस बात की रियायत होनी चाहिये कि वह अपनी जमीन को सब लेट कर सके।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि उनके जो दोनों संशोधन हैं वे काबिले मन्जूरी नहीं हैं। दूसरा संशोधन जोधपुर वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है। वह भी विचार करने योग्य नहीं है। हां, त्यागीजी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करते हुए इसी के साथ में निवेदन करूंगा कि डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जावे।

श्री ईश्वरीसिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं भी थोड़ी सी अपनी टूटी-फूटी भाषा में कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहले तो मैं ऐसा सोचता था कि कांग्रेस हुकूमत किसानों के साथ अन्याय कर रही है, पर अब यह बात मेरे ध्यान में आ रही है कि हुकूमत अन्याय नहीं कर रही है, ये १६० जो मेम्बर हैं वे अन्याय कर रहे हैं। यह क्यों और किस तरह कर रहे हैं ? पहले तो ये अपना शिकार काश्तकार की ही आड़ में करते थे, पर अब दूसरी आड़ और मिल गई है, स्त्रियों की आड़ में अब मैं सुन रहा हूँ कि वे अपना शिकार करना चाह रहे हैं। अगर वे स्त्रियोंका दुख वास्तव में मिटाना चाहते हैं तो बहुत श्रेष्ठ तरीके से मिटा सकते हैं। जिस वक्त रामचन्द्रजी को वनवास दिया गया उस वक्त सीताजी के द्वारा उपदेश दिया गया था कि सारे संसार की सेवा करो। रामचन्द्रजी की सेवा करते बन में साथ रहीं और भी जो सीताजी ने गाया है। स्त्रियों का धर्म तो यह है कि पुरुष के बिना स्त्री की कोई गति नहीं और न कोई धर्म। चाहे सास की सेवा करो चाहे संसार की सेवा करो।

तो स्त्रीयों का दुख तो तभी मिट सकता है जब कि उनका समान आदर किया जावे, पुरुष के बराबर उसको अधिकार मिलें।

गोपीलालजी इतना बड़ा आदमी है। पचास बीघा जमीन के अपने फायदे के वास्ते वे चाहते हैं कि दुनियां का प्रलय भले ही हो जावे पर उनको जमीन जो है वह रहनी चाहिये। तो

[श्री ईश्वरीसिंह]

किसान को फायदो इस तरह से नही हो सकेगा। वे दुनिया का विरोध करते हैं तो मेरी समझ में यह बात ठीक नहीं है।

तो हरेक आदमी के पास जमीन होनी चाहिये, यह बात ठीक है; पर मैं कहता हूं कि आदमी को अपना भला सोचते समय दुनिया का भला भी सोचते रहना चाहिये। सुराज तभी हो सकता है जब दुनिया ईमानदार बने। जैसा अपना स्वार्थ है वैसा ही दूसरों का स्वार्थ समझे, अपने स्वारथ के लिए दूसरों को नुक्सान न पहुँचावे। तो जब तक हम सब ईमानदार नहीं होते तब तक अकेली सरकार क्या करे? वह तो सबका भला करना चाहती है, किसान का भी भला चाहती है पर हम उसकी पार नहीं पड़ने देते। तो दोष सरकार का नहीं है, अपना है।

तो मेरे कहने का मतलब इतना ही है, मैं मथुरादासजी के अमेन्डमेन्ट का और त्यागीजी के अमेन्डमेन्ट का तो समर्थन करता हूँ और बाकी सबका विरोध करता हूँ और सोचकर इस चीज को सरकार करे। स्त्रियों के दुख को मिटाना बहुत खुशी की चीज है। हजारों वर्षों से हमने स्त्रियों पर दबाव डाला है, उनको तकलीफें दी हैं। अब भी ऐसी चीजों से उसका दुख पूरी तरह से नहीं मिटने वाला है। अगर उसका दुख मिटाना है तो उसे भी आदमी के समान बराबर का हक देना चाहिये।

और काश्तकार का दुख मिटाना चाहें तो वह भी साफ साफ खुले आम आ कर हमें करना चाहिये। उनकी आड में शिकार आप क्यों करते हैं? आज तो आम काश्तकार की हालत बड़ी दर्दनाक है। उसके तन पर अंगरखा नहीं है, पूरी तरह पहने को नहीं है, पैरों में जूते नहीं हैं, रहने को अच्छी सी झोंपड़ी भी नसीब नहीं है, और फिर उसकी मिहनत का पूरा पूरा मुआवजा भी उसे नहीं मिलता। तो मैं ज्यादा नहीं कहकर इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं मथुरादासजी और त्यागी जी के संशोधनों का समर्थन करता हूँ और दूसरों का विरोध करता हूँ।

श्रीमती कमलाकुमारी वेनीवाल—माननीय अध्यक्ष, क्लॉज़ ३७ के अन्तर्गत जो संशोधन रक्खे गये हैं उनमें से मुझे भी दो संशोधनों के बारे में कुछ कहना है।

पहला जो संशोधन है वह रेस्ट्रिक्शन का है। जो मिलिटरी, नेवल या एयर सर्विस में हैं उन पर यह स्ट्रिक्शन लगाई गई है कि जो सो रुपया से अधिक तनख्वाह पाते हैं उनको ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह रेस्ट्रिक्शन इन सर्विस वालों पर नहीं रहना चाहिये। इनके ऊपर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है और एक विशिष्ट प्रकार की इनकी सर्विस होती है। वे अपने जी जान से अपने तमाम सगे-सम्बन्धियों को छोड़कर और अपने घर को छोड़कर देश की रक्षा के लिए जूझते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन पर ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगाना उचित नहीं होगा। अगर हम ऐसी रोक लगाते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि जी जान लगाकर वे जो काम करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए उसमें कमी आवेगी और जिस तरह के योग्य बहादुर और कर्मठ कमान्डर और सैनिक वगैरह होने चाहिये, उस तरह के वे नहीं बन पावेंगे।

[श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल]

दूसरा जो संशोधन है वह हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए। इसमें संशोधन यह रक्खा गया है कि जो सिविल सर्वेंट्स पर पाबन्दियां लगाई गई है इस सम्बन्ध में वे हटा दी जावें। जो इस प्रकार है "Or who holds a civil post under the State or union Government"; इसको डिलीट कर दिया जावे। इसको डिलीट करने से एक तरफ तो यह कहा जाता है कि अगर इसको डिलीट कर दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि किसान का बच्चा बहुत बड़ी सर्विस पर नहीं जा सकता है, वह छोटी सर्विस कर सकता है और फिर जमीन भी उसके पास काफी नहीं है कि जिससे वह अपना गुजारा ठीक तरह से कर सके। तो अगर कोई किसान का बच्चा दोनों ही तरह से अपनी आजीविका अर्जन करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में अगर इसे हम डिलीट कर देते हैं तो इससे उसकी मुसीबत हो जाती है।

दूसरी तरफ यह शक पैदा होता है कि अगर इसे रखते है तो इसका मतलब यह होगा कि जो छोटे सिविल सर्वेन्ट्स हैं उनको बिल्कुल फायदा नहीं होगा और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या जिसको बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं उनको इससे ज्यादा फायदा होगा।

एक तरफ यह भी कहा गया है कि इसमें सभी को छूट दी हुई है, लेकिन प्रोविजो तो दूसरा है। इसमें इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि कलेक्टर यह देखेगा और जांच करेगा और अगर कोई ऐसी बात होगी तो वह इसको परमिशन नहीं देगा। पर यह जो सैकिंड प्रोविजो है जिसको कि सारे को ही अन्डरलाइन किया हुआ है, पर फिर भी इसमें फोर्स नहीं है इसलिए इसको तो डिलीट ही किया जावे। तो मेरा तो यह कहना है कि इसको न तो डिलीट ही करने की आवश्यकता है और न जैसा का तैसा ही रखने की आप कोशिश करें। इसमें जो रेस्ट्रिक्शन मिलिटरी, एयर और नेवल फोर्सेज की सर्विस वालों पर लगाई गई है उसे वहां से तो हटाकर दिया जावे और सिविल सर्वेंट्स पर यह रोक लगा दी जावे कि इतनी तक को जो तनख्वाह पाने वाला है उसको इस तरह का अधिकार होगा। बाकी जो उनसे बड़े हैं उनको ये अख्तियार नहीं होने चाहिये।

तो इस तरह ये दोनों तरह की जो असुविधाएं हैं वे इस तरह से हल हो जावेंगी। एक तरफ डिलीट नहीं करने से जो यह खतरा है कि मिलिटरी में किसान के बच्चे को नुकसान होगा और दूसरी तरफ यह खतरा है कि ज्यों के त्यों रख दिये जाने से बड़े बड़े कर्मचारियों को फायदा होगा और वे ही इसका फायदा उटा सकेंगे और छोटे को फायदा नहीं होने वाला है; तो अगर यह रेस्ट्रिक्शन वहां से उठाकर इधर लगा दिये जावें तो इन दोनों समस्याओं का समाधान हो जावेगा और यह अच्छी चीज रहेगी।

श्री बलवीर सिंह—माननीय अध्यक्ष, मैं मोतीलाल जी चौधरी ने जो तरमीम रखी है खास तौर से उसका समर्थन करूंगा और उसके बाद में जो सदन का वातावरण इस ढंग का चल रहा है कि हकीकत में वह किसानों की मदद करना चाहते हैं या किसानों की आड़ में वह कुछ और चाहते हैं, इस पर अपने विचार रखूंगा।

[श्री बलवीरसिंह]

इस बारे में मैं आपको बताऊं कि किसानों की भलाई करने वाले मेरे खयाल से सरमायेदारी को पनपाना चाहते हैं। आज मेरे खयाल से किसानों के बारे में सभी नहीं जानते हैं। किसानों के सुख-दुख के बारे में, किसानों की परेशानी किस तरीके से होती है और उसका कोई अगर जरिया दूर करने का है तो कौन सा है, यह मेरे खयाल से उन माननीय सदस्यों में से एकाध के सिवाय किसी को मालूम है नहीं। जो माननीय श्री मोतीलालजी की एक तरमीम है कि फादरलेस माइनर हो तो यह इस बात का जो अमेंडमेंट है उसके पीछे एक बेकग्राउन्ड है और उसके पीछे एक चीज है और वह यह है कि जिसका फादर जिन्दा है और महज इसलिए कि उसके नाम खेत बता दिया जाय वह उसकी आड़ में शिकार खेलना चाहते हैं। वह उसके नाम से सबलेटिंग करना चाहते हैं। वह उस नाम से एक्सप्लॉइटेशन करना चाहते हैं। उस नाम से गरीब लोगों को ठगना चाहते हैं। इसके सिवाय उनका मेरे खयाल से, कोई मकसद नहीं है।

विडोज़ के बारे में जो कहा गया और यहां तक कहा गया कि उनके स्थान पर 'स्त्रियां' कर दी जायं। इस बारे में कतई अपनी डिफरेन्ट ओपीनियम रखता हूं। इस सिलसिले में रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत से ताजे उदाहरण हैं। माइनर के बारे में तो सीकर जिले की तहसील फतेहपुर में दो साल के बच्चे के नाम एक बहुत बड़े जागीरदार ने खाता तब्दील कराया है। मैं नहीं समझा कि उसके फादर जिन्दा हैं और ग्राण्ड फादर जिन्दा है, मदर जिन्दी है, लेकिन महज उसके नाम पर और अपने सारे खानदान के नाम पर २२०० बीघा जमीन कर दी है। बाकायदा जमीन एक खानदान के नाम है २२०० बीघा। मैं दावे के साथ कहता हूं। दूसरे सबटिनेन्ट उनकी जमीन काश्त करते हैं, लेकिन इस तरह की नीति किसानों को बरबाद करने वाली है, किसानों को तबाह करने वाली चीज है। माननीय चेयरमेन, मैं इस सदन को इस बारे में कहूं कि इसके लिए २ मास से वह किसान जेल में है। खेत के अन्दर जाने से रोका जाता है। खेत के अन्दर जाने से पाबंद किए जा रहे हैं। छोड़े नहीं जा सकते हैं। उसके स्त्री-बच्चे सब जेल में हैं। सारा का सारा कुटुम्ब जेल में है इसलिए डलवा दिया जाता है कि उसके नाम काश्त गिरदावरी नहीं हो और डेढ़ साल या ६ महीने और १० महीने के बच्चे के नाम पर खेत की गश्त करा रहे हैं। उसके कुटुम्ब के अन्दर १२ या १३ आदमी हैं। २१०० या २२०० बीघा जमीन एक या दो आदमियों के नाम काश्त गिरदावरी नहीं कराई जा सकती है। इसके पीछे एक बेकग्राउन्ड है। माइनर्स के नाम, विडोज़ के नाम, स्टूडेन्ट्स के नाम अलग अलग तरीके से, जुदा जुदा तरीके से, अलग अलग खेत तब्दील करा लिए जायं और सबलेटिंग एलाऊ किया जाय तो किसान के पास से बड़े बड़े जागीरदार और बड़े किसान भी हो सकते हैं, जिनके पास हजार या दो हजार बीघा जमीन है वह भी जागीरदारों की श्रेणी में आजाते हैं, जमीन चली जायगी और यह सरमायेदारी की व्यवस्था कायम रहेगी। इस तरह से पूंजीवादी व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं। दूसरी ओर वे रखते हैं कि जो सबटिनेन्ट हैं, जो गरीब लेण्ड होल्डर्स हैं, उनको आगे किसी तरह का मौका न मिल जाय इसलिए उनके रास्ते में रोड़े अटकाये जाते हैं। अब इस तरह की चीज आगे नहीं चलने वाली है और हमारे अधिकारों को इस तरह से कुचलने नहीं दिया जा सकता है। हम भी आखिर इन्सान हैं। हम भी जिन्दा रहना चाहते हैं।

[श्री बलवीरसिंह]

इस तरह की बातें उनके कुचलने के लिए की जा रही है। महज सारी की सारी ताकत खत्म कर दी जाय। उनकी इस तरह की हालत पैदा करदी जाय, उनकी इस तरह की स्थिति बना दी जाय कि वह अपनी स्थिति न सुधार सके आज की जो व्यवस्था है उसको इस तरह से मजबूत कर दिया जाय कि आने वाले जमाने में वह गरीब आदमी मतलब कि जिनके पास जमीन नहीं है, आज जो सबटिनेन्ट हैं वह कभी भी खातेदारी के राइट्स नहीं ले सकें। खातेदार नहीं बन सकें। जुदा जुदा नामों से जमीन खातेदार अपने अधिकार में रखें और उनका एक्सप्लोयटेशन करते रहें। दूसरे गरीब लोग हैं वे भी आगे नहीं बढ़ सकें। इस तरह की स्थिति सरकार पैदा करना चाहती है जिससे सब टिनेन्ट्स और लैंडलेस लेबरर्स बरबाद होते रहें।

इसी तरह की बेकग्राउन्ड सर्विसेज़ के बारे में है। पब्लिक सर्विस में जो बड़े बड़े लोग आते हैं उनके पास आज जमीनें हैं। उतनी ही नहीं वे और भी ज्यादा जमीनें ले सकते हैं, क्यों कि उनके हाथ में ताकत है। उनकी सारी की सारी जमीनें अपने नाम पर हैं और दूसरे काश्तकारों से काश्त कराते हैं। मेरा खयाल है कि हमारे सरमायेदार इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं। उनके पास इस तरह के साधन हैं, इस तरह की ताकत है जिसके बलबूते पर किसी भी किसान को खेत से अलग करके उसकी जमीन अपने नाम तब्दील करा सकते हैं। वह खातेदार उसके हो सकते हैं और उसके बाद में, मेरे खयाल से, उनके खिलाफ कहने सुनने वाला कोई नहीं होगा क्यों कि उनके हाथ में ताकत है। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के बारे में जैसा कि मि० एच० के० व्यास का एमेंडमेंट है कि सौ रुपये से ज्यादा तनख्वाह पाने वालों के लिए यह रेस्ट्रिक्शन कतई न हटाया जाय। मैं भी यही राय रखता हूं। यह बिल्कुल दुरुस्त है।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि आम तौर से होता क्या है कि गांव से जितने किसान मिलिट्री में जाते हैं या यहां सर्विस में हैं तो उनके पीछे उनके फेमिली मेम्बर्स रहते हैं। वह जमीनों पर काश्त करते हैं। एक दो केसज हो सकते हैं जिनमें, मेरे खयाल से, परेशानी हो नही तो इस तरह की परेशानी नहीं आती है कि जमीन चली जायगी और यह हो जायगा और वह हो जायगा। इस तरह किसान का नाम लेकर दूसरे यानी जिनके पास में ज्यादा जमीनें हैं उनको वह अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। वह खेतिहर मजदूरों को या शिकमी काश्तकारों के पास जमीन नहीं जाने देना चाहते हैं। वह हर तरह से कुचलना चाहते हैं।

माननीय चेयरमेन, मैं आपके जरिये इस सदन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह इस तरह की बातें करके जिसमें कि आड़ के अन्दर शिकार खेले जाते हैं, जिसमें कि किसान का नाम लेकर बड़े बड़े किसानों और जागीरदारों को डिफेन्ड करते हैं,जो उनका पक्ष लेते हैं वह उस चीज को सोचें और सोच कर इस तरह की चीज इस कानून में नहीं लगायें जिससे केवल किसानों की बरबादी हो और लोग यह कहे कि रिएक्शनरी गवर्नमेंट इस तरह का एक्ट बना गई है कि जिसमें गरीब लोगों के लिए

[श्री बलवीरसिंह]

कोई इस तरह की बात नहीं है, गरीबों के लिए इस तरह का चारा नहीं कि आगे जिन्दा रह सकें और अपने हक-हकूक के लिए झगड़ा कर सकें तथा अपने अधिकार प्राप्त कर सकें। इसलिए मैं, माननीय चेयरमेन, मैं आपके जरिए सदन से निवेदन करूंगा कि इसको पास करने से पहले सोच लें, समझ लें और देखलें कि किसान का हित किसमें है।

श्रीमती यशोदादेवी—अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान राज्य कृषि प्रधान राज्य रहा है। किसानों की भलाई के नाम पर जितने भी कानून बनाये जा रहे हैं वे उनको उलझन में उलझा रहे है। समज में नहीं आरहा है कि राजस्थान के कृषकों के लिये इतना बड़ा विधान बनाया जा रहा है और यह भी विधान ऐसा कि एक शख्स ऐसा महसूस कर रहा है कि यह कृषि विधान, यह टिनेन्सी एक्ट जो बनाया जा रहा है यह सिर्फ भिन्न भिन्न प्रान्तों से लेकर बनाया गया है। यदि यहां यू.पी. के एक्ट की नकल नहीं की जाती है, या पंजाब के एक्ट की नकल नहीं की जाती या अन्य प्रान्तों की नकल नहीं की जाती और माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब राजस्थान के प्रान्त भर में कौने कौने में दौरा करके वहां की हालत देखकर इस विधान को बनाते तो जहां तक मैं महसूस करती हूं इसमें इस तरह की धाराएं बार बार काम में नहीं ली जातीं। इस विधान में "विधवा,, शब्द काम में लाया गया है उससे झगड़ा बढ़ गया है। यदि महिलाओं को सब हकूक बराबर देने का विचार होता तो मैं कहती हूं कि विधवा, शब्द की जगह "स्त्री,, शब्द होता तो आज यह स्कीम नहीं होती।

इसी प्रकार मै कहूंगी अध्यक्ष महोदय, कि सिविल सर्विस वालों को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये। आप यदि वेतन पानेवालों को यह अधिकार देना चाहते हैं तो महिलाओं के लिये आप क्या सोच रहे हैं? आज गावों में जाकर यदि आप देखेंगे तो वहां विधवाओं की जो हालत है वह बहुत ही सोचनीय है। आप वहां देखेंगे कि एक विधवा अपने पांच पांच, छ. छ बच्चों को २-३ बीघा जमीन में किस तरह बैल किराये पर लेकर मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है? तो क्या कारण है कि उनको संविधान के अनुसार बराबर हक नहीं दिये जांय और विधवा शब्द लगाकर इस कानून में आप अड़चन पैदा कर रहे हैं? इस जगह "स्त्री,, शब्द किया जाय। मैं निवेदन करूंगी कि रेवेन्यु मिनिस्टर साहब अच्छी तरह से अध्यन करें और अपने प्रान्त की सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करेंगे तो ये धाराएं इस में बार बार अड़चन पैदा नहीं करेंगी। इतना कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करना चाहती हूं।

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय...

श्री खेतसिंह—अध्यक्ष नहीं, चेयरमेन महोदय कहो!

श्री श्रीदास गोयल—चेयरमेन महोदय, इस अमेन्डमेन्ट के सिलसिले में बहुत से मित्र बोल चुके हैं। मुझे भी कुछ शब्द इस सिलसिले में अर्ज करने हैं। हम कई व्यवहारिकता से परे चले जाते है। कई मित्रो ने यह कहना शुरू किया कि सिविल सर्वेन्ट्स को बिल्कुल राहत नहीं दी जाय। इस सिलसिले में श्रीमती कमला बेनीवाल ने जो प्रस्ताव रखा था कि १०० या १५० को तनख्वा पानेवालों तक सीमित कर दिया जाय, उस पर जरूर जोर देना है। वह इसलिये कि बड़ी तनख्वा पानेवालों को तो रिटायर होने पर पेन्शन भी अच्छी मिलेगी और बमुकाबले हजारों लाखों भारतियों के पेन्शन मिलने के बाद भी उनको आर्थिक हालत अच्छी रहती है लेकिन जो गरीब लोग हैं, स्कूल मास्टर हैं, चपरासी हैं उनको पेन्शन मिलने के बाद परेशानी उठानी पड़ती है और नौकरी के वक्त भी यह काफी नहीं होती कि जिससे वे अपना भरण पोषण अच्छी तरह से कर सकें। ऐसी अवस्था में यह अमेन्डमेन्ट बहुत दुरस्त है और लिमिट होना जरूरी है; जैसे कपिलदेवजी ने २५० रू०की लिमिट बताई और कमलादेवी ने १५० की लिमिट बताई और यदि वह २०० रू०को लिमिट रखो जाती है तो ठीक हो जाती है। अनियमित रहना ठीक नहीं है। लिमिट नहीं रखने से बहुत से बड़े कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा जिसका बहुत सी नजीरें हैं ऊंचे तबके के गजेटेड बड़े ऑफिसर्स ने सैकडों बीघा जमीन ली है, किसानों को बेदखल करके उनकी जमीने ली है। येन-केन प्रकारेण उन्होंने जमीन लेना शुरू किया है। सिविल सर्वेन्ट्स को प्रोटेक्शन देना चाहिये लेकिन वह जायज तरीके से देना चाहिये।

श्रीमती यशोदा देवी ने कहा कि "विडो" शब्द ठक नहीं है इसके स्थान पर 'स्त्री' शब्द रखना चाहिये। 'विडो'शब्द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और 'स्त्री'शब्द वाइड है इसलिये इसको रखना ठीक नहीं है बल्कि जब खाविन्द मर जाता है तब विडो हो जाती है तब परिस्थिति आती है कि उसके पीछे देख-भाल करने वाला कोई नहीं होता इसलिये सब-लेटिंग की आवश्यकता पड़ जाती है; इसलिये 'विडो वर्ड ठीक है। आपने पंजाब, यू. पी. आदि का जिक्र किया। मैं मानता हूँ कि राजस्थान इतना लंबा चौड़ा है जिसमें भिन्न भिन्न तरह की परिस्थितियां हैं। बीकानेर को देखिये, अलवर भरतपुर को देखिये जहां अलग अलग तरह के रिवाज हैं और जो लाजमी तौर से लिये जाने चाहिये वे सहर्ष लेने चाहिये। उनका विरोध करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। मुझे यह अर्ज करना था।

श्री श्रीभानसिंह—Mr. Chairman, Sir, of course with my friend Shri Sri das Goel it is always a confusion worse confounded and some of the Members who proposed amendments, if I am permitted to say, their amendments were rather not from heads but from their nats. I will not name them but Mr. Sridas Goel said that the word 'widow' covers all types of females. I do not know what ingenuous proposition he makes by this. but 'widow' means widow and on that he preceeded to deny the rights of women. It is high time that we must consider women as persons, as people, because I will be again traversing the ground which I covered while discussing Clause 27-In a democracy in order that women have their rightful claim and rightful status we must guarantee them their

[श्री श्रीमानसिंह]

right to possess property. Sometimes we limit that right by the use of the term 'personal law', sometimes we limit it by the use of the term 'widow' and sometimes we limit it by the term 'women'. After all, we are all living in the 20th century. It is time that we must treat women as our people.

I was amazed to see that Mrs. Beniwal, the second representative of women here, did not come out to fight for her rights. I must compliment Mrs. Yashoda.

(A voice 'She is not Mrs.')

Mrs. Yashoda Devi for claiming her right in the midst of this man-dominated legislature, as against the society dominated by men.

We formulate laws with a view so far as we are affected, and not looking as to how far women-folk's rights are affected. Therefore,it is very essential that the word 'female' must be incorporated instead of 'widow'.

Secondly, it will be rather, as I spoke some time before, some of my friends place their amendments from their nats instead of their heads; but when I speak on these amendments I must speak from my head. I mean to say that the amendment seeking to delete the word 'military', that the people serving in military should be excluded from that, I am rather amazed that Mr. Gopilal Yadav supported the amendment. They are the people who go out to sacrifice themselves for their nation. We are more theoretical, we can only talk here. But their life is very short and if we were to deprive them of their rights it will be rather injustice. It is our duty that we should not discourage them. We should gurantee to our defence forces more security. We should see, we should visualise the international situation and leave them alone.

Thirdly there was a long discussion regarding the civil servants. Well, one of my friends Mr. Man Singh, supported that the civil servants must have the right to possess unlimited land even if they receive fabulous salaries. Well, sir, we are out to create a democracy, equality of income. We are out to prevent also concentration of income in the hands of a few. It is only with this end in view that we started with the slogan 'Land to the tiller' that the tillers of the soil must be the owners of it. In progressive countries, legislation has been formulated where people must have income from one source only. Civil servants draw Rs. 500/-or 300/-, as well as land. That means we guarantee to them an income of Rs. 1,000-per month.

Page No.69

[श्री श्रीमानसिंह महार]

whereas if we go deeper we will clearly find that we want to perpetuate the poverty of a low-paid man, while another man is getting Rs. 1500 per month. It is here that the essential phases of democracy, namely, the antagonism between poverty, property and democracy come in. No doubt we do not suspect the integrity of the civil servants, we do not suspect the character of the civil servants, but certainly we suspect the intentions of the legislators who allow the concentration of income into their hands.

By democracy, we essentially mean, what I said the antagonism of democracy is between three forces, the forces of poverty, property and democracy. If we support the concentration of income, that means for all times to come that we are supporting privileged people, we are supporting property against poverty, we are supporting property against democracy. And we are out here to safeguard the rights of the poor people. It is here that tenancy legislation must specifically refer to the tenants alone and not other persons who derive double income.

In China, after the world war II, the latest tenancy legislation was in China, and I may refer here that in China double incomes are only provided to those people who can substantiate their income, whose income from one source is not enough. Therefore, the amendment proposed by Mr. H. K. Vyas though I am alway ssuspicious of any amendment put forward by him, but any way, we must take that Rs. 100/- is, I think the maximum income, that anybody having a salary of more the Rs.100/- must be prohibited from sub-letting. Not only this, I would go to the extent that the gentleman who is in the service and drawing more than Rs. 100/- should be prohibited from possessing any land. Let him have children, let him have relatives, let him have land, but he cannot at the same time draw an income that is more than double or triple the per capita income of the common man whose rights we are here to safeguard.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय चेयरमेन, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस खण्ड के बारे में जवाब बाद में दूंगा। खण्ड ३६ और ३७ को अभी पेन्डिग रखिये।

श्री सभापति—क्योंकि मिनिस्टर महोदय खण्ड ३६ और ३७ के मुतल्लिक जवाब बाद में देना चाहते हैं इसलिए इन क्लॉज़ेज़ पर विचार स्थगित करते हुए आगे के खण्ड लिये जाते हैं।

[श्री सभापति]

खंड ३८

क्लाज़ ३८, श्री मथुरादास माथुर

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Chairman, Sir, I moved an amendment so far as clause 38 is concerned, that it should be omitted, I do not want to move this amendment. This clause shall remain as it is.

श्री सभापति—क्लॉज़ ३८ की बाबत श्री मथुरादास माथुर का अमेंडमेंट था और वह उसे मूव नहीं करना चाहते इसलिये वह अपने आप ही गिर जाता है।

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३८ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३८ ए, श्री मथुरादास माथुर।

श्री माथुरदास माथुर—Mr. Chairman, Sir, my amendment to Clause 38 A is that Clause 38 A be omitted, because this clause reads:-

"Every transfer made in contravention of the provisions contained in sections 31 to 37 shall be void" Now I wish the deletion of this clausc form here and dwish to add it further at the end of clause 39. It means that after 39 D this clause will become 39 E, because all these transfers are dealt with by sections 39 and 39 A, 39 B, 39 C, and 39 D.

So my amendment is already moved. 39 E will be in the same language In place of "Every trarsfer made in cotravention of the Provisions contained in 31 to 37 shall be void"

it shall be like this: "Every transfer made in contravention of the provisions contained in this chapter shall be void." Instead of clauses 31 to 37 I have made the whole chapter. This makes the whole-claue very comprehensive and covers almost the whole of this chapter.

[श्री मथुरादास माथुर]

This is why it is a simple amendment and I put it before the House for acceptance.

(श्री राजस्व मंत्री की मौन स्वीकृति के पश्चात्)

श्री सभापति—इस पर और कोई अमेंडमेंट नहीं है।

The question is that the amendment moved by Shri Mathur be accepted.

(स्वीकृत)

The amendment is accepted.

(विराम)

The Question is that the clause as amended......

श्री मथुरादास माथुर—At this stage we can only decide to delete this because it is a negative amendment.

श्री सभापति—Yes.

श्री मोतीलाल चौधरी—३९ पर जो अमेंडमेंट है उसको वे मूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्लॉज़ ३८ को रिमूव कर रहे हैं। ऐसी हालत में पोजीशन क्या होगी।

श्री मथुरादास माथुर—I explain this. This is going to come in another from at the end of 39 E; it means 39 E, and the members may not suffer from any apprehension that if we delete what is going to happen to a contravention if this transfer takes place.

श्री हिम्मतसिंह अटरू (सभापति)—अमेंडमेंट्स की लिस्ट सब सज्जनों के पास आ चुकी है, माननीय मंत्री महोदय की यह राय है कि इसको बाद में ले लिया जायगा, इसमें मुझे कोई आपत्ति नजर नहीं आती है।

श्री मोतीलाल चौधरी—जब ३९ डी आयेगा तब तो आप संशोधन प्रस्तुत करेंगे अभी तो ३८ ए को रिमूव कर रहे हैं, पहले ३९ डी तो नहीं ले रहे हैं, वैसी हालत में पोज़ीशन क्या होगी ?

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, इसमें कोई परेशानी नहीं आती। इस वक्त मूव कर लिया जाता है और बाद में नहीं किया है तो इसमें कोई परेशानी पैदा होने की बात नहीं है। इससे कोई कानूनी उलझन पैदा नहीं होती। इसको डिलीट करने में खामोख्वाह वेहक पैदा नहीं करना चाहिये।

श्री सभापति—इसी क्लॉज़ पर श्री जवानसिंह का अमेंडमेंट है।

श्री जवानसिंह—मैं अपना अमेंडमेंट मूव करना नहीं चाहता।

श्री सभापति—३८ ए में जो अमेंडमेंट श्री मथुरादासजी माथुर ने रखा है वे मूव नहीं करना चाहते और श्री जवानसिंहजी भी अपना अमेन्डमेंट मूव नहीं करना चाहते। अतः ३८ ए एज़ अमेन्डेड पास करने की बाबत सम्मति ली जाती है। क्या यह विधेयक से पृथक किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३८ ए विधेयक से हटाया गया,

(विराम)

क्लॉज़ ३९, श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर—Now, Sir, Clause 39 reads :—

"Exchange of land--(1) Tenents of the same class may agree to exchange land..."

Now I want to delete the words in the original clause 'agree to in sub-clause (1) of clause 39. So it would become :—

"Tenents of the same class may exchange land which they hold from the same landholder with the consent of such landholder."

The words 'agree to' has deleted.

I place it before the House for acceptance.

श्री चांदमल मेहता—Mr. Chairman, Sir, I beg to move the following amendment to clause 39 :

" Insert the word 'written, before the word 'consent' in the last line of sub-clause (1)."

[श्री चांदमल मेहता]

"(b) Insert the following :—

'or which they hold from different land-holders with the written consent of all such persons'

after the word 'land-holder' in last line of sub-caulse (i)."चैयरमैन साहब, यह क्लॉज़ ३९ इस प्रकार है :

"Tenants of the same class may agree to exchange land which they hold from the same landholder with the consent of such landholder." यह with the consnt है इसके पहले मैने "with the written consent of such landholder " रखने के बारे में मेरा यह अमेन्डमेन्ट है।

जहां तक कि कन्सेन्ट का सवाल है वह इसके अन्दर है। लेकिन अगर रिटनकन्सेन्ट होती है तो इससे लेटिगेशन होने का मौका नहीं आता। यह भी हो सकता है कि लेण्ड होल्डर जुबानी अपनी कन्सेन्ट दे दे पर बाद में राइटिंग में स्वीकृति न दी गई हो तो लिटिगेशन में चला जावे। तो इसलिए यह रिटन शब्द और बढ़ाने के बारे में मेरा अमेंडमेंट है।
दूसरा अमेंडमेंट यह है कि: 'such landholder ,बाद में ऐसा होगा कि "Or which they hold from different land holdrs with the written consent of all such persons."

तो यह और एड करने का है। तो मेरे दूसरे अमेन्डमेंट का मकसद यह है कि यह जो एक्सचेन्ज करने का सवाल है इसमें एक लेण्ड होल्डर के भिन्न २ टीनेन्टस को जो अधिकार दिये गये हैं वहां भिन्न भिन्न Land holder काश्तकार को भी यह हक होने चाहिये।

मेरे ये बहुत सीधे और साधारण से अमेन्डमेन्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री सभापति—श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

His amendment is dropped

(विराम)

Shi Jawan Singh

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, इसमें माननीय मंत्री महोदय का अगर स्पष्टीकरण होता तो बेहतर होता।

अभी माननीय मथुरादासजी ने जो संशोधन रक्खा है उसके आगे के क्लॉज़ ३६ ए को साथ में पढ़ें तो जिस प्रकार से यह मौजूदा क्लॉज़ हैं उस में प्रोसीजर रक्खा हुआ हैं, उसके दो भाग नहीं किये जा सकते और जैसा है वैसा ही उचित है।

ये दो स्टेज़ेज है प्रोसीजर की। एक तो वह जहां काश्तकार आपस में मिलकर तय करते हैं कि हमें अपनी जमीन आपस में एक्सचेन्ज करनी है और इसके बाद में प्रोसीजर ३६ ए में आता है। यहां एप्लाई करता है सब डिवीजनल ऑफीसर को उसके अनेलाइज करने के लिए तो ये क्लॉजेज़ एक दूसरे की सप्लीमेन्टरी हैं। एक क्लॉज़ एक दूसरे को पूरा करती हैं। अगर ऐसी बात है तब तो विद्‌डॉ कर लिया जावे, लेकिन अगर क्लॉज़ ३६ में सिर्फ इस बात के लिये प्रोवीजन किया गया है कि बिना किसी भी सरकारी अफसर के आगे हैन्डल किये दो काश्तकार भूमि एक्सचेन्ज कर सकते हैं, पर यह आशय क्लॉज़ ३६ का हो तो इसके बाद में ३६ ए का क्या आशय रहेगा? वह किन काश्तकारों के लिए लागू होगा? अगर इसका स्पष्टीकरण हो जावे तो अच्छा है।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ ३६ कहां लागू होता है? एक ही किस्म के किसान हैं, टीनेन्ट्स हैं और वे एक्सचेन्ज लैन्ड करना चाहते हैं तो लैण्ड होल्डर की रजामन्दी से वे एक्सचेन्ज कर सकते हैं पर ३६ ए जो है वह डील करता है खातेदार टीनेन्ट और वस टिनेन्ड एक्सचेन्ज ऑफ लैण्ड पर और उसके कन्सोलिडेशन के वक्त यह एप्लाई करेगा। तो कोई खातेदार टिनेन्ट अगर किसी दूसरे टिनेन्ट से लैण्ड एक्सचेन्ज करना चाहता है, इसलिये कि अपनी होल्डिंग को कन्सोलिडेट कर ले तो उस वक्त वह अप्लाई करेगा। सब डिवीजनल ऑफीसर को वह एप्लाई करेगा और वह उस लैण्ड को कन्सोलिडेट करवावेंगे। इसलिये यहां क्लॉज़ ३६ ए एप्लाई होगा।

Clause 39 A applies for consolidation of holdings, and here Clause 39 applies for not only consolidation but for exchange also. If the tenant wants to exchange land, in that case with the consent of the land holder he can exchange land and this will be at the time कि जिस वक्त वह अपनी लैण्ड के होल्डिंग को कन्सोलिडेट कराएगा। किसी के अपनी लैण्ड के अलग अलग टुकड़े हैं और वह अगर यह चाहता है कि मेरी तरह ही अगर मेरे पडौसी के भी अलग अलग जगह जमीन के अलग अलग टुकड़े हैं और वे आपस में यह तय कर लें कि मेरे पास का तेरा जमीन का पीस तू मुझे दे दे और मेरे दूर पड़ने वाले दूसरे टुकड़े को जो तेरे नजदीक पड़ता है तू ले ले। इस तरह अगर वें अपने टुकडों को अदल बदल करते हैं और अपने टुकडों को कन्सोलिडेट कर लें तो उस वक्त वह एप्लाई करेगा। इस क्लॉज़ ३६ ए के अन्तर्गत कि सब डिविजनल ऑफिसर उनकी उस जमीन को कन्सोलिडेट करा दे। इसलिये यहां ३६ ए एप्लाई करेगा। तो इस केस में सब डिवीजनल ऑफीसर के पास जाने की गुंजाइश रहेगी,

[श्री मथुरादास माथुर]

नहीं तो नहीं। वरना वैसे अगर आपस में एक्सचेन्ज करना है होल्डिंग का तो वे कर सकते हैं। इसमें कन्सोलिडेशन की जरूरत नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जहां कन्सोलिडेशन कराना होगा वहां यह ३९ ए एप्लाई होगी।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय चेयरमेन, जो एमेंडमेंट श्री चांदमलजी मेहता ने पेश किये हैं दो, एक तो 'रिटन' के मुताल्लिक हैं कि (रिटन) लफ्ज़ बढ़ा दिया जाय और दूसरा लेन्ड होल्डर्स हैं वह रिटन कन्सेन्ट देदें तो एक्सचेन्ज पोसीबल हो जाय तो दोनों एमेंडमेंट का मैं समर्थन करता हूं।

श्री भोलानाथ—मेरे ख्याल से इस पर खास जवाब देने की आवश्यकता नही। दोनों ही अमेंडमेंट, एक श्री माथुर साहब का और दूसरा श्री चांदमलजी का, वाजिब है। 'रिटन कन्सेन्ट' होना बहुत अच्छा और बहुत जरूरी भी है। लेन्ड होल्डर्स के लिए जमीनों को आपस में एक्सचेन्ज करने के लिए। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। इसलिए चांदमलजी के दोनों एमेंडमेंट मन्जूर करता हूं।

श्री जवानसिंह—बहुत अच्छा, तो क्या स्वाद में है या और तरह से ?

श्री सभापति—क्लॉज़ ३९ पर श्री मथुरादास माथुर का अमेंडमेंट है जिसको मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ दी बिल ने एक्सेप्ट कर लिया है। क्या सदन को यह स्वीकार है।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

दूसरे अमेंडमेंट इसी क्लॉज़ पर श्री चांदमलजी मेहता के जो हैं उनको भी मिनिस्टर महोदय एक्सेप्ट करते हैं।

(स्वीकृत)

यह एमेंडमेंट भी स्वीकृत हुए।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३९ (ए) अमेंडेड विधेयक में अंग रूप से जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

क्लॉज ३६, एज अमेंडेड विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ ३६ ए

क्लॉज़ ३६ (ए), श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह

खंड ३९ ए

श्री तनसिंह—माननीय सभापति, मेरा संशोधन क्लॉज़ ३६ ए में बिल्कुल टेक्निकल है कि सब डिविजनल ऑफिसर के बजाय असिस्टेन्ट कलेक्टर किया जाय।

यह जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के पेज १५ के थर्ड शेडयूल थर्ड बाबत जो दिया हैं उसके सेकिन्ड पेराग्राफ में यह है

"The Committee have also considered the propivsions made in Column 7 of the Schedule wherein have been mentioned, the court or officers competent to dispose of suits, applications, appeals, etc..." तो इस विषय में मैं निवेदन करूंगा कि थर्ड शेड्यूल के आर्टीकल ४५ का कॉलम ७ जो है, उसमें सब डिविजनल ऑफिसर की जगह असिस्टेन्ट कलेक्टर कर दिया गया है। तो इस क्लॉज़ ३६ ए के विषय में जो पावर्स सब डिविजनल ऑफिसर को दिये गये हैं वे शेड्यूल मे जाकर पॉवर्स असिस्टेन्ट कलेक्टर का दे दिये हैं। तो इस प्रकार से सब डिविजनल ऑफिसर को जगह असिस्टेन्ट कलेक्टर कर देना चाहिए, जो, मेरे ख्याल से मूलपे चेन्ज नहीं किया है इस सेक्शन में और वहां शड्यूल में कर दिया है। इतना ही मैरा एमेंडमेंट है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Mr. Chairman, I agree with this amendment.

श्री सभापति—क्लॉज़ ३६ के बाबत श्री एच. के. व्यास का दूसरा अमेंडमेंट है लिस्ट नं. २० में सीरियल नं. ३१६ पर; वे यहां नहीं हैं इसलिये इसे नहीं लिया जायगा।

(विराम)

क्लॉज़ ३६ में श्री तनसिंह का अमेंडमेंट है, जिसको मिनिस्टर साहब स्वीकार करते हैं,।

क्या सदन को यह स्वीकृत है?

(स्वीकृत)

[श्री सभापति]

अमेन्डमेन्ट स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्योंकि और कोई अमेन्डमेन्ट इस क्लॉज़ में रहा नहीं, इसलिये प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३९ ए विधेयक में, संशोधनानुसार, अंग रूप से जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३९ ए, संशोधनानुसार, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ३९ बी

(विराम)

प्रश्न यह है खण्ड ३९ बी विधेयक में अंग रूप से जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३९ बी विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ ३९ सी

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Chairman, Sir, My amendment No. I, so far as Clause 39C is concerned, is:—

" The following marginal note shall be inserted:

"Right in lands allotted in exchange for other lands." In Clause 39C there is no head-line and I want that it must be as mentioned first now. This is my amendment number one. My other amendment is :

"for the words 'in any law' occurring in line one, the words 'contained in any other law' be substituted."

[श्री मथुरादास माथुर]

This will make it more clear and specific. The present form is :

"Notwithstanding anything in any law" I want to make it :

"Notwithstanding anything contained in any law " My amendment No. 3 is :

"The following proviso be inserted, namely.-

"Provided that no order shall be passed under this sanction without giving to the persons concerned a reasonable opportunity of being heard."

It is also notvery material but quite formal. It is necessary that under the clause, we cannot pass any order against a third party without giving him an opportunity of being heard. I hope the amendments are simple and I put them before the House for acceptance.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I have got no objection in agreeing these amendments.

श्री सभापति—क्लॉज़ ३६ सी में श्री मथुरादासजी माथुर का अमेंडमेंट है जिसको मिनिस्टर महोदय इनचार्ज ऑफ दि बिल स्वीकार करते हैं। क्या सदन को यह स्वीकार है।

(स्वीकृत)

अमेंडमेंट एक्सेप्ट किया गया है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३६ सी, एज़ अमेंडेड, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा जाय।

क्लॉज ३६ सी एज़ अमेंडेड विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

खण्ड ३६ डी

क्लॉज़ ३६ डी, श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर—Mr. Chairman, I have already moved my amendment in another clause and my friend coming from Didwana-Parbatsar (Shri Motilal

Page No.79

[श्री मथुरादास माथुर]

Chowdhry will be satisfied with me that the amendment which he objected that it maynotcome will now come.

Now I have got no amendment on Clause 39D. My amendment is after Clause 39D. So 39D be put to vote first and then my amendment will be taken.

श्री सभापति—As it was entered in the amendment list, I called.

(विराम)

क्लॉज़ ३६ डी. के बाबत कोई अमेंडमेंट है नहीं। इसलिये अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३६ डी विधेयक में अंग रूप से जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३६ डी विधेयक, में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ ३६ ई

श्री मथुरादास माथुर—Sir, my amendment is very clear:Tramsfer

"After clause 39D, the following clause be inserted, namely:-

"39E. Transfers which are void.-Every Transfer made in contravention of any provision of this Chapter shall be void." I do not make any statement because I have already moved it and now I put it before the House for acceptance.

श्री जवानसिंह—चेयरमेन महोदय, मुझे निवेदन करना है, संशोधन के सिलसिले में। इसमें थोड़े बहुत शब्द और बढ़ाने की आवश्यकता है और वह इसलिये कि आपस में जितनी ट्रान्सफर्स होंगी एक से दूसरे टिनेन्ट ऑफ खुदकाश्त या सब-टिनेन्ट के बीच ट्रान्सफर होंगी, उसमें एक तो यह हो सकता है कि उसको वोइड मानलें जो कानूनन गलत है।

इसका अर्थ यह है कि वह उस लैंड होल्डर की मर्जी के ऊपर हो कि वह इसे मंजूर करे या न करे। लैंड होल्डर का अर्थ खातेदार भी होता है, इन तमाम के लिए यह डिस्क्रिशन है कि वे चाहें तो इस ट्रान्सफर को मानें और न चाहें तो न मानें। इसलिए इसमें कुछ शब्द बढ़ाने हैं। उस सूरत में जब कि vaidable होगा, ट्रान्सफर को मंजूर करें या न करें; इसलिए इन शब्दों को बढ़ाना आवश्यक हो गया है :

[श्री जवानसिंह]

"Every sub-lease made by a tenant in contravention of the provisions of this Act, other than a sub—lease which is void shall be voidable at the option of the landhoedlr."

मैं यह प्रोविजन जिस प्रकार कि यू. पी. टिनेन्सी एक्ट की क्लॉज़ ४४ के सब क्लॉज़ (२) है, उसी प्रकार से एड करने के लिए अर्ज करता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कौन सा ?

श्री जवानसिंह—क्लॉज़ ४४, सब क्लॉज़ (२)।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वर्डिंग्स ?

श्री जवानसिंह—"Every sub-lease made by a tenant in contravention of the provisions of this Act other than a sub-lease which is void shall be voidable at the option of the land-holder."

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय चेयरमेन, जो अमेंडमेंट श्री मथुरादासजी माथुर ने पेश किया है उसमें मेरे ख्याल से ये वर्ड्स अवश्य होने चाहिये :

"Every transfer made after the commencement of this Act in contravention of any provisions of this chapter shall be void"

जो एक्ट बना है उसमें ट्रान्सफर्स के लिए प्रोवीजन शाया किया गया है,वह उनसे सम्बन्ध रखता है जो इस बिल के पास होने के बाद हो। इसमें भी कोई प्रोवीजन ऐसा नहीं है जिसमें कि इसके लिए जिक्र किया हो कि इस एक्ट के लागू होने से पहले जो सेल, मोर्टगेज और ट्रान्सफर हों उनके लिए इसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया है। जैसा इस एक्ट में बाद को प्रोवाइड किया गया है उसी तरह इसमें पहले का प्रोविजन भी होना चाहिये, पर ऐसा प्रोविजन नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि जहां तक यह एक्ट लागू होता है, इसके लागू होने के बाद इस एक्ट की धाराओं के खिलाफ ट्रान्सफर होता है तो उसके खिलाफ एप्लीकेबल किया जाय यह तो ठीक है परन्तु इस एक्ट के लागू होने के पहले जो मोर्टगेज आदि हैं, उनके खिलाफ एप्लाई करना ठीक नहीं होगा। एक्ट लागू होने से पहले ट्रान्सफर के लिए नाजिम या एस. डी. ओ. को यह अख्त्यार दिया जाय कि यह ट्रान्सफर्स को चेंज करके इस एक्ट के अन्तर्गत लावे। इस एक्ट में ऐसा प्रोवीजन नहीं है। उदयपुर में टिनेन्सी एक्ट था, उसमें इस तरह का प्रोविजन था, मोर्टगेज के लिए नाज़िम को अख्त्यारात दिये थे।

[श्री श्यामलाल गोयल]

अगर इस अमेंडमेंट को, जैसा कि श्री मथुरादासजी माथुर ने पेश किया है उसी शक्ल में पास कर दिया तो जो ट्रान्सफर्स इस एक्ट के लागू होने से पहले हो चुके हैं, उनके साथ बहुत अन्याय होगा। वह नहीं जानता था कि ऐसा कानून बनेगा। आज एक पेन के स्ट्रोक से इस तरह का कानून पास कर देना ठीक नहीं होगा। मेरा मामूली सा संशोधन है उसे स्वीकार किया जावे।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा द्वारा ट्रेजरी बेंचेज़ से बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री **सभापति**--I may point out that it is not a proper place for you to speak

श्री **जवानसिंह**—इसी उम्मीद में यह कोशिश की गई है।

श्री **सभापति**—Order please !

श्री **बृजसुन्दर शर्मा**—माननीय चेयरमेन, इसके बारे में दो आपत्तियां उठाई गई हैं। एक आपत्ति तो हमारे श्री श्यामलालजी ने इस बारे में उठाई है कि जो ट्रान्सफर्स इस एक्ट के पहले से हो चुके, उसके ऊपर कोई अमल नहीं होगा इस एक्ट का। इसलिए यह इन्ट्रोड्यूस किया जाना जरूरी है "It shall apply only to transfers which are made after the commencement of this act."

मेरा निवेदन करना यह है कि transfer creates a right and when once a right has been vested then that right cannot be taken away by a subsequent legislation. Therefore under section 6 of the General Clauses Act, acts which have been done cannot be taken away by this new statute. और इसलिए जनरल क्लॉज़ेज़ एक्ट द्वारा यह गवर्न होता है। इसलिए इस क्लॉज़ को एड करने की आवश्यकता नहीं रहती।

दूसरी चीज जो कि श्री जवानसिंहजी ने कही वह यह है कि जो कुछ भी ट्रान्सफर्स वोइड रखे हैं इसके अलावा भी तो ट्रान्सफर्स हो सकते हैं वे भी वोइडेबल (voidable) है क्यों ? वोइडेबल का यहां जिक्र नहीं आया। जनरली इस बात को स्वीकार कर लिया कि राइट्स ट्रान्सफरेबल नहीं होंगे। ट्रान्सफर के बारे में सर्टेन कन्डीशन्स मंजूर की गई हैं। उन कन्डीशन्स के मुताबिक ही ट्रान्सफर्स हो सकते हैं। यह उसकी मर्जी पर है कि वह माने या न माने। जहां सब-लीज़ का सवाल आता है यू. पी. टिनेन्सी एक्ट में हवाला दिया गया है कि सबलीज़ लेन्ड-होल्डर की राय से ही हो सकता है, उसी को सबलीज़ अलाउ (allow) किया है। जनरली सब लीज़ अलाउ नहीं किया है। लेन्ड होल्डर चाहता है कि सबलीज़ कायम रहे तो लेन्ड होल्डर के लिए यह वाइडेबल है, उसको रिकग्नाइज़ कर सकता है। उसने सब लीज़ खो दिया, यह बात नहीं। लेकिन हमारे यहां इस तरह

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

का कोई प्रोवीज़न नहीं। हमारे यहां सबलीज़ के लिये और सबलेटिंग के लिये रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सब-लीज़ करता है तो वह वोइड है । इसलिए 'वोइडेबल' शब्द रख सकें और किसी दूसरे क्लॉज़ को रखना बिल्कुल अनुचित है। जो वोइड है वह If so facto voidable नहीं हो सकता तथा यह स्कीम ऑफ दी एक्ट के बिल्कुल खिलाफ है।

श्री भवानसिंह—क्या आप इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे कि यू. पी. टिनेन्सी एक्ट का क्लॉज़ ३६ और हमारा क्लॉज़ ३८ बराबर नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमेन, ३६ डी. के बाद ३६ ई में जो अमेंडमेंट माथरजी ने रखा है :

"Every transfer made in contravention of the provisions of this Chapter shall be void."

इसके एक्सप्लेनेशन में इन वर्ड्स केवल एक ही है वह जैसा कि श्री बृजसुन्दरजी ने फरमाया कि जनरल क्लॉज़ेज़ एक्ट का क्लॉज़ ६ के अन्तर्गत जो राइट्स पहले प्राप्त हो चुके हैं with respect to property: उन नये रूल्स को टेक अवे (take away) नहीं किया जा सकता। सबसे पहले मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाऊंगा, क्लॉज़ ३ की तरफ, जो कि हमने पास किया है।

"Restriction on certain agreements.—Every agreement whether made before or after the commencement of this Act, which purports or would operate, to restrict a tenant from enforcing or exercising any right conferred on or secured to him by this Act shall be void to that extent."

तो जैसा कि माननीय श्री बृजसुन्दरजी ने अपनी दलील में कहा तो जो क्लॉज़ ३ पास हुआ है उसके बाद आपसी दलील स्वत: फोर्स नहीं रखती है और जैसा कि एग्रीमेंट के सिलसिले में है कि जो एग्रीमेंट किसी प्रोपर्टी के सिलसिले में है जो कि इस एक्ट के एन्फोर्स होने के पहले हुआ है वोइड हो जावेगा तो यह भी सोचना पड़ेगा कि जो कॉन्स्टीट्यूशनल आर्टीकल्स हैं उनके कॉन्ट्राडिक्शन में कोई क्लॉज़ इस कानून में ऐसा एड न करें जिससे यह अल्ट्रावायर्स हो जावे और कोर्ट्स में रिटें वगैरह दायर होने की नौबत आवे।

ऐसा कहा गया है कि जो राइट्स मिलते हैं उनको बाइ न्यु लेजिस्लेशन टेक अवे नहीं किया जा सकता तो ऐसा मैं मानता हूं कि कोई कारण नहीं है कि "After this Act comes into force" ये शब्द इसमें और क्यों न एड कर दिए जावें।

Page No.83

[श्री श्रीदास गोयल]

मोर्टगेज के बारे में अर्ज करूं। हजारों मोर्टगेज के मामले ऐसे हो सकते हैं, पुरानी जमीनों के कि वे प्रोपर्टी ट्रान्सफर के अन्तर्गत होते थे तीस साल, चालीस साल और साठ-साठ सालों के लिए ये होते थे। अब हमने क्लाज़ ३२ रक्खो है जिसके अनुसार अब इसको बीस साल के लिए रैस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब उस पुराने मोर्टगेज के अनुसार बीस साल तक इसने उसको अगर एन्जोय कर लिया है तो फिर इस क्लॉज़ के एप्लाई होने से बीस साल के बाद में वह मोर्टगेज खत्म हो गया समझा जावेगा तो क्या वह ठीक होगा ? हमें इस तरफ भी देखना है।

दूसरी बात यह है कि जैसे श्री बृजसुन्दरजी ने फरमाया जनरल क्लॉज़ एक्ट के लिये उसी तरह पट्टेदारों के राइट को टीनेन्ट्स के लिये जयपुर स्टेट में सील वगैरह के हकूक दिये थे उनका इसमें कोई स्थान नहीं रक्खा गया है और जो कुछ केवल खातेदार को राइट्स हैं वे इसके लिये रह जाते हैं। तो मैं अर्ज करूं कि जनरल क्लॉज़ एक्ट को मंशा यह है कि पटटेदार भी बदस्तूर कायम रहेगा तो मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब इस सिलसिले में जबाब फरमावेंगे और स्पष्टीकरण करेंगे इस बात को भी और बतावें कि वस्तुस्थिति क्या है और जो शर्माजी ने जो दलील दी वह क्या यहां फिट होती है ? तो मैं तो यही कहूंगा कि क्लॉज़ रक्खें प्रोपर्टी के सिलसिले में जिसमें मोडीफिकेशन लाने वाले हैं तो उनको रखते वक्त यह ध्यान में रखना चाहिये कि किस तरह से यह एक्ट कोर्स में आता है। इसके बाद में वह सही माना जावे या दूसरो शक्ल अगर उनको देनी है तो उसमें यह रक्खा जावे कि पुराने जो एक्ट हैं उनको वोइड न करार दिया जाकर इस एक्टो के अन्तर्गत वे व्यवहारिक बन जावें इस तरह का इस क्लाज़ को बना दिया जावे।

श्री सभापति—यह लीगल क्वेश्चन है मैं समझता हूं कि......

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय चेयरमेन, मैं निवेदन करूंगा कि सब एक्ट बनते है और ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनता है या और भी एक्ट, बने उनमें फर्क जरूर है। ट्रान्सफर वर्ड रखते हैं तो सेक्शन ५६ ऑफ दी ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि रजिस्ट्रेशन कम्पलसरी है, लेकिन वह यह नहीं कि "After the coming into operation of this Act, registration shall be compulsory." वार्डिंग्स जो यहां रखे जा रहे हैं, वह वही रखे जा रहे हैं Registration is compulsory and if the document is not registered then, it will be null and void. The transacotion will be null and void इसका मतलब यह नहीं कि ट्रान्जेक्शन जो हैं वह सारे के सारे इस एक्ट से गवर्न होंगे। वह पुराने एक्ट से गवर्न होंगे। जो कुछ भी पुराने एक्ट से राइट पैदा हुए हैं मैं repealing statute का सेक्शन ६६ पढ़कर सदन के सामने रखता हूं।

श्री सभापति—May I take it that it is legal advice that you are giving to the House?

श्री बृजसुन्दर शर्मा—I cannot say authoratatively लेकिन चूंकि उसके बारे में कन्फ्यूजन हो गया है और स्पष्टीकरण मन्त्रीजी से चाहा गया है इसलिये अर्ज करता हूँ। सेक्शन

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

६६ में इन्ट्रेस्ट क्रियेट होता है that can not be taken away. इसको बढ़ा देने से उसकी लैंग्वेज अलग सी लैंग्वेज हो जायगी जो किसी भी एक्ट में नहीं मिलती है। इसके अलावा और कोई विशेष फायदा होता नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय चेयरमेन, कानूनी क्या चीज़ होनी चाहिए वह एक्सपर्ट ही कह सकते हैं। अगर मान लिया जाय कि कोई जमीन किसी ने मोर्टगेज रखी पुराने खत में २० इयर्स का एलाउड था और अब इसमें १० साल कर दिया है; ३० साल का १० साल कर दिया है। ३० साल का खत कर दिया है और आज २० साल हुए हैं तो यह १० साल रिडीम नहीं होंगे तो फिर कानून बनाने का फायदा क्या ? २० साल से १० साल तक और रगड़ा जायगा। इसकी मन्शा यह कतई नहीं है। आफ्टर दी कमेन्समेंट ऑफ दिस एक्ट यानि यह कानून लागू हो जब से राहत मिले तो जो राहत देना चाहते हैं भविष्य में और हमेशा तो १० साल का प्रोविजन चालू रखा जाय, यह मन्शा कतई इस एक्ट के बनाने वालों की नहीं हो सकती है। लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, यह देख लिया जाय; पर मन्शा यह है कि कानून बनाने के बाद ही से हो। ३० साल के स्टाम्प पुराने होते हैं, लेकिन पुराने स्टाम्प पर वह लिखवा लें क्योंकि ३०-३० साल के स्टाम्प बेचने वाले हजारों लोग बेचा करते हैं कचहरियों के सामने; तो वह पुराने स्टाम्प लिखायेंगे और वह एक्सप्लॉयटेशन चालू रहेगा। इसलिए 'आफटर दी कमेन्समेंट' आने से सुविधाएं बढ़ती हैं। लैंग्वेज ऐसी नहीं लानी चाहिए कि हाई कोर्ट में रिटें हों तो इसे अभी पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह (वि. सं. १६)—इसमें बोलना है।

श्री सभापति—समय करीब करीब हो चुका है। आज की कार्यवाही स्थगित की जाती है। कल सुबह ८ बजे फिर हाउस में मीट होंगे।

(सदन की कार्यवाही ७-५६ बजे कल दिनांक ३१-८-५४ के प्रातःकाल ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-३० अगस्त, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

१. (३११ । आर. एम.) श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु, एम. एल. ए. (४६) क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) साबूकी मोड तहसील पदमपुर जिला गंगानगर में पुराने आरजीकाश्त के अलाटियों की कितनी भूमि कैंसिल की गई हैं और वह किस आधार पर कैंसिल की गई हैं?

(ख) वह भूमि किन लोगों को दी गई। वह कितने परिवारों से संबन्धित है और वे किस तहसील के रहने वाले हैं और उनकी घरू जमीन कितनी है ?

(ग) क्या उनकी नकल खाता मिलकीयत व फर्द गिरदावरी सरकार हाउस को टेबिल पर रखने को तैयार है ?

(घ) यदि वह अलाटमेंट गलत किया गया है तो क्या सरकार उसे कैंसिल करेगी ?

उत्तर

(क) ३६५ बीघा बारानी भूमि ३६ एलाटियों से कैंसिल की गई क्यों कि उनके विरुद्ध सरकारी बकाया थी।

(ख) इसमें से कुछ जमीन गंगानगर तहसील के ११ परिवारों को दी गई। इससे अधिक सूचना के लिए पछताछ की जा रही है।

(ग) इसमें आगे और सूचना प्राप्त होने पर सदन को सूचित किया जायगा।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।